कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 66 अंक : 9 पृष्ठ : 52 जुलाई 2020 मूल्य : ₹ 22

सामाजिक सुरक्षा

गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ

टिकाऊ ग्रामीण आधारभूत ढांचा और गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ज़ोर

6 राज्यों के 116 जिलों में आगामी 125 दिनों में एक अभियान के तौर पर 50,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड–19 महामारी के चलते गांवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों को रोजगार और आजीविका के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोज़गार अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य कोविड–19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्रों/गांवों में आजीविका के अवसर मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले में तेलीहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया।

प्रवासी मज़दूरों/कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनका सशक्तीकरण

6 राज्यों में गरीब कल्याण अभियान के क्रियान्वयन पर फोकस

राज्य	जिले	आकांक्षी जिले
बिहार	32	12
उत्तर प्रदेश	31	5
मध्य प्रदेश	24	4
राजस्थान	22	2
ओडिशा	4	1
झारखंड	3	3
कुल जिले	116	27

Dated 20 June 2020

125 दिन का यह अभियान मिशन के रूप में काम करेगा, इसमें 116 जिलों में 25 श्रेणी के कार्यों/गतिविधियों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित होगा, इसमें 6 राज्यों–बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में लौटने वाले प्रवासी कामगारों पर ज्यादा जोर होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हमारा प्रयास है कि मजदूरों और कामगारों को उनके घर के निकट ही काम दिया जाए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के अंतर्गत टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले में तेलीहर के ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया, जहां से औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों से उनके रोजगार की वर्तमान स्थिति और लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धता के बारे में पूछा।श्री मोदी ने अपने संवाद के बाद संतुष्टि जाहिर की और संकेत दिए कि कैसे कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण भारत मज़बूती के साथ खड़ा रहा तथा कैसे इस संकट के दौर में पूरे देश और दुनिया को प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों और प्रवासियों के कल्याण को लेकर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही चिंतित रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें घर लौटने के इच्छुक प्रवासी कामगारों के लिए विशेष श्रमिक एक्सप्रे ट्रेनों का परिचालन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस दिन को रोजगार के माध्यम से गरीबों के कल्याण के लिए शुरू किए गए व्यापक अभियान के रू में ऐतिहासिक दिन करार दिया। यह अभियान हमारे मजदूर भाइयों और बहिनों, हमारे गांवों में रह रहे युवाओं, बहिनों और बेटियों के लिए समर्पि है। उन्होंने कहा, इस अभियान के माध्यम से हमारा प्रयास है कि मजदूरों और कामगारों को उनके घर के निकट ही काम दिया जाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में रोज़गार हेतु विविध कार्यों के विकास के लिए 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 कार्य या परियोज गरीबों के लिए ग्रामीण आवास, पौधारोपण, जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल के प्रावधान, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मं ग्रामीण सड़कें, मवेशी घर जैसे अन्य बुनियादी ढांचे, आंगनवाड़ी भवन आदि से संबंधित हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं और बच्चों की सहायता के लि हर ग्रामीण घर को हाईस्पीड और सस्ते इंटरनेट की बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह पहली बार है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामी इलाकों में ज्यादा इंटरनेट उपयोग हो रहा है। इसलिए, फाइबर केबल बिछाने और इंटरनेट उपलब्ध कराने को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। ये कार्य अपने गांव और अपने परिवार के साथ रहते हुए किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए 'आत्मनिर्भर किसान' समान रूप से आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनचाहे नियमों और शर्तों को हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे किसान देश के किसी भी हिस्से में मुक्त रूप से अपनी उपज को बेच सकें और फसल का बेहतर मूल्य देने वाले व्यापारियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को बाजार से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा रहा है और सरकार ने कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे लिंकेज के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश उपलब्ध कराया है।

इस पहल के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अपने–अपने क्षेत्र/गांव वापस लौट चुके प्रवासियों और इसी तरह से अत्यंत प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को आजीविका का अवसर प्रदान करना।
- गांवों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण करना और आजीविका के अवसरों का सृजन करना। इनमें सड़कें, आवास, आंगनवाड़ियां, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका परिसंपत्तियां और सामुदायिक परिसर, इत्यादि शामिल हैं।
- विभिन्न प्रकार के कार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को आने वाले 125 दिनों में अपने कौशल के अनुसार रोज़गार का अवसर प्राप्त हो जाए। यह कार्यक्रम लंबे समय तक आजीविका के विस्तार और विकास के लिए भी तैयार करेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान के लिए प्रमुख (नोडल) मंत्रालय है और इस अभियान को राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए लागू किया जाएगा।

स्रोत : पीआईबी

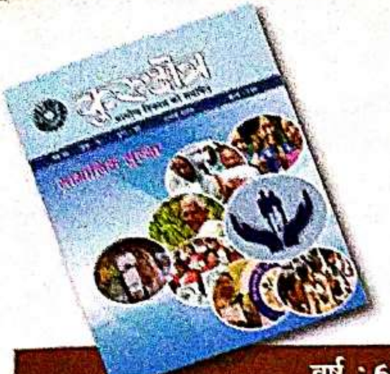

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 66 ★ मासिक अंक : 9 ★ पृष्ठ : 52 ★ आषाढ़–श्रावण 1942 ★ जुलाई 2020

प्रधान संपादक: धीरज सिंह

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : विनोद कुमार मीना

आवरण : राजेन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें

एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : helpdesk1.dpd@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाषः 011-24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा — डॉ. जगदीप सक्सेना — 5

भारत में कृषि और सामाजिक सुरक्षा — जे. पी. मिश्रा — 11

कोविड-19 के बाद ग्रामीण रोज़गार में मनरेगा की भूमिका — के. के. त्रिपाठी और एस. के. सिंगला — 17

कामगारों एवं श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं — मंजुला वाधवा — 21

स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम — डॉ. संतोष जैन पासी, आकांक्षा जैन — 26

कोरोना योद्धा भारतीय वैज्ञानिक — निमिष कपूर — 33

शिक्षा : सामाजिक सुरक्षा की गारंटी — सेरा आईप — 40

वृद्धों और दिव्यांगों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाएं — प्रमोद जोशी — 45

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	C/O (द्वारा) पीआईबी, अखंडानंद होल, द्वितीय तल, मदर टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079-26588669

संपादकीय

आज से कुछ महीने पहले कौन जानता था कि विश्व में कोविड–19 जैसा संकट आएगा और न केवल आम आदमी की ज़िंदगी और आजीविका बल्कि विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा। ये संकट तो अभी बना ही हुआ है, ऊपर से नित नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। कोविड–19 महामारी भारत सहित पूरे विश्व के लिए एक अप्रत्याशित आपदा है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाएं सूखा, बाढ़, भूकंप,चक्रवाती तूफ़ान आदि भी समय–समय पर आते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, व्यक्तिगत समस्याएं/आकस्मिक संकट जैसे बेरोज़गारी, बीमारी, एक्सीडेंट, मृत्यु आदि भी एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं।

'सामाजिक सुरक्षा' से हमारा तात्पर्य ऐसी ही अप्रत्याशित घटनाओं/प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ आकस्मिक संकट के दौरान सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार के प्रयासों से है। जीवन के विभिन्न स्वाभाविक चरणों जैसे जन्म, गर्भावस्था, बुढ़ापा आदि के दौरान आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ही आती है।

भारत में आज़ादी के बाद से ही सामाजिक सुरक्षा के प्रयास शुरू हो गए थे। भारत के संविधान में भाग 4 में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन्हें न्यायालयों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का प्रावधान नहीं है, परंतु ये देश के शासन/प्रशासन के लिए बुनियादी विचार हैं। इसलिए देश के लिए कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना/लागू करना राष्ट्र का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राष्ट्र को लोगों के कल्याण के लिए कड़ा प्रयास करना चाहिए और अधिकतम संभव प्रभावी रूप से उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 41 आजीविका कमाने, शिक्षा प्राप्त करने और आपदा के समय सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लोगों के पोषण–स्तर और जीवन–स्तर में सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने को राष्ट्र का प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है।

कोविड–19 की वैश्विक महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के साथ समाज के अनेक वर्गों को भी आर्थिक मोर्चे पर त्रस्त किया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों पर पड़ा है, जो पहले ही अपनी आमदनी और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत सरकार ने इन कमज़ोर वर्गों को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' में इनके लिए विशेष व्यवस्था की हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के नाम से 1.70 लाख करोड़ रुपये की राहत का प्रावधान किया गया है। मनरेगा हेतु बजट 2020–21 में आवंटित राशि में भी 40000 करोड़ रुपये का इज़ाफ़ा किया है ताकि शहरों से अपने गांवों की ओर लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके।

प्रवासी मज़दूरों को रोज़गार उपलब्ध करने के लिए भारत सरकार ने छह राज्यों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपये की लागत से एक विषेश गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया है। प्रधानमंत्री द्वारा इसे 20 जून, 2020 को लागू किया गया और यह अभियान अगले 125 दिनों तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मज़दूरों को 125 दिनों तक उनके कौशल के अनुरूप रोज़गार दिया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने तीन महीनों के लिए 80 करोड़ गरीब परिवारों को पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल तथा भोजन पकाने के लिए 8 करोड़ परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर भी देने की घोषणा की हैं।

गरीब परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को, जिनकी संख्या लगभग तीन करोड़ बैठती है, एक हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही जनधन योजना के अंतर्गत इसकी 20 करोड़ महिला खाताधारकों को लगातार तीन महीने तक बैंक खाते में 500 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। देश की अर्थव्यवस्था ओर लोगो के जीवन को पटरी पर लाने के लिए और भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं जिनका ज़िक्र इस अंक में किया गया हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का पुरज़ोर प्रयास कर रही है।

अधिकांश देश अब लॉकडाउन से धीरे–धीरे बाहर आ रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत सरकार भी देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए लगातार उपाय कर रही है। साथ ही, लोगों के जीवन में महामारी से पैदा हुई अनिश्चितता को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। निसंदेह देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अभी वक़्त लगेगा। इस समय देश को अनलॉक करना ज़रूरी है चूंकि लंबे समय तक लॉकडाउन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में गतिरोध और गंभीर संकट खड़े कर सकता है।

अब जब देश अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है, ऐसे में हम सभी की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अनलॉक का अर्थ यह नहीं हैं कि कोविड–19 का संकट टल गया है और सब कुछ सामान्य हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें इस चुनौती से लड़ना होगा और इसके बीच रहते हुए अपनी आजीविका के साथ–साथ जीवन सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा और इसके लिए ज़रूरी हैं कि हम एक–दूसरे से दो गज़ की दूरी रखें, घर से बाहर मास्क पहन कर ही निकलें और व्यर्थ घर से बाहर न निकले, कम से कम जब तक इस बीमारी से लड़ने की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती।

ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा

–डॉ. जगदीप सक्सेना

भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा' (यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी) के विज़न को साकार करने का प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो सामाजिक सुरक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसके तहत ऐसी नीतियां बनायी जाएंगी जो समाज में आर्थिक असमानता को कम से कम करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकालें।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मूलमंत्र के साथ कार्य करती भारत सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। परंतु भारत जैसे विशाल और व्यापक देश में जितनी सामाजिक विविधताएं हैं, उतनी ही विषमताएं भी चुनौती के रूप में सामने हैं। समाज के अनेक निर्धारित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति आदि सामान्यतया, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आर्थिक रूप से दुर्बल हैं। समाज का एक तबका ऐसा भी है जो किसी निर्धारित सूची में शामिल नहीं है, परंतु अत्यंत अल्प आय के कारण 'आर्थिक रूप से कमज़ोर' यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आता है। बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान भी अपनी आजीविका के लिए कड़ा संघर्ष करते दिखाई देते हैं। फिर वो वृद्ध हैं, जो अशक्त होकर अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो गए हैं। कई घरों में उन्हें अपने परिवार से भी सहारा नहीं मिलता। अनेक स्थानों और समुदायों में महिलाएं भी शोषित और वंचित के रूप में जीवन निर्वाह करने के लिए विवश हैं।

अपंगता और रोग, दो ऐसी अवस्थाएं या आपदाएं हैं, जो व्यक्ति को लंबे समय के लिए या स्थायी रूप से उसकी आजीविका से दूर कर देती हैं। बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के कामगार भी अपनी कम और अनिश्चित आय के कारण आर्थिक कमज़ोरी के शिकार रहते हैं। पूर्ण या आंशिक बेरोज़गारी भी व्यक्ति के जीवन निर्वाह को कठिन बनाती है। ये सभी दुर्बल वर्ग समाज के अभिन्न अंग हैं और अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान भी देते हैं, भले ही वह सूक्ष्म–स्तर पर हो। इसलिए इन्हें आर्थिक सहारा देना, संबल प्रदान करना ना केवल सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है, बल्कि संवेदनशीलता का प्रमाण भी है।

ऐसी सरकारी या शासकीय सहायता को 'सामाजिक सुरक्षा' का नाम दिया गया है, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जाता है। भारत सरकार के अनेक मंत्रालय और विभाग अपने–अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लागू कर रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं–ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के माध्यम से सरकार एक ऐसे समावेशी समाज के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, जहां लक्षित वर्ग के सदस्य उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। साथ में उन्हें पर्याप्त सहायता भी प्राप्त हो ताकि उनका विकास भी जारी रहे। इसके लिए शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं लागू की जा रही हैं। जहां आवश्यक है, वहां पुनर्वास कार्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं। जनसंख्या के रूप में लक्षित वर्गों की विशालता इन योजनाओं के क्रियान्वयन की एक बड़ी चुनौती है, उदाहरण के तौर पर सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के सदस्यों

संवैधानिक उत्तरदायित्व है सामाजिक सुरक्षा

भारत के संविधान के भाग IV में राष्ट्र के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन्हें न्यायालयों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का प्रावधान नहीं है। परंतु ये देश के शासन/प्रशासन के लिए बुनियादी विचार हैं। इसलिए देश के लिए कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना/लागू करना राष्ट्र का कर्तव्य है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 के अनुसार राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए कड़ा प्रयास करना चाहिए और अधिकतम संभव प्रभावी रूप से उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए कार्य करना चाहिए। राष्ट्र को लोगों की आय में असमानता को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए और उनके स्तर, सुविधाओं तथा अवसरों के बीच भी असमानता को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा करना केवल व्यक्तियों के बीच अपेक्षित नहीं है, बल्कि विभिन्न स्थानों या विभिन्न व्यवसायों से जुड़े समूहों के बीच भी होना चाहिए। अनुच्छेद 41 आजीविका कमाने, शिक्षा प्राप्त करने और आपदा के समय सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। राष्ट्र को अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास के अनुसार लोगों के इस अधिकार को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता जैसी विवशताओं के दौरान सरकारी सहायता देनी चाहिए। इसी क्रम में अनुच्छेद 46 समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों, के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान करता है। इसमें इन वंचितों को सामाजिक और अन्य अनेक प्रकार के शोषण से सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लोगों के पोषणिक स्तर और जीवन–स्तर में सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने को राष्ट्र का प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और 'ड्रग्स' पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। इन महत्वपूर्ण प्रावधानों के अलावा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत गठित संबंधित आयोग इन समूहों की सामाजिक सुरक्षा पर निरंतर निगरानी रखते हैं और समय–समय पर उपयुक्त सिफारिश भी करते हैं। देश की विभिन्न नीतियां और विधानों के निर्धारण में इन समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, पंचायतों और नगर निगमों में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को प्रोत्साहन देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी तरह रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभागों और संगठनों में इनके आरक्षण की व्यवस्था है। अपने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा के सभी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए संकल्पबद्ध है और पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की ओर अग्रसर है।

की संख्या 20.14 करोड़ है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों की तादाद 10.36 करोड़ है जिसमें अब तक काफी इज़ाफा हो चुका है।

व्यापक दायरा, गहन उत्तरदायित्व

परिभाषा, संकल्पना और विचार के दृष्टिकोण से देखें तो सामाजिक सुरक्षा मूल रूप से सामाजिक बदलाव और प्रगति का एक प्रभावी माध्यम है। सरकार द्वारा सहायता राशि दिए जाने के कारण कई बार इसे आर्थिक प्रगति में बाधक भी माना जाता है, परंतु विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविकता में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आर्थिक प्रगति को गति देती हैं। कारण यह है कि जब वंचित व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, और उन्हें कल की चिंता नहीं होती, तो वे अधिक उत्पादक बनकर योगदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा का प्रभाव समाज में लगभग प्रत्येक स्तर पर पड़ता है। इससे वृद्धों को पेंशन का सहारा मिलता है। कामगारों और उनके परिवारों को लगभग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होती है और किसी सामान्य या औद्योगिक दुर्घटना से उत्पन्न अपंगता के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। बच्चों को भी उनके परिवारों को मिलने वाली विशेष सहायता के कारण शिक्षा का लाभ प्राप्त होता है। देखा गया है कि कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलने से उद्योगों के प्रबंधन और कामगारों के बीच बेहतर संबंध बने रहते हैं और कुल उत्पादकता में भी सुधार होता है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बीमा और आर्थिक सहायता के माध्यम से व्यक्ति को चिंतामुक्त रखकर उनका और उनके परिवार का भविष्य संवारने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए आज भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में गरीबी, बीमारी और बेरोज़गारी की जड़ पर प्रहार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर अनेक जनकल्याणकारी संगठनों ने सामाजिक सुरक्षा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित किए हैं, जिन पर अनेक देशों की सरकारें गंभीरता से अमल भी करती हैं। जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, हमारी पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली एक कुशल और प्रभावी सामाजिक/पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करती थी। परिवार में कोई एक या दो व्यक्ति किसी विपदा से ग्रस्त होते थे तो पूरा परिवार ढाल बनकर उसकी सुरक्षा करता था, उसके सामने जीवन निर्वाह की कोई चुनौती उत्पन्न नहीं होती थी। फिर भी सातवीं और आठवीं शताब्दी के दौरान कुछ राज्यों में अनाथों, विधवाओं और वृद्धों के लिए शासन की ओर से आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख शासकीय व प्रबंधन ग्रंथों, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति तथा शुक्रनीति

में पेंशन और बीमारी, वृद्धावस्था, अपंगता आदि से आर्थिक सुरक्षा देने के नियमों का उल्लेख है। आधुनिक दौर में स्वतंत्रता के तुरंत बाद सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। विविध योजनाएं लागू की गईं, जो देश में सामाजिक सुरक्षा के प्रति कड़ी और समर्पित प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। विभिन्न लक्षित वर्गों के लिए प्रभावी योजनाएं शुरू की गई हैं और अब देश संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की ओर अग्रसर है।

इस समय देश में लागू सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को उनकी प्रकृति के अनुसार मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा जा सकता है :

1. रोकथाम संबधी योजनाएं : इस प्रकृति की योजनाएं व्यक्ति के जीवन निर्वाह से जुड़े जोखिम को कम करने का काम करती हैं, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजनाएं, फसल और पशुधन बीमा योजना, बच्चों का मुफ्त टीकाकरण, पशुओं का टीकाकरण आदि। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की योजनाएं अंततः व्यक्ति को आर्थिक चोट से बचाती हैं और उसे गरीबी की दशा से उबारने का काम करती हैं। भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत' के नाम से चलाई जा रही है।

2. सहायता व सुरक्षा योजनाएं : सामाजिक सुरक्षा की ये योजनाएं लक्षित वर्ग को आर्थिक सहायता या जीवन के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं की निःशुल्क सुविधा प्रदान करती हैं। ये योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार या दोनों के अंशदान से वित्तपोषित होती हैं। भारत में इस प्रकार की योजनाओं का दायरा बहुत व्यापक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एक ऐसी ही योजना है, जो देश की लगभग दो–तिहाई आबादी को बहुत कम दर पर अनाज उपलब्ध कराती है। इससे देश में खाद्य सुरक्षा मज़बूत हुई है। इसी क्रम में, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय में, रोज़गार गारंटी की कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनको ज़मीनी धरातल पर सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास लक्षित वर्ग के लिए आजीविका को सुरक्षित बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी संरचना को मज़बूत बनाया जा रहा है और अधिकतम सुविधाएं निःशुल्क हैं। वृद्धों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। लक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना सामाजिक सुरक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। इसके लिए एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ायी जा रही है, वहीं दूसरी ओर लक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं। 'मिड डे मील' योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को स्कूल की ओर आकर्षित करने और उनकी उपस्थिति बढ़ाने में सफल रही है। महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण की अनेक योजनाओं ने लक्षित वर्ग की महिलाओं के जीवन को नया मोड़ दिया है। इसके अंतर्गत उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विवाह और आजीविका तक के लिए आर्थिक सहायता तथा सुनिश्चित अवसरों का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोज़गार के विशेष अवसर, पुनर्वास सुविधाएं आदि। इन योजनाओं ने दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण किया है और वे आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हैं।

3. विपदा सुरक्षा संबंधी योजनाएं: इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा की उन योजनाओं को स्थान दिया गया है, जो व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों या विपदा के समय सहायक होती हैं। इसमें किसान फसल बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं, विधवा सहायता योजनाएं, चिकित्सा सहायता योजनाएं, बेरोज़गारी भत्ता और कार्यस्थल पर दुर्घटना से संबंधित मुआवजा योजनाएं आदि शामिल हैं। इनका उद्देश्य कमज़ोर व्यक्ति या परिवार की उस समय आर्थिक सहायता करना है, जब वह अत्यंत कठिन समय से संघर्ष कर रहा होता है।

गांव–गांव कमज़ोरों को सहारा

भारत सरकार की कृषि विकास और कृषक कल्याणकारी नीतियों के कारण गांवों में प्रगति, उन्नति और समृद्धि की लहर चल पड़ी है, परंतु समाज के कुछ वर्गों को सहायता पहुंचाने की आवश्यकता बनी हुई है। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक विशेष और व्यापक 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' चलाया जा रहा है, जो देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पांच उप–योजनाएं जारी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को 79 वर्ष तक 200

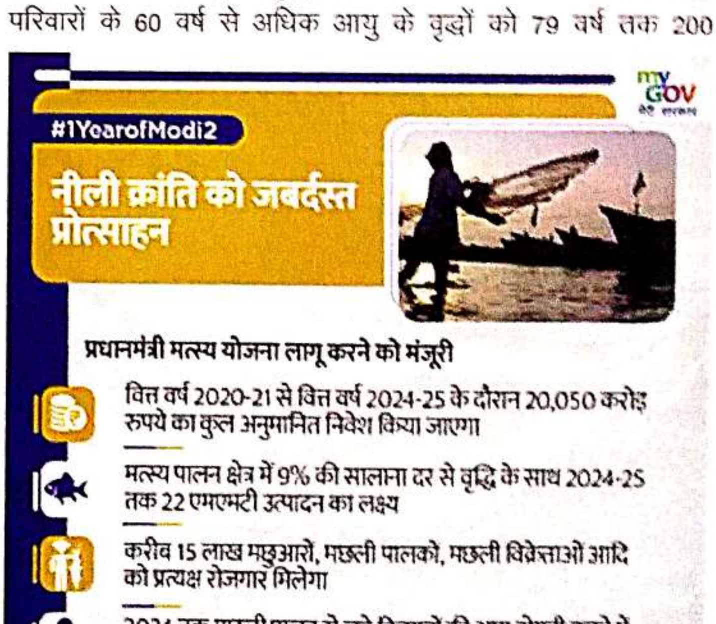

आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सामाजिक सुरक्षा

कोविड–19 की वैश्विक महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ समाज के अनेक वर्गों को भी आर्थिक मोर्चे पर त्रस्त किया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों पर पड़ा है, जो पहले ही अपनी आमदनी और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत सरकार ने इन कमज़ोर वर्गों को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' में इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के नाम से 1.70 लाख करोड़ रुपये की राहत का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। अगले तीन महीनों के लिए 80 करोड़ गरीब परिवारों को पांच किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने, प्रति परिवार एक किलो दाल और भोजन पकाने के लिए आठ करोड़ परिवारों को तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाने की घोषणा की गई। गरीब परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को, जिनकी संख्या लगभग तीन करोड़ बैठती है, एक हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 'मनरेगा' के अंतर्गत मज़दूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। सरकार द्वारा पहले से चलायी जा रही जनधन योजना के अंतर्गत इसकी 20 करोड़ महिला खाताधारकों को लगातार तीन महीने तक बैंक खाते में 500 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। व्यवसायों में काम करने वाले कामगारों को उनके प्रॉविडेंट फंड के माध्यम से आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। सौ से कम कामगार वाले व्यवसायों में 15,000 रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले सभी कामगारों के पीएफ में उनके मासिक वेतन की 24 प्रतिशत राशि जमा की गई है। साथ ही, ईपीएफ से अग्रिम राशि निकालने के प्रावधानों को भी सरल तथा उदार बनाया गया है। अब महिला स्वयं सहायता समूह बैंक से बिना किसी ज़मानत राशि के 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये तक ऋण ले सकेंगे।

लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मज़दूरों का शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ। उनकी रोज़ी–रोटी छिन गई। ऐसे प्रवासी मज़दूर परिवारों को आश्रयगृहों में मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की गई और जो मज़दूर अपने गांव पहुंच गए उन्हें दो महीने तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई है। अपने घर लौटने पर प्रवासी मज़दूरों के सामने रोज़गार की समस्या भी है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने छह राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान) के 116 ज़िलों में 50,000 करोड़ रुपये की लागत से एक विशेष गरीब कल्याण रोज़गार अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री द्वारा इसे 20 जून, 2020 को लागू किया गया और यह अभियान अगले 125 दिनों तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मज़दूरों को 125 दिनों तक उनके कौशल के अनुरूप रोज़गार दिया जाएगा।

रुपये और उसके बाद 500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। गरीब परिवार की किसी भी महिला के लिए, जो अपने निर्वाह के लिए पति पर निर्भर हो, अकस्मात् विधवा हो जाना एक बड़ा आघात है। इस अवस्था में 'इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना' के अंतर्गत दी जाने वाली 300 रुपये मासिक की सहायता राशि एक बड़ा संबल प्रदान करती है। यह पेंशन 40 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को दी जाती है। गरीब परिवारों के दिव्यांगजन (18–79 वर्ष आयु) 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना' के अंतर्गत 300 रुपये मासिक की पेंशन के हकदार हैं। यदि किसी गरीब परिवार के आजीविका कमाने वाले मुख्य सदस्य की किसी कारण मृत्यु हो जाती है (18–59 वर्ष आयु) तो परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है, ताकि वह परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो सके। 'अन्नपूर्णा योजना' के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है, जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के योग्य तो हैं, परंतु उन्हें किसी कारण से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। वर्ष 2018–19 में इन योजनाओं पर खर्च के लिए कुल 8419 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए, जबकि वर्ष 2019–20 के दौरान इन योजनाओं के लिए 9200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। गरीब परिवारों को सहारा देने वाली ये योजनाएं गांवों में अपना स्पष्ट प्रभाव दिखा रही हैं।

अब बात करते हैं देश का अन्नदाता कहे जाने वाले उन करोड़ों किसानों की जो अनेक जोखिमों के कारण अपनी आजीविका के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं। सन् 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक रोडमैप के अंतर्गत अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। परंतु किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन् 2018 में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' नाम से एक योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत सभी योग्य किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता (2,000 रुपये की तीन किश्त) प्रदान की जाती है। इससे किसानों को खेती से जुड़े कामकाज और खरीद के लिए आर्थिक सहारा मिल जाता है। भारत सरकार ने वृद्ध किसानों के कल्याण के लिए एक प्रभावी पेंशन योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नामक यह पहल उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनकी जोत का आकार दो हेक्टेयर तक है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु तक के किसान 55 से 200 रुपये मासिक का योगदान करके 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक की पेंशन के हकदार बन जाते

हैं। किसान के पेंशन अंशदान के बराबर ही सरकार भी अपनी ओर से योगदान करती है। किसान के निधन के उपरांत उसकी पत्नी को 1500 रुपये मासिक की पेंशन दी जाएगी। बड़ी संख्या में छोटे किसान इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। किसानों से संबंधित दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कामगार असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा के शासकीय प्रावधानों का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। साथ ही, उनकी आय भी इतनी अधिक नहीं होती कि वे किसी निवेश द्वारा अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें। इन कामगारों के लिए इसी वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ की गई है, जिससे लगभग 42 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के कामगार 55 से 200 रुपये मासिक का योगदान देकर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक की पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी तर्ज पर **प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना** भी जारी है, जिसका लक्षित वर्ग छोटे दुकानदार और कारोबारी हैं। इसके अंतर्गत डेढ़ करोड़ रुपये से कम का सालाना कारोबार करने वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्पियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दो मुख्य उपाय किए गए हैं। पहली पेंशन योजना उन शिल्पियों के लिए है, जो राज्य या राष्ट्रीय–स्तर पर पुरस्कृत हैं, आयु 60 वर्ष से अधिक है, और वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है। गरीबी की दशा में इन्हें 3500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। अन्य सभी कारीगरों या हस्तशिल्पियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलता है। लोकप्रिय अटल पेंशन योजना भी मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर लागू की गई है। इसका लाभ 18 से 40 वर्ष आयु के लोग एक निश्चित मासिक अंशदान के आधार पर उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत 60 वर्ष के बाद की मासिक पेंशन की राशि भी लाभार्थी स्वयं तय कर सकते हैं, जिस पर उनके मासिक अंशदान की राशि निर्भर होती है।

समग्र और संपूर्ण आर्थिक सुधार की ओर

सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से आगे बढ़ते हुए अब देश में श्रमिकों तथा अन्य लक्षित वर्गों के लिए समग्र और संपूर्ण आर्थिक सुधार का प्रयास शुरू किया गया है। असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए अनेकानेक श्रम कानूनों को एकीकृत करके चार लेबर कोड्स के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। पहला लेबर कोड वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करके सुधार के उपाय प्रस्तुत करता है। दूसरा लेबर कोड औद्योगिक संबंधों के सुधार पर केंद्रित है ताकि नियोक्ता और कामगारों के बीच उपयुक्त संबंध बने रहें। तीसरा लेबर कोड सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े पहलुओं को एकीकृत करता है। इसमें श्रमिकों को दिए जाने वाले मुआवजे, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश जैसे सामाजिक सुरक्षा के विविध पहलू शामिल किए गए हैं। चौथा लेबर कोड श्रमिकों की व्यावसायिक विपदाओं से सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यकारी दशाओं से संबंधित है। साथ ही, ईपीएफओ और ईएसआईसी की कार्यप्रणाली में सुधार करके इनकी सुविधाओं को अधिक श्रमिक हितैषी तथा कल्याणकारी बनाया गया है। सभी कामगारों को नियुक्ति–पत्र देना और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे उपायों को भी लागू करने की तैयारी चल रही है।

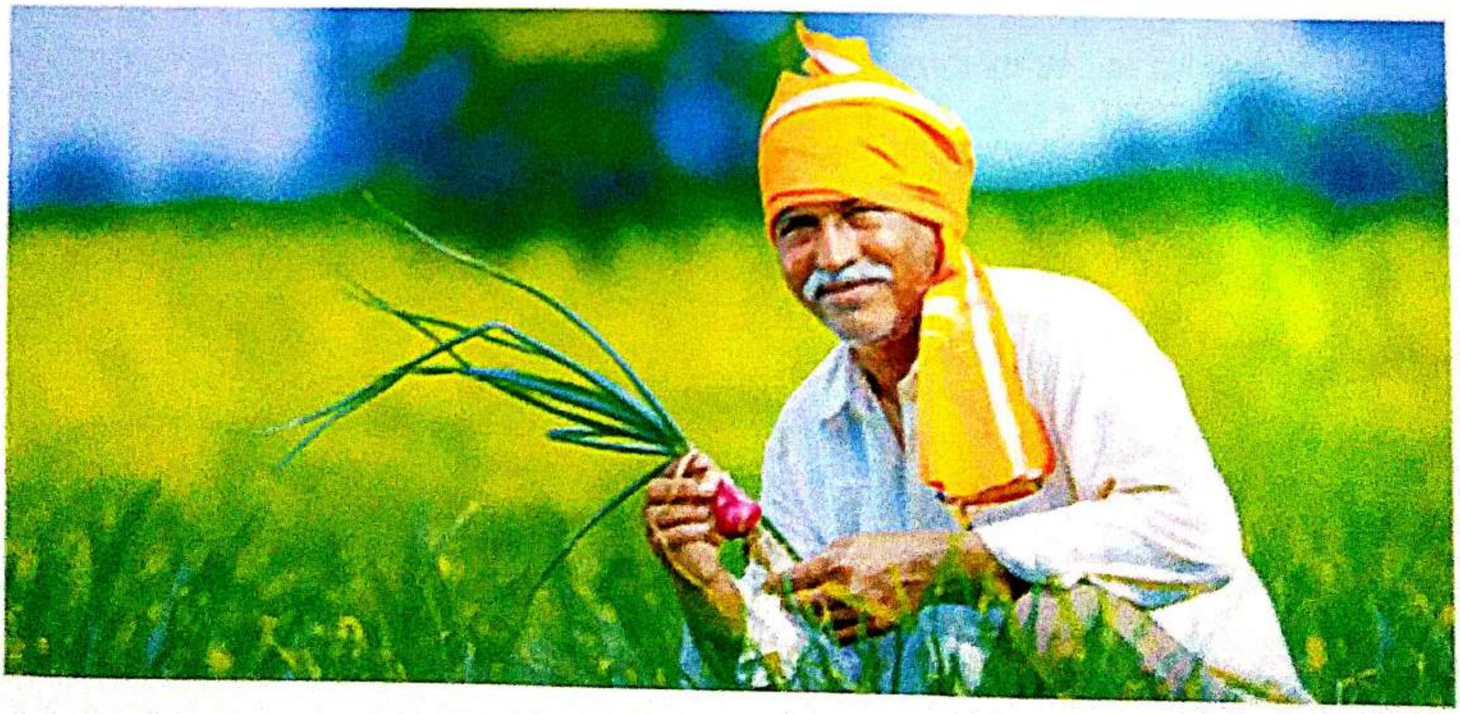

आधी आबादी से पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की ओर

सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं में आर्थिक कमज़ोरी सबसे प्रमुख आधार है, जो किसी योजना के लाभार्थी की पहचान करता है। इस तरह महिलाएं भी सभी योजनाओं का लाभ उठाने के योग्य हैं। परंतु भारत सरकार ने कुछ महिला विशिष्ट योजनाएं भी लागू की हैं, जो सीधे तौर पर महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का कार्य करती हैं। साथ ही महिलाओं की बेहतरी के लिए कुछ विशेष नियम–कानून भी बनाए गए हैं या पुराने नियमों में संशोधन किया गया है। इस संदर्भ में वर्तमान सरकार की सबसे महत्त्वपूर्ण पहल रही 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान जिसका मुख्य उद्देश्य आबादी में लड़कियों के निरंतर कम होते लिंग अनुपात को बढ़ाना था। साथ ही बेटियों की शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाकर उनको सशक्त बनाना भी इसका एक लक्ष्य है। वर्ष 2015 में इसे 100 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 400 ज़िलों में लागू किया गया था, परंतु अब इसका दायरा बढ़कर 640 ज़िलों तक पहुंच गया है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि आबादी में लड़कियों के जन्म का अनुपात वर्ष 2014–15 के 918 के मुकाबले बढ़कर 931 पर पहुंच गया है। हमारे देश में कई बार महिलाएं शोषण या प्रतिकूल दशाओं का शिकार होकर बेसहारा हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए **'स्वाधार गृह'** नामक एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आवास से लेकर खानपान और स्वास्थ्य सुविधाएं तक उपलब्ध करायी जाती हैं, और एक बार पुनः अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सशक्त बनाया जाता है। यह योजना आर्थिक पहलू के साथ महिलाओं को भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना** कमज़ोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। गर्भ के पंजीकरण के उपरांत शिशु के जन्म तक महिला को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक वर्ग की कामकाजी महिला को कार्यस्थल पर सुरक्षा, सम्मान और सुविधा देकर भेदभाव मिटाने के लिए अनेक नियम–कानून बनाए गए हैं। अब उन्हें पुरुषों के समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया गया है, जिसके विभिन्न प्रावधानों को कार्यस्थल पर लागू करना अनिवार्य है। वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। कार्यस्थल पर क्रेच की सुविधा, शिशु केंद्र और स्तनपान अवकाश जैसी सुविधाएं महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत कर रही हैं।

भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा' (यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी) के विज़न को साकार करने का प्रयास भी कर रही है। इसके अंतर्गत नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो सामाजिक सुरक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसके तहत ऐसी नीतियां बनायी जाएंगी जो समाज में आर्थिक असमानता को कम से कम करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकालें। इसके लिए कुल पांच प्राथमिकता के क्षेत्र चुने जाएंगे, जिन पर सरकार विशेष ध्यान देगी। संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए भारत सरकार के कुछ मंत्रालय एकजुट होकर कार्य करेंगे, जैसे ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा श्रम मंत्रालय।

भारत में सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत बनाने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकारों से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। राज्यों ने अपने–अपने स्तर पर सामाजिक सुरक्षा की अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनके सकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में होने वाले खर्च में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। भारत संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की आदर्श स्थिति की ओर तेज़ी से अग्रसर है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं।)
ईमेल– jagdeepsaxena@yahoo.com

भारत में कृषि और सामाजिक सुरक्षा

–जे. पी. मिश्रा

ग्रामीण परिवेश में कृषि सामाजिक सुरक्षा का प्रमुख स्रोत है लेकिन किसानों को अक्सर सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। यह उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में सरकार ने कई पहल की हैं, जिसने किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में बहुत योगदान दिया। प्रधानमंत्री –किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) और किसान मानधन योजना आय उपार्जन के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण पहलें हैं और वृद्धावस्था पेंशन उन लोगों के लिए है, जो सबसे संवेदनशील वर्ग में आते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता की ज़रूरत है।

एक ओर जहां आर्थिक संकेतक बताते हैं कि आज़ादी के बाद से कृषि का योगदान घटता जा रहा है, तो इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यह क्षेत्र भारत में सभी वर्गों के लोगों को चाहे वे अमीर हों या गरीब, साक्षर हों या निरक्षर और उनकी कोई भी जाति, पंथ और क्षेत्र हो, उन्हें एक बहुत मज़बूत अंतर्निहित सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा आय वृद्धि और इससे जुड़े अपार जनमानस और ग्रामीण कार्यबल के कारण कृषि के लिए अंतर्निहित और स्वाभाविक है। सामाजिक सुरक्षा खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में भी है जो लोगों में, प्राकृतिक और मानव निर्मित चरम अवस्थाओं, दोनों को झेलने का सामर्थ्य पैदा करता है और सामाजिक एवं आर्थिक समानता या प्रतिरोध को कम करने के लिए आय और रोज़गार बढ़ाता है।

भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियां मनुष्य, पशु, मशीन, सामग्री–बहुल हैं और आरम्भ से ही सह–अस्तित्व में हैं और समय के साथ यह संबंध और भी मज़बूत हुए हैं। महान कवि घाघ की प्रसिद्ध कहावत सदियों से कृषि की सामाजिक सुरक्षा की सबसे अच्छी विवेचना है, उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान" (खेती सबसे अच्छा कार्य है। व्यापार मध्यम है, नौकरी निषिद्ध है और भीख मांगना सबसे बुरा कार्य है)। लेकिन कई चुनौतियों के कारण कृषि समय के साथ कम लाभकारी और कम लुभावनी बन गई और इस रुख को पूर्णतया बदलने के लिए इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ग्रामीण परिवेश में कृषि सामाजिक सुरक्षा का प्रमुख स्रोत है लेकिन किसानों को अक्सर सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। यह उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में सरकार ने कई पहल की हैं, जिसने किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में बहुत योगदान दिया। प्रधानमंत्री –किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) और किसान मानधन योजना आय उपार्जन के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण पहलें हैं और वृद्धावस्था पेंशन उन लोगों के लिए है, जो सबसे संवेदनशील वर्ग में आते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता की ज़रूरत है।

रोज़गार और गरीबी : सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख निर्धारक

तेंदुलकर पद्धति द्वारा 2011–12 (भारत सरकार, 2014) के लिए अनुमानित राज्य–स्तरीय गरीबी–रेखा पर आधारित गरीबी का अनुमान और 2011–12 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों के

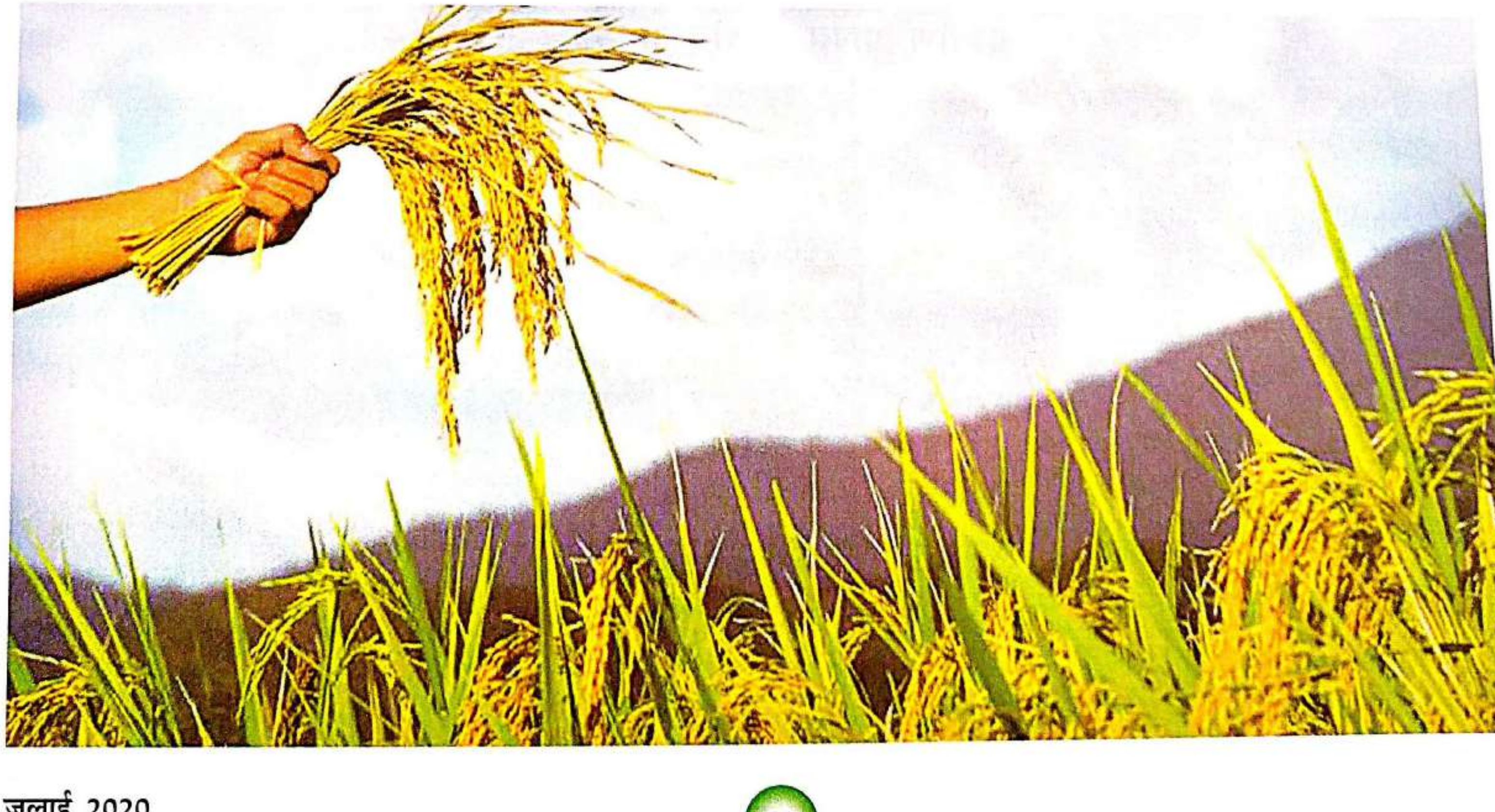

आधार पर रोज़गार से पता चलता है कि ग्रामीण भारत के 54.3 प्रतिशत परिवारों को स्वरोज़गार के रूप में या अनियत मज़दूरों के रूप में कृषि क्षेत्र में रोज़गार मिल रहा है। इन परिवारों में गरीबी दर कुल गणना का क्रमशः 19 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है (चित्र–1)। ग्रामीण भारत की आबादी को देखते हुए, जो भारत की आबादी का 65 प्रतिशत से अधिक है, यह एक बड़ी संख्या है। इस बड़ी आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा का कवच एक मुख्य आवश्यकता है। कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों में दिहाड़ी मज़दूरी करने वालों के लिए रोज़गार का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना और कृषि में स्वरोज़गार में संलग्न लोगों की आय बढ़ाना भी ग्रामीण कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

माननीय प्रधानमंत्री के **'आत्मनिर्भर भारत'** की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृषि योजना और विकास में वृहद् परिवर्तन की आवश्यकता है। यह अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है क्योंकि 1951 में कृषि श्रमिकों की संख्या कुल ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के रूप में लगभग 69 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में लगभग 55 प्रतिशत हो गई। लेकिन पूर्ण रूप से, समग्र जनसंख्या में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध श्रमिकों की संख्या 1960–61 में 131 मिलियन से बढ़कर 2010–11 में 263 मिलियन हो गई। ऐसा अनुमान है कि कृषि श्रमिकों की संख्या 2032–33 में बढ़कर लगभग 336 मिलियन हो जाएगी (नीति आयोग 2018)। एक अर्थपूर्ण रोज़गार और आय के साथ इतने बड़े कार्यबल को आत्मसात करने के लिए हमें ग्रामीण भारत के लिए अपनी युक्तिओं और नीतियों के पुनःस्थापन की आवश्यकता है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए भोजन और पोषण

कोई भी सभ्यता भोजन और पोषण की ओर से आश्वस्त हुए बिना आत्मनिर्भर होने का सपना भी नहीं देख सकती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.35 बिलियन से अधिक है। तत्कालीन योजना आयोग ने 2020–21 तक खाद्यान्न की मांग को 277 मिलियन टन रखा। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए खाद्यान्नों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान ने 295.67 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया है। इसका तात्पर्य यह है कि देश भोजन की दृष्टि से भली–भांति सुरक्षित है जो सामाजिक सुरक्षा के लिए पहला बुनियादी स्तंभ है।

नीति आयोग के कृषि वस्तुओं और आगतों की मांग तथा आपूर्ति पर गठित कार्यकारी दल ने 2018 में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2032–33 के दौरान खाद्यान्न की मांग का अनुमान स्टेटिक एप्रोच (स्थिर पद्धति) के आधार पर 33.4–35 करोड़ टन और बिहेवियर स्टिक एप्रोच (व्यावहारिक पद्धति) के आधार पर 32.6–34 करोड़ टन होगा। समस्त भारत और राज्यों के रुझानों के आधार पर खाद्यान्न की आपूर्ति का अनुमान वर्ष 2032–33 में 37.8–41.5 करोड़ टन रखा गया है। इस प्रकार, मांग–आपूर्ति बैलेंस शीट ने खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में फिर से सुरक्षित भविष्य की पुष्टि की। हालांकि, खाद्य तेलों में बेहद कमी और दूसरी तरफ दालों में कमी हुई लेकिन फिर भी उनके आयात से हम पोषण की सुरक्षा के लिए आवश्यक वनस्पति तेलों और वनस्पति प्रोटीन की पूर्ति के प्रति आशान्वित हैं। इन जिंसों के पर्याप्त उत्पादन के लिए सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत उत्पादन और मूल्य प्रोत्साहन के माध्यम से दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कदम उठाए हैं। समर्थन मूल्य संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की लागत को कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ न्यूट्री–सीरियल्स

चित्र 1 : ग्रामीण भारत में रोज़गार और गरीबी दर

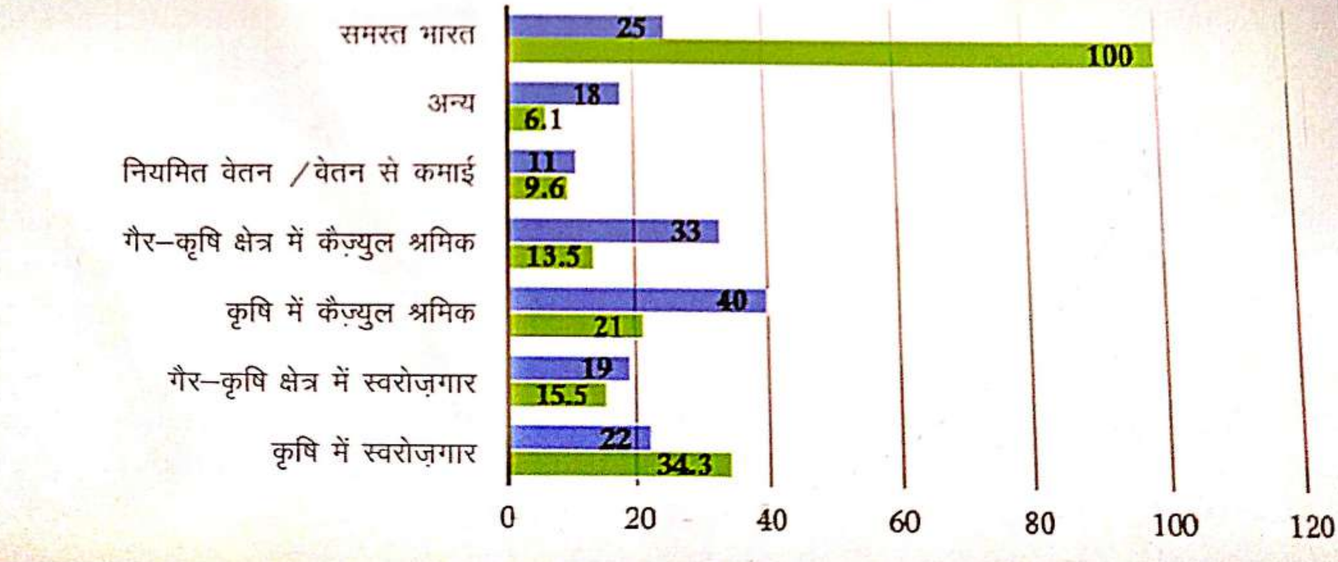

चित्र–2 प्रति वर्ष फसल में श्रम दिवस (मिलियन में)

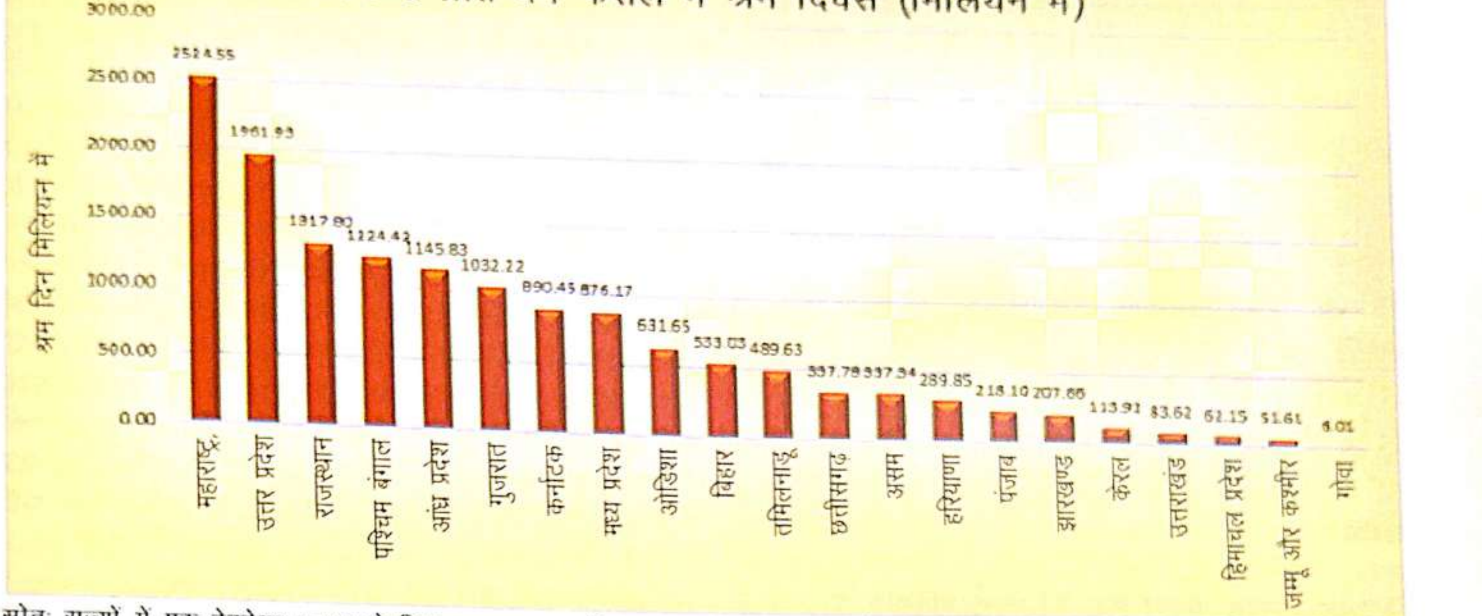

स्रोतः राज्यों में एक हेक्टेयर फसल के लिए आवश्यक श्रम दिवस पर कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के आंकड़ों के आधार पर लेखक का अनुमान

और बायो फोर्टीफाइड फसलों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है जिससे पोषण सुरक्षा हासिल की जा सके और खाद्य सुरक्षा के दूसरे और तीसरे स्तंभ यानी भोजन तक पहुंच और खरीद का सामर्थ्य प्राप्त किया जा सके। सरकारी प्रयासों के पूरक के तौर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने उच्च उत्पादकता के लिए 53 बायो फोर्टीफाइड किस्मों और उनके उत्पादन प्रोटोकॉल विकसित किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) द्वारा प्रेरित समाज के सबसे कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्गों के बीच लक्षित वितरण असफल हो जाता यदि किसान खाद्यान्न का भरपूर उत्पादन करने में अपनी जी–जान नहीं लगाते। खाद्य तेलों में पर्याप्त उत्पादन क्षमता को हासिल करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग और तिलहन के अधिक उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र के उपयोग से देश दूसरी पीली क्रांति की ओर अग्रसर है।

आय वृद्धि के अवसर

कृषि और संबद्ध क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में प्रमुख योगदान कृषि में संलग्न किसान और अन्य लोगों की आय है। जहां एक ओर हाल के विपरीत प्रवास ने इस क्षेत्र पर अधिक रोज़गार सृजित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम प्रवासी श्रमबल को आत्मसात करने के लिए भारी दबाव डाला वहीं दूसरी ओर, इस क्षेत्र ने जनमानस के भीतर अपने लचीलेपन और भरण–पोषण प्रदान करने के गहरे विश्वास को जगाया कि विपदा चाहे कितनी भी भीषण क्यों न हो, यह उसे दो जून का भोजन प्रदान करवाने में सक्षम है। इसने स्थानीय प्रतिशत के बहुत मूल सिद्धांतों की पुष्टि की है जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कल्पना की गई थी। साथ ही, इसने कृषि के प्रति हमारे रवैये को बदलने के लिए और भी अधिक चुनौती दी है। यह पसंद की बजाय आवश्यकता है।

कोविड–19 के प्रकोप के बाद ग्रामीण भारत में बेरोज़गारी की दर बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई जो यह इंगित करती है कि यह प्रकोप शहरी घटना के रूप में आरंभ हुआ पर इसका आर्थिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी महसूस किया जा रहा है। कोविड–19 के कारण होने वाले राष्ट्रीय लॉकडाउन में विशेष रूप से उत्तरी भारत में हाल में मज़दूरों के बड़े पैमाने पर शहरी केंद्रों से उनके ग्रामीण गृहनगर तक पलायन के कारण स्थिति खराब हो गई। कमाई के मामले में स्वरोज़गार और आकस्मिक श्रमिकों दोनों की स्थिति बिगड़ गई। यह ग्रामीण भारत में सबसे महत्वपूर्ण रोज़गार–प्रदाता क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की मांग करता है। स्वतंत्रता के उपरांत पहले 30 वर्षों में हमारा ध्यान खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने की ओर था और अगले 30 वर्षों तक खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना था। इस क्षेत्र से, जो 50 प्रतिशत के करीब कार्यबल खपाता है और कुछ सबसे श्रम–प्रधान उद्योगों जैसे कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, बहुत आवश्यक औद्योगिक और पारिश्रमिक संबंधी रोज़गार अनुकूलन लगभग गुम था। नीतियों और कार्यक्रमों दोनों की पुनर्रचना करनी होगी जिससे कम आय और कम रोज़गार प्रदान करने वाले कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। कृषि में मौसमीपन को अवसर में बदलना होगा।

भारत में कृषि क्षेत्र सबसे बड़े नियोक्ता में से एक है (चित्र–2)। राज्यों के एक हेक्टेयर में खेती और फसल क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत श्रम दिन पर कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में

अकेले खेती करने से एक वर्ष में 14089 मिलियन से अधिक श्रम दिनो का रोज़गार उत्पन्न होता है। परन्तु अधिकांश खेतिहरों के पास बहुत कम जोत है और सीमित विपणन के कारण खेती में संलग्न लोगों की आय बहुत कम है।

भारत में खेत की बंदोबस्ती विविध है और इसलिए वाणिज्यिक खेती के प्रति उनका रुझान भी विविध है। बड़े किसान (10 हेक्टेयर की जोत क्षेत्र से अधिक) अपने उत्पादन का 45–73 प्रतिशत बेचते हैं (विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार, 2005)। ये परिवार उधारदाताओं के साथ करार करते हैं और अपनी आय बढ़ाने के लिए जोखिम उठा सकते हैं। हालांकि, किसानों के इस समूह में केवल 0.7 प्रतिशत कृषि परिवार शामिल हैं, जिनके पास लगभग 11 प्रतिशत भू–भाग हैं। मध्यम किसान (4 से 10 हेक्टेयर भूमि) उत्पादन का लगभग 38–62 प्रतिशत बेचते हैं, लेकिन ऐसे कृषि परिवार केवल 4 प्रतिशत हैं जिनके पास लगभग 21.2 प्रतिशत भू–भाग हैं। 2 से 4 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले (अर्ध–मध्यम किसान) 11 प्रतिशत ग्रामीण परिवार हैं लेकिन उनके पास कुल कृषि क्षेत्र का 24 प्रतिशत हिस्सा है। बाकी दो श्रेणियां हैं– छोटे (1 से 2 हेक्टेयर) और सीमांत (1 हेक्टेयर से कम) किसान जिनके पास कुल मिला कर लगभग 44.5 प्रतिशत क्षेत्र शामिल है लेकिन वे उत्पादन का केवल 12–33 प्रतिशत बेचते हैं। इन किसानों (छोटे और सीमांत) की आय को केवल फसल उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से बढ़ाना मुश्किल है और इसलिए अधिक मूल्य वाली वस्तुएं (सब्जियां, डेयरी, मुर्गीपालन, सूअर पालन) उन्हें समृद्ध बना सकती हैं लेकिन बड़े जोखिम के साथ क्योंकि उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी सारी भूमि को सब्जियों या चारे के लिए रखना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि यह समूह अक्सर दो कारणों से फलों के पेड़ लगाने के लिए अनिच्छुक होता हैं। पहला, उसकी ज़मीन पर पूरी तरह से या उसके कुछ हिस्से में पेड़ लगाने से प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी और दूसरा, फलों में लंबी उत्पादन–पूर्व अवधि के कारण उसे जो भी आय कृषि योग्य फसल से हो रही थी, उससे भी वह वंचित हो जाता है। भूमिहीन और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों के लिए योजना में छोटे वाणिज्यिक किसान की आय में वृद्धि से प्रेरित ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र से कमाई करना शामिल है। आधे से एक हेक्टेयर भूमि वाले किसान बेहतर कृषि पद्धतियों से पारिवारिक आय में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बड़े किसान (4 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले) की तुलना में वे जोखिम उठाने के अनिच्छुक होते हैं, उनके पास पूंजी में कमी होती है और संस्थागत ऋण प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती।

अधिक आय और रोज़गार की ओर कदम

खाद्य असुरक्षा के सरोकारों को दूर करने के लिए, अनाज और दालों का रकबा 60 प्रतिशत तक बढ़ गया, लेकिन कृषि उत्पादन के कुल मूल्य में इनकी हिस्सेदारी लगभग 25–30 प्रतिशत बनी हुई है। यह इन जिंसों में एक सीमित अवसर को इंगित करता है। इसके विपरीत, बागवानी और पशुधन का साथ मिलाकर योगदान बढ़ा है। इसलिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए भोजन, पोषण और आय के भावी मसलों का सामना करने की क्षमता वाले विविधीकरण को एक प्रबल साधन के रूप में माना गया है।

वर्ष 2013–14 के दौरान कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन का कुल मूल्य 2011549.6 करोड़ रुपये था। उत्पादन के कुल मूल्य में फसलों (बागवानी को छोड़कर) की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत थी जो कि 1999–2000 (47.3 प्रतिशत) में उत्पादन के मूल्य की तुलना में मामूली–सी कम रही। जबकि अन्य उप–क्षेत्र लगभग एक ही स्तर पर थे परंतु पशुधन में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया था जो 23 से 26.4 प्रतिशत तक बढ़ गया और कृषि वानिकी 9.9 से 7.3 प्रतिशत तक गिर गई। पशुधन क्षेत्र में उत्पादन का मूल्य 3.5 गुना, उसके एकदम पीछे मत्स्यपालन में 3.25 गुना और बागवानी में 2.95 गुना अधिक हो गया। फसल क्षेत्र के उत्पादन मूल्य (वीओपी) में 2.8 गुना की वृद्धि हुई और सबसे कम वृद्धि 2.2 गुना कृषि वानिकी में हुई। हालांकि समय के साथ

तालिका 1: भारतीय किसानों में कृषि भूमि की विविधता और जोखिम वहन क्षमता

जोत क्षेत्र का आकार	कुल संख्या का प्रतिशत	कुल क्षेत्र का प्रतिशत	बाजार में निर्गमित उत्पादन का प्रतिशत	उच्च मूल्य जिंसों (एचवीसी) के प्रति विविधीकरण में जोखिम
10 हे.से अधिक	0.7	10.6	45–73	कम
4 हे. से 10 हे.	4.2	21.2	38–62	कम
2 हे. से 4 हे.	10.9	23.6	NR	मध्यम
1 हे. से 2 हे.	17.9	22.1	12–33	गंभीर
1.0 हे. से कम	67.1	22.5		गंभीर

उत्पादन के मूल्य की संरचना में अधिक बदलाव नहीं आया। फसल क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों पर प्रभुत्व बना रहा लेकिन उत्पादन के मूल्य में वृद्धि की दर नाटकीय रूप से बागवानी और सब्जियों, पशुधन और मत्स्य पालन जैसे उच्च मूल्य वाली वस्तुओं की ओर झुकी हुई है। यह 1999–2011 की समय अवधि में उत्पादन के मूल्य में परिवर्तन से स्पष्ट है, जो फसल क्षेत्र की तुलना में पशुधन और मत्स्य पालन में लगभग 1.8 से 2 गुना अधिक वृद्धि का संकेत देता है (चित्र–3)

उत्पाद विविधीकरण के लिए भविष्य में पुनःस्थापन की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पहले 30 वर्षों में हरितक्रांति की प्रौद्योगिकियां उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं, लेकिन विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकियां विशेष रूप से उत्पाद और प्रक्रिया विविधता जो फल, सब्जियां, फूल, और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनुकूल हों, घटते भू–भाग और जल के परिप्रेक्ष्य में आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हैं। इन उच्च मूल्य वस्तुओं में वर्टीकल डायवर्सिफिकेशन यानी मूल्य संवर्धन जैसे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग आदि बेहतर और गुणवत्ता वाले रोज़गार प्रदान कर सकता है जिससे छोटे आकार के खेतों वाले खेतिहरों की अधिक आमदनी हो सके। निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत होगी। इसके अलावा, ऋण और जोखिम प्रबंधन के लिए छोटे उत्पादकों को बेहतर दिशा–निर्देशन की ज़रूरत है। समय के साथ रोज़गार सृजन में कृषि के पूर्ण रोज़गार और हिस्सेदारी ने सामान्य रूप से कृषि से गैर–कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यबल के पलायन का एक निश्चित रुझान दिखाई दिया है। हालांकि, महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां 2004–05 (चित्र–4) की तुलना में 2009–10 में कृषि में रोज़गार का हिस्सा बढ़ा। सामाजिक सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र में अधिक रोज़गार आकर्षित करने के लिए विविध कृषि को प्रमुख प्रेरक बलों में से एक माना गया है।

चित्र–3 समय के साथ कृषि के भिन्न उपक्षेत्रों में उत्पादन मूल्य में वृद्धि

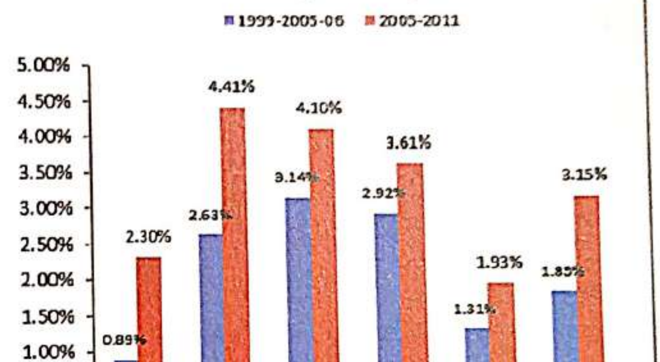

यह एक स्थापित तथ्य है कि विविध खेती के प्रति सकारात्मक कदम उठाने वाले राज्यों में कृषि में अधिक रोज़गार अवसर उत्पन्न हो रहे हैं जबकि ग्रामीण कार्यबल का कृषि से गैर–कृषि क्षेत्रों में गमन एक सामान्य घटना रही है। इसमें क्षेत्रीय असमानता भी रही है। जबकि उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों ने मिलकर उत्पादन के

चित्र–4 कृषि और रोज़गार में विविधिकरण

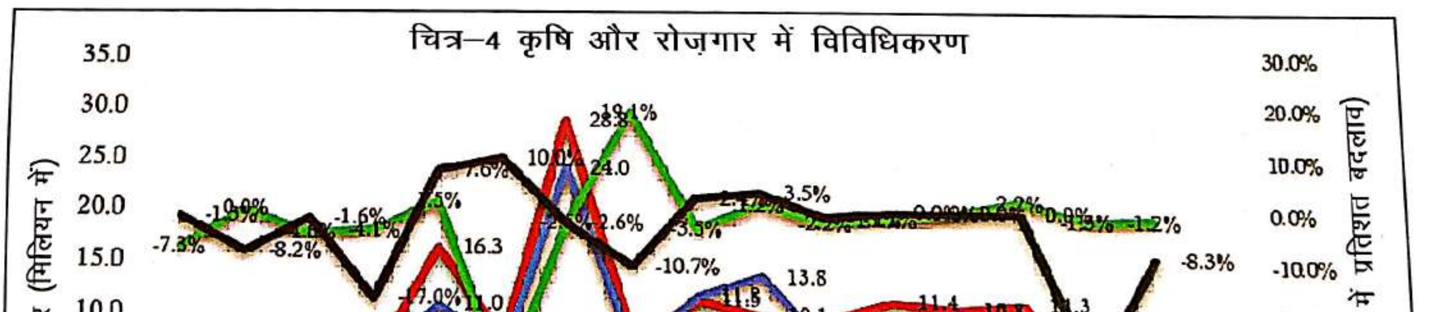

(स्रोतः लैंड यूज़ स्टेटिस्टिक्स आफ डीइएस, डीएसीएफडब्ल्यू एंड एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, विभिन्न अंक)

मूल्य का लगभग 50 प्रतिशत योगदान दिया, जोकि 2010–11 में धीरे–धीरे घटकर 45 प्रतिशत हो गया वहीं पश्चिमी शुष्क क्षेत्र का योगदान 1999–2000 में लगभग 10 प्रतिशत से बढ़कर करीब 14 प्रतिशत हो गया।

भारत दुनिया में सबसे बड़ी पशुधन आबादी से संपन्न है। नवीनतम पशुधन जनगणना (2019) के अनुसार, दुनिया में भैंसों की कुल आबादी का लगभग 57.3 प्रतिशत और मवेशियों की कुल आबादी का 15 प्रतिशत भारत में है। देश में लगभग 7.2 करोड़ भेड़, 14.05 करोड़ बकरियां और लगभग 1.11 करोड़ सूअर हैं। इस तरह पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन गतिविधियां ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और खाद्य भंडार, पोषण सुरक्षा और किसानों की घरेलू आय में योगदान करती हैं। यह उप–क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोज़गार प्रदान करता है विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं को। सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी प्रकृति की अप्रत्याशितता के सम्मुख किसानों के लिए पशुधन सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए कृषि में सरकार की पहल

'आत्मनिर्भर भारत' के रूप में नवीनतम पहल से आरंभ करने के साथ कृषि विपणन में अति–आवश्यक सुधारों और अनुबंध कृषि में कदम रखते हुए प्रायोजकों (निजी कंपनियों) के साथ अपनी कीमत तय करना और भूमि लगान सुधारों के साथ सरकार ने लाखों किसानों और कृषि श्रमिकों, जिनमें पशुपालक और मछुआरे शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अनूठे नीतिगत फैसले लिए हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अपनी तरह की एक निराली योजना है जो किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम प्रगति रिपोर्ट ने यह दर्शाया है कि 8.25 करोड़ से अधिक किसानों को इस कार्यक्रम के तहत आय की सहायता मिली है। फसल खराब होने का जोखिम किसानों और उसके आश्रितों को समाज में कमज़ोर बनाता है। इस तरह की कमजोरियों को दूर करने के लिए 2016 में **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** शुरू की गई और समय के साथ इसमें और सुधार हुआ। खरीफ 2016 के बाद से, संचयी कवरेज 9.7 करोड़ से अधिक किसानों का है।

वृद्ध किसानों के लिए सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कवच में से एक **किसान मान धन योजना** है जिसके तहत किसानों को (महिला या पुरुष) 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत मछुआरों का बीमा इस जोखिम भरे पेशे में किसी भी संभाव्य घटना पर सामाजिक सुरक्षा के लिए क्रियाशील होता है। कृषि ऋण और ब्याज अनुदान वित्तीय समावेशी साधनों का एक और समूह है जो लाखों छोटे और सीमांत किसानों और उनके खेतों पर काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है।

जबकि प्रधानमंत्री –किसान के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एक सार्वभौमिक कवरेज के साथ जारी है; एक बहुत बड़ा समावेशन जिसके तहत पट्टेदार किसानों (जो पट्टे पर ली गई ज़मीन पर खेती करते हैं) को कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है, लाखों भूमिहीनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा और इसी के तहत पशुपालन और डेयरी में संलग्न लोगों को समतुल्य ऋण और ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस तरह के प्रोत्साहन ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के लाभों के लिए बहुत समय से लंबित थे लेकिन उन पर अभिलेखों के कुछ अधिकारों की कमी के कारण ध्यान नहीं दिया गया था। हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2006 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में की गई संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का अक्षरशः सम्मान करना है जिससे ग्रामीण भारत में अति आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को हासिल किया जा सके। कृषि में सुधारों ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों में मूल्यवर्धित समृद्धि का आधार निर्धारित किया है जिससे ग्रामीण भारत के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना है जिससे देश आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा।

(लेखक भूतपूर्व सलाहकार, कृषि, नीति आयोग हैं और वर्तमान में ओएसडी (पीपीपी), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली हैं।)

ई–मेल : jp.mishra67@gov.in

कोविड-19 के बाद ग्रामीण रोज़गार में मनरेगा की भूमिका

–के. के. त्रिपाठी और एस. के. सिंगला

मनरेगा कोविड–19 के बाद के समय में आर्थिक झटकों तथा ग्रामीण आय एवं रोज़गार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में फलदायी एवं सक्रिय उत्प्रेरक बन सकता है। निसंदेह मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण श्रमबल को सहारे के लिए उचित स्थानीय विकल्प हासिल होंगे।

कोविड–19 महामारी और लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियां ठप्प रहने के कारण सामाजिक–आर्थिक रूप से कमज़ोर और खतरे में पड़े तबके विशेषकर प्रवासियों, दिहाड़ी मज़दूरों और ठेका मज़दूरों के बीच स्वास्थ्य एवं आय की असुरक्षा घर कर गई है। लाखों लोगों की आजीविका पर इस अभूतपूर्व स्थिति का प्रभाव भांपते हुए प्रधानमंत्री ने 12 मई, 2020 को **'आत्मनिर्भर भारत'** अभियान आरंभ करने का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत पांच अहम स्तंभों पर खड़ा होगा– अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, जीवंत मानव संसाधन, मांग और आपूर्ति, तकनीक से चलने वाली व्यवस्थाएं एवं तंत्र। केंद्रीय वित्तमंत्री ने उसके बाद एक के बाद एक राहत के उपायों की घोषणा की, जिनमें ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने के लिए सहायता का पैकेज भी शामिल था। चूंकि गरीबी उन्मूलन और रोज़गार सृजन 1950 के दशक से ही भारत का बड़ा लक्ष्य रहा है, इसीलिए अब सरकार का ध्यान रोज़गार ढूंढने वालों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाकर ग्रामीण आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने पर है।

ग्रामीण रोज़गार और मनरेगा

कृषि के जोखिम और अनिश्चितताएं, खेती योग्य ज़मीन पर आबादी का बढ़ता दबाव, वैकल्पिक व्यवसायों की कमी, ग्रामीण और शहरी आय में अंतर तथा गांवों में बढ़ती आर्थिक परेशानी के कारण पहले बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर शहर आए थे। लेकिन अपने गांव–कस्बे छोड़कर शहरों और महानगरों में आए 42.3 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों (भारत सरकार की 2011 की जनगणना के अनुसार) के देश में अब कोविड–19 के असर के कारण लगातार लोग अपने घर लौट रहे हैं। इन लोगों के कारण अगले कुछ महीनों में कृषि और गैर–कृषि क्षेत्रों को श्रमबल को कम रोज़गार मिलने या बेरोज़गार रहने की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि गांवों के लाखों कामगारों को व्यवसाय के अधिक विकल्पों के जरिए पर्याप्त आजीविका मिल सके।

गुणवत्ता–भरी तथा उत्पादक सामुदायिक संपत्तियां एवं उद्यम तैयार करने के साथ ही गांव में अतिरिक्त श्रमबल को फलदायी तरीके से इस्तेमाल करने की हमेशा से चली आ रही चिंता के कारण ही सितंबर 2005 में मांग–आधारित पारिश्रमिक गारंटी कार्यक्रम– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** लागू किया गया। पारिश्रमिक पर केंद्रित एवं स्वयं लक्ष्य तय कर रोज़गार सृजन करने वाली योजना मनरेगा का लक्ष्य गांवों में गरीब परिवारों की आजीविका एवं आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना है।

आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत में मनरेगा की भूमिका

सार्वजनिक कामकाज का कार्यक्रम होने के नाते मनरेगा

"

आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत, पाँच Pillars पर खड़ी होगी।

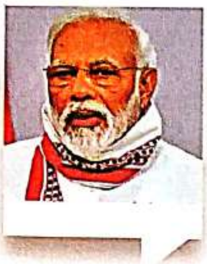

ECONOMY
एक ऐसी इकॉनॉमी जो Incremental change नहीं बल्कि Quantum Jump लाए

INFRASTRUCTURE
एक ऐसा Infrastructureजो आधुनिक भारत की पहचान बने

SYSTEM
एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति-नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली Technology Driven व्यवस्थाओं पर आधारित हो

DEMOGRAPHY
दुनिया की सबसे बड़ी Democracy में हमारी Vibrant Demography हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है

DEMAND
हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है

"

में ग्रामीण बेरोज़गारों की उत्पादक क्षमता को कारगर तरीके से बढ़ाकर उनका सामाजिक–आर्थिक विकास करने का माद्दा है। इसमें नौकरी चाहने वालों की आय में सहारा देने भर की क्षमता ही नहीं है बल्कि पूरी प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीबाड़ी के समय के अलावा बाकी दिनों में रोज़गार को स्थिरता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा की व्यवस्था खड़ी करेगी। महामारी के दौरान रोज़गार सृजित करने की इसकी संभावना एवं अतिरिक्त श्रमबल को फलदायी तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता देखकर सरकार ने 2020–21 के लिए अपने मूल आवंटन 1,01,500 करोड़ रुपये में इजाफा किया और **'आत्मनिर्भर भारत'** पैकेज के अंतर्गत इसके लिएं 40,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए।

भविष्य में आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत सुनिश्चित करने की मनरेगा की क्षमता समझने के लिए इसके क्रियान्वयन के ढांचे को परखने से पहले इस कानून के मुख्य उद्देश्यों को बताने और समझने की ज़रूरत है। मनरेगा, 2005 की अनुसूची 1, अनुच्छेद (3) के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

अ) प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को मांग के अनुसार एक वित्तवर्ष के दौरान पारिश्रमिक की गारंटी वाले रोज़गार के तौर पर कम से कम 100 दिन का अकुशल और हाथ का काम देने का प्रावधान है ताकि गुणवत्ता भरी, टिकाऊ और फलदायी सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण हो सके;

आ) गरीबों के लिए आजीविका के संसाधनों का आधार मज़बूत करना;

इ) सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना; और

ई) पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत करना।

इस संदर्भ में इस आलेख में अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक कामकाज का कार्यक्रम मनरेगा कोविड–19 के बाद पर्याप्त ग्रामीण रोज़गार एवं आय सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभा पाएगा?

मनरेगा – क्रियान्वयन की स्थिति

मनरेगा को 693 ज़िलों की 2.65 लाख ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। मई 2020 में 13.82 करोड़ पंजीकृत ग्रामीण परिवारों में से 25 प्रतिशत (7.75 करोड़) इस योजना में सक्रिय सहभाग कर सके थे। वर्ष 2016–17 से 2019–20 के बीच इस योजना के प्रदर्शन के आंकड़े (www.nrega.nic.in पर उपलब्ध) बताते हैं कि भारत सरकार ने 2,29,445 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिनमें से 1,79,869 करोड़ रुपये (78 प्रतिशत) पारिश्रमिक या मज़दूरी पर खर्च हुए। (तालिका–1)

तालिका–1 बताती है कि सालाना रोज़गार के तौर पर 236 करोड़ श्रमिक दिवस सृजित करने के लिए औसतन 44,967 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस तरह 2016 से 2019 के बीच मनरेगा के अंतर्गत केंद्र द्वारा जारी धन का 78 प्रतिशत पारिश्रमिक देने में इस्तेमाल किया गया। इस हिसाब से 1,01,500 करोड़ रुपये के वर्तमान आवंटन में से लगभग 79,200 करोड़ रुपये 2020–21 में भुगतान के लिए उपलब्ध होंगे। तालिका–1 यह भी बताती है कि

तालिका 1: 2016–17 और 2019–20 के दौरान मनरेगा के क्रियान्वयन पर कुछ संकेतक

वर्ष	श्रम बजट के अनुसार पारिश्रमिक वाला रोज़गार		परिवारों को मिले रोज़गार के औसत दिन	रोज़गार के 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों का प्रतिशत	केंद्र से जारी धनराशि	पारिश्रमिक भुगतान पर खर्च	रोज़गार सृजन के प्रत्येक श्रम दिवस पर खर्च
	मंज़ूर	सृजित					
	(करोड़ श्रम दिवस)		दिन	(प्रतिशत)	(करोड़ रु.)	(करोड़ रु.)	(रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
2016–17	220.9	235.6	46.0	5.14	40,411.7	40,750.7	221.2
2017–18	231.3	233.7	45.7	3.81	55,659.9	43,128.5	223.7
2018–19	256.6	267.9	50.9	6.78	62,125.1	47,172.5	247.2
2019–20	276.8	265.3	48.4	5.23	71,248.7	48,817.6	250.6
औसत	246.4	250.6	47.7	—.	57,361.4	44,967.3	235.7

स्रोतः आंकड़े भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा प्रबंधन सूचना तंत्र से संकलित किए गए हैं। (www.nrega.nic.in ij miyC/k)

2019–20 में एक श्रमिक दिवस का रोजगार सृजित करने में औसतन 251 रुपये खर्च हुए। इस हिसाब से ज़मीनी–स्तर पर क्रियान्वयन की सटीक रणनीति बनाई जाए तो मनरेगा के अंतर्गत इस बार के आवंटन से 400 करोड़ श्रमिक दिवस सृजित हो सकते हैं।

मनरेगा: बदलेगा तस्वीर?

देश के ग्रामीण श्रमबल में शिक्षा का निम्न स्तर और सीमित कौशल हमेशा से श्रम उत्पादकता पर असर डालते रहे हैं, जिसके कारण आय में वृद्धि भी प्रभावित होती है। ऐसी सूरत में मनरेगा रोजगार तलाशने वाले उन लोगों के लिए व्यवसाय के विकल्प देगा और आय बढ़ाएगा, जो कम शिक्षित हैं या जिनके पास कौशल नहीं है। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण सामुदायिक संपत्तियां तैयार करने की परियोजनाओं के जरिए उनकी उत्पादकता का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कानून के अंतर्गत की जाने वाली कई गतिविधियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को अधिसूचित किया है। मनरेगा के तहत 261 तरह के कामकाज को इजाजत मिली है। इनमें से 182 को राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन से जोड़ा जा सकता है और 164 कार्य कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हैं।

मनरेगा गरीब ग्रामीण परिवारों को आर्थिक झटके झेलने की ताकत देने में सक्षम है। यह भारत जैसी विशाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कामकाज के चक्रों के प्रभावों से निपटने के लिए स्थिति संभाल सकता है। कोविड महामारी के कारण देशभर में लॉकडाउन करना पड़ा और इसके कारण लंबे समय तक कारोबारी माहौल बिगड़ा रहने के संकेत मिल चुके हैं। मनरेगा आय वितरण के जरिए ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी रूप से वृद्धि कर सकता है, जिससे ग्रामीण आबादी की क्रय क्षमता बढ़ेगी। व्यक्तिगत आय में वृद्धि से खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं पर खर्च भी बढ़ेगा, जिससे महामारी के बाद के दौर में संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को तेज़ी मिलेगी।

बदल रही तस्वीर

मनरेगा अ) राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन कार्य, आ) कमज़ोर तबकों के लिए व्यक्तिगत संपत्तियों के कार्य, इ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अनुपालन करने वाले स्वयंसहायता समूहों के लिए साझा बुनियादी ढांचे की स्थापना और ई) ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण समेत सार्वजनिक कार्यों की विभिन्न श्रेणियों को इजाज़त देता है। मनरेगा के तहत ज़िला–स्तर पर लागत के मामले में कम से कम 60 प्रतिशत सार्वजनिक कार्यों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से सीधे जुड़ी गुणवत्ता–भरी उत्पादक संपत्तियों के सृजन में लगाना चाहिए।

लेकिन इसे लागू कर रहे राज्यों के सामने अब बड़ी चुनौती इस बात की है कि क्रियान्वयन कर रही प्रणाली की काम करने की क्षमता को कानून के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किए बगैर कैसे बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में राज्यों को अतिरिक्त ग्रामीण श्रमबल की सामाजिक सुरक्षा एवं फलदायी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए फौरन कदम उठाने चाहिए।

सबसे पहले ज़िला प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरों और महानगरों से अपने गांव लौटे प्रवासियों की पूरी जानकारी इकट्ठी की जाए, जमा की जाए और उसे योजना की मौजूदा जानकारी के साथ मिलाया जाए ताकि यह पता चल सके कि कानून के प्रावधानों के तहत सभी की आय सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन करने वाली व्यवस्था पर कितना प्रशासनिक बोझ पड़ेगा। उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को फौरन घर–घर सर्वेक्षण या सत्यापन कराना होगा ताकि रोज़गार की आकांक्षा रखने वाले उन सभी अतिरिक्त लोगों का पंजीकरण या पुनर्पंजीकरण अगले 15 से 30 कार्यदिवसों में कर लिया जाए, जो अभी इसके दायरे में नहीं हैं।

> **मनरेगा 2020–21 की उपलब्धियां**
>
> - वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब तक का सर्वाधिक 1,01,500 करोड़ रुपये का आवंटन, 31,493 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
> - इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6.69 करोड़ व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया, मई 2020 में औसतन 2.51 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिदिन कार्य दिया गया, जो पिछले साल मई में प्रदान किए गए कार्यों से 73 प्रतिशत अधिक है।
> - वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अब तक कुल 10 लाख कार्य सम्पन्न किए जा चुके हैं; आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जल–संरक्षण और सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी से संबंधित कार्यों तथा व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

रोज़गार की ज़रूरत वाले सभी लोगों को अभियान के जरिए कामकाज पाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। आसान प्रक्रियाओं के जरिए रोज़गार के आवेदन बार–बार मांगे या पाए जाने चाहिए तथा ज़रूरत पड़ने पर गांव में प्रमुख जगहों पर आवेदन संग्रह बॉक्स भी लगाए जाने चाहिए ताकि रोज़गार की अच्छी मांग हो सके।

शहरों से गांवों की ओर भारी संख्या में वापसी देखते हुए 2020–21 की मनरेगा परियोजनाओं की मंजूर सूची कोविड के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उठने वाली काम की संभावित मांग को पूरा करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं होगी। इसीलिए पहले से जारी कार्यों का जायज़ा लिया जाए तथा ब्लॉक या ग्राम पंचायतवार अतिरिक्त परियोजनाएं तथा उनकी समयबद्ध तकनीकी एवं वित्तीय मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त श्रम बजट संबंधी कवायद शुरू की जाए। वर्ष 2020–21 के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त कार्यों को चिह्नित करने और उनकी प्राथमिकता तय करने के साथ ही राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन एवं कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण सामुदायिक संपत्तियों का सृजन सुनिश्चित करने के प्रयास करने होंगे।

राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन के कार्यों में 1) जल सुरक्षा जैसे खेती के लिए तालाब, कुओं, मिट्टी के चेकडैम, स्टॉक डैम तथा पेयजल के स्रोतों समेत भूजल बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने वाले जल–संरक्षण के अन्य ढांचों का निर्माण; 2) जल विभाजक यानी वाटरशेड प्रबंधन के कार्य जैसे कंटूर ट्रेंच, टेरेसिंग, कंटूर बॉण्ड, बोल्डर चेक, स्प्रिंग शेड विकास; 3) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य; 4) सिंचाई

टैंकों और अन्य जल निकायों से गाद साफ करने समेत पारंपरिक जल–निकायों का पुनरुद्धार; 5) सामान्य भूमि और वन भूमि पर वनारोपण, पौध रोपण एवं बागवानी तथा 6) सामान्य भूमि में भूमि विकास के कार्य शामिल हो सकते हैं। यदि इन कार्यों को व्यवस्थित तरीके से नियोजित किया जाए एवं प्राथमिकता तय की जाए एवं कानून के प्रावधानों को अनदेखा किए बगैर ईमानदारी से पूरा किया जाए तो इनसे आने वाले वर्षों में समुदायों की सामाजिक–आर्थिक वृद्धि के अपरिमित अवसर उत्पन्न होंगे।

सार्वजनिक कार्यों के कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन मोटे तौर पर इस बात पर निर्भर रहता है कि समुदाय किस प्रकार खुद को कार्यों की पहचान से लेकर उनकी योजना एवं पारदर्शी क्रियान्वयन तक जोड़े रहता है। मनरेगा के अंतर्गत विकेंद्रीकृत नियोजन में ज़िले के दृष्टिकोण से योजना तैयार करने की बात है, जो योजना स्थानीय क्षेत्रों में विकास की ज़रूरतों एवं कमियों को पहचानेगी। मनरेगा 2005 की धारा 16(4) में ग्राम पंचायतों को विकास की योजना तैयार करने एवं मांग आने पर क्रियान्वयन के लिए परियोजनाएं तैयार रखने का अधिकार दिया गया है। चूंकि सामुदायिक मनरेगा संपत्तियों की उत्कृष्टता इस बात पर निर्भर करती है कि ज़मीनी–स्तर पर कितनी उम्दा विकेंद्रीकृत योजना बनाई गई है, इसीलिए ग्राम पंचायत–स्तर पर मानव संसाधन में पर्याप्त मज़बूती होनी चाहिए। कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मृदा संरक्षण, वन आदि विभागों से लाए गए विशेषज्ञों की समिति को ग्राम पंचायत की सीधी मदद करने के लिए कहा जा सकता है ताकि मनरेगा के कार्यों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा सके।

मनरेगा मे कार्यस्थल की सुविधाओं जैसे चिकित्सा सहायता, शेड, पेयजल, शिशु देखभाल या क्रेच सुविधा की भी अनुमति है। मास्क, साबुन, पानी, सेनिटाइज़र जैसी अतिरिक्त सेवाओं का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि कोविड–19 के खतरों से बचा जा सके। जब तक महामारी का खतरा घट नहीं जाता तब तक कम से कम एक वर्ष तक ऐसा बार–बार किया जाए।

कार्यक्रम चलाने वालों को समय पर पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग रोज़गार के लिए आएं। काम के मूल्यांकन, पारिश्रमिक के हिसाब–किताब, पारिश्रमिक का लेखा–जोखा तैयार करने में विलंब की वजह से अक्सर भुगतान में भी देर हो जाती है। इसीलिए किए गए काम का हिसाब–किताब हर हफ्ते मस्टर खत्म होने के फौरन बाद कर लिया जाए, काम के हिसाब से पारिश्रमिक का हिसाब किया जाए और मनरेगा एमआईएस में भर दिया जाए, जहां से वह सीधे काम करने वाले के खाते में भेज दिया जाए।

राज्यों को मज़बूत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करनी पड़ेगी ताकि यह तय हो सके कि मनरेगा के अंतर्गत बनाई गई संपत्तियां स्थान, डिज़ाइन, परिचालन प्रबंधन के हिसाब से सुचारु हों और उनके पर्याप्त एवं नियमित रखरखाव की सेवा का इंतजाम भी हो। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार बनी या बन रही संपत्तियां डिज़ाइन एवं कारीगरी के मामले में उचित इंजीनियरिंग मानकों पर खरी उतरती हों।

मनरेगा कार्यों की समीक्षा से पता चलता है कि योजना में भारी–भरकम धन तो जाता है मगर गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों के सृजन पर ध्यान नहीं होने, त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना एवं डिज़ाइन होने, परियोजनाओं एवं कार्यस्थलों का गलत चुनाव होने, कार्य का सर्वेक्षण नहीं होने, कार्य डिज़ाइन का गलत अनुमान लगाए जाने, कार्य का अकुशल क्रियान्वयन होने एवं पर्याप्त तकनीकी निगरानी नहीं होने के कारण यह गुणवत्ता भरी सामुदायिक संपत्तियां तैयार नहीं कर पाई है। इसीलिए मनरेगा के धन का इस्तेमाल करने से पहले परियोजना की संपत्ति तैयार करने की क्षमता और तकनीकी व्यवहार्यता का जायज़ा जरूर ले लिया जाना चाहिए।

अंत में, हमारी कृषि की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता ही इस महामारी के दौरान उम्मीद की इकलौती किरण है। वर्ष 2019–20 में कृषि क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत वृद्धि हुई और 2020–21 में 2.5 से 3 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। इसलिए समुचित कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन से प्रवासियों को खेती की ओर लौटाने में मदद मिल सकती है। मनरेगा में 260 कार्यों की अनुमति है, जिनमें लगभग 160 कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हैं। लागत के लिहाज से ज़िला–स्तर पर 60 प्रतिशत कार्यों का इस्तेमाल कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों जैसे तालाब, मिट्टी के चेकडैम, कुएं, खेत में नालियां, जल संरक्षण के ढांचे आदि बनाने में किया जाना चाहिए। कानून सिंचाई, बागवानी, अनुसूचित जाति/जनजाति, गरीबी–रेखा से नीचे के परिवारों, छोटे एवं सीमांत किसानों की निजी भूमि के विकास जैसे कार्यों की भी इजाज़त देता है। लगभग 87 प्रतिशत किसान छोटे या सीमांत किसान हैं, जिनके पास कुल खेती योग्य भूमि का 40 प्रतिशत से कुछ अधिक हिस्सा ही है। इसीलिए मनरेगा अतिरिक्त श्रमबल को खेती करने एवं अस्थायी मज़दूरों को किसान बनने के लिए प्रोत्साहित कर कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

मनरेगा कोविड के बाद के समय में आर्थिक झटकों तथा ग्रामीण आय एवं रोज़गार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वह फलदायी एवं सक्रिय उत्प्रेरक बन सकता है। निसंदेह मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण श्रमबल को सहारे के लिए उचित स्थानीय विकल्प हासिल होंगे। इस कार्यक्रम में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता है और यदि इसे क्रियान्वित करने वाले राज्य सुनियोजित दृष्टिकोण के साथ कानूनी प्रावधान पूरे करने की दिशा में और भी सकारात्मक कदम उठाएं तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर सकता है।

(के. के. त्रिपाठी भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी हैं और वैमनिकॉम, पुणे में निदेशक हैं; एस. के. सिंगला भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और हिमाचल भवन, नई दिल्ली में ओएसडी हैं। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं।)

ईमेलः **tripathy123@rediffmail.com**

कामगारों एवं श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

–मंजुला वाधवा

आज ज़रूरत है ऐसी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जो सर्व–समावेशी, व्यावहारिक, कार्यान्वयन में आसान हों। इसके लिए सरकार के साथ अन्य सभी हितधारकों को मिलकर नवोन्मेषी सोच लेकर चलने की आवश्यकता है तभी देश का सतत् समग्र विकास हो पाएगा।

आज भारत में वैश्विक महामारी कोविड–19 का मुक़ाबला करने की जद्दोजहद चल रही है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च, 2020 से घोषित लॉकडाउन ने प्रवासी मज़दूरों और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की मुसीबतें सुरसा के मुख की तरह बढ़ा दी। दिहाड़ी पर काम करने वाले ज़्यादातर मज़दूर लंबे समय तक तालाबंदी रहने की आशंका में कर्फ्यू की स्थिति होने के बावजूद बड़ी संख्या में अपने–अपने गांवों और स्थानों को वापस लौट पड़े।

यह दर्शाता है कि कोरोना वायरस महामारी केवल एक चिकित्सा संकट नहीं है, बल्कि उतना ही बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। लॉकडाउन में सभी तरह के उद्योगों ने पहले ही काम बंद कर दिया, कामकाज के समय में कटौती की गई और कर्मचारी हटाए गए। अनेक छोटी उत्पादन इकाइयां और सेवाप्रदाता पतन के कगार पर पहुंच चुके हैं, दुकानें व रेस्तरां चलाने के लिए जीतोड़ संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, अक्सर सबसे पहले उन लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है जिनके काम–धंधे अनिश्चित होते हैं जैसे अनुबंध और आकस्मिक श्रमिक प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आदि।

कामकाज व रोज़गार के अवसरों की अनिश्चितता और शहरी क्षेत्रों में रहने की उच्च लागत के कारण प्रवासी श्रमिकों पर अपने मूल निवासों पर लौटने का दबाव लगातार बना हुआ है। नाज़ुक परिस्थितियों वाले ये समुदाय शायद ये नहीं समझ पाए कि उनके इस तरह वापस जाने से उनके परिवार और अन्य आम जन के लिए जान का ख़तरा पैदा हो सकता है। नतीजतन, समाज में ग़रीबी और असमानता के चक्रों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।

केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने, कमज़ोर तबकों तक नक़द लाभ, अग्रिम पेंशन, सामाजिक सुरक्षा सहायता के रूप में आय एवं राशन की व्यवस्था, खाद्य राशन, मज़दूरी संरक्षण, आश्रित आबादी

चित्र–1

स्रोत : jansuraksha.gov.in/Hi-Home.aspx

के लिए भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काफी कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी कोविड–19 का मुक़ाबला करने के लिए देशव्यापी समन्वित और सुसंगत उपाय अपनाने की सलाह निम्नानुसार दी है:–

- श्रमिकों के लिए रोज़गार और आय की रक्षा और सहायता – विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, महिलाओं, वृद्धों, विकलांग श्रमिकों जैसे कमज़ोर समूहों के लिए;
- स्वास्थ्य, अनिवार्य सेवाओं और कार्यस्थलों तक पहुंचने वाले श्रमिकों और स्वास्थ्य सेवाओं के फ्रंटलाइन श्रमिकों की रक्षा करना;
- व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की रक्षा करना।

बेशक केंद्र सरकार ने ऊपर उल्लिखित तीनों ही मुद्दों को हल करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं किंतु इन पर चर्चा करने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित और संगठित क्षेत्रों के बारे में जानना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार "वह सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए दी जाती है, 'सामाजिक सुरक्षा' कहलाती है।" ये जोखिम रोग, मातृत्व, विकलांगता, वृद्धावस्था, मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदा हैं।

पहली बार सामाजिक सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल 1935 में हुआ जब अमरीका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया,1938 में न्यूज़ीलैंड में यह चर्चा में आया। भारत में सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं देने के लिए 1948 से लेकर समय–समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए जैसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम, 1952, प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम, 1984 आदि। इन योजनाओं का लाभ कुछ हद तक संगठित क्षेत्र में कार्यरत आम जन को मिलता आ रहा है किंतु भारत जैसे विकासशील देश, जहां लगभग 90 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में रोज़ी–रोटी कमाते हों, आए दिन पैसे और सुविधाओं के अभाव में बदहाल ज़िंदगी गुज़ारने को मज़बूर हैं, न तो से कभी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल पाते हैं, न ही अपने परिवारों को बुनियादी सुविधाएं ही मुहैया करवा पाते हैं। नवीनतम आवर्ती श्रमिक सर्वेक्षण (2017–18) में पाया गया है कि शहरों में केवल 47 प्रतिशत कामगारों के पास नियमित, वेतनयुक्त नौकरियां हैं। औपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों में से भी 70 प्रतिशत के पास तय कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं हैं; 54 प्रतिशत के पास सवेतन बीमारी की छुट्टी का अधिकार नहीं है और 49 प्रतिशत कामगारों के पास सामाजिक सुरक्षा के लाभ की व्यवस्था नहीं है। बाक़ी के बचे हुए 53 प्रतिशत कामकाजी लोग, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के संसाधनों तक उनकी पहुंच ही नहीं है। ये कामगार जैसे टैक्सी ड्राइवर, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, छोटे कारोबार के मालिक, टूरिस्ट गाइड और रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग इस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनकी सेवाओं की मांग घट गई है। उनके पास इसके संसाधन भी नहीं हैं कि वो क्वारंटाइन में रहें या फिर बीमार पड़ने पर एक दिन की भी छुट्टी ले सकें। यह ज़मीनी हकीकत स्वयं ही यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि इन वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी–तंत्र द्वारा सच्चे और पर्याप्त प्रयास किए जाने कितने जरूरी हैं।

वर्ष 2014–15 में वर्तमान केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद इन असंगठित क्षेत्रों की समस्याओं की ओर ध्यान देते हुए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई। अगस्त 2014 में अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रही जनता को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए **प्रधानमंत्री जन–धन योजना** शुरु की गई। 2006 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को तेज़ गति तब मिली जब राष्ट्रीय मिशन के रूप में एनडीए सरकार ने इसे फिर से पीएम जन–धन योजना

तालिका–1

प्रधानमंत्री जनधन योजना में लाभार्थियों की स्थिति 3 जून, 2020

(प्रतिशत में)

बैंक का नाम/ प्रकार	ग्रामीण/अर्धशहरी बैंक शाखाओं में लाभार्थियों की संख्या	मेट्रो/शहरी बैंक शाखाओं में लाभार्थियों की संख्या	ग्रामीण–शहरी महिला लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या	खातों में जमाराशियां	जारी किए गए रूपे कार्ड
सरकारी क्षेत्र के बैंक	18.14	12.86	16.83	31.00	105762.47	24.91
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5.77	1.02	3.89	6.79	26061.88	3.29
निजी बैंक	0.71	0.54	0.67	1.25	4153.17	1.14
सकल योग	24.62	14.42	21.39	39.04	135977.52	29.34

स्रोत : pmjdy.gov.in

के नाम से शुरू किया। पहले ही दिन बैंकों में 1.5 करोड़ खाते खुल गए। आज आलम यह है कि पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 39.04 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और इनमें 135977 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जमा हो चुकी है। नवीनतम स्थिति तालिका–1 से स्पष्ट हो जाती है।

9 अगस्त, 2015 को कोलकाता से **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** का श्रीगणेश किया गया। यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें निवेश के बाद यदि पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को दो लाख रुपये मिलते हैं मगर किसी भी टर्म प्लान में अगर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति पॉलिसी की अवधि पूरी होने तक जीवित रहे तो फिर उसे कोई लाभ नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका सालाना प्रीमियम मात्र 330 रुपये है, हालांकि इस रकम पर बैंक अपना प्रशासनिक शुल्क लगाता है। 330 रुपये के प्रीमियम में से 289 बीमाकर्ता को मिलते हैं जबकि 30 रुपये खर्चों की भरपाई के रूप में एजेंट या बैंक को मिलते हैं। यह राशि आपके खाते से ईसीएस के जरिए ले ली जाती है। इस बीमा योजना में किसी मेडिकल जांच की ज़रूरत नहीं होती है। 50 साल की आयु तक टर्म प्लान लिया जा सकता है, जबकि टर्म प्लान लेने की न्यूनतम आयु 18 साल है। शुरुआत में ही 2.96 करोड़ लोग इससे जुड़े गए थे, आज 5.33 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।

एक और मील का पत्थर है– **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** जिसमें मात्र 12 रुपये सालाना का प्रीमियम भरने पर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। 18–70 साल तक की उम्र के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अब तक 17.03 करोड़ लोग इसमें कवर किए जा चुके हैं। बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है। अगर बीमा खरीदने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाए तो उसे एक लाख रुपये की रकम मिलती है। इतना ही नहीं, अगर लाभार्थी का आयकर बनता भी हो तो भी एक लाख रुपये तक की बीमित राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 10 (डी) के तहत टैक्स नहीं लगता।

अब बात करते हैं **अटल पेंशन योजना** की। 18–60 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है बस बैंक में उसका खाता होना ज़रूरी है। 60 वर्ष की उम्र होने पर पांच गारंटीकृत पेंशन स्लैब 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है। ऐसे लोग जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी नौकरी में हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे हैं, अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। भारत सरकार का सह–योगदान वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के दौरान इस योजना में शामिल हो चुके हों। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकार्ड एजेंसी से ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किश्तों का भुगतान के आशय की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्त वर्ष के अंत में ग्राहक के बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाते में कुल योगदान का 50 प्रतिशत या 1000 रुपये का एक अधिकतम

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

- 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना,
- इस योजना के तहत, अंशधारक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। श्रमिकों को 55 रुपये मासिक (18 वर्ष की आयु) योगदान करना पड़ता है और यह उम्र के अनुसार बदलता रहता है।
- इसके अलावा, यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।

अंशदान जमा किया जाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 2.24 करोड़ से अधिक लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं जिसमें महिला एवं पुरुष का अनुपात 57:33 है। तीनों योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी चित्र–1 में देखी जा सकती है।

ऐसी ही एक अन्य पेंशन योजना **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन** की घोषणा जुलाई 2019 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में की गई थी। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि अब तक इस योजना से केवल 43 लाख कामगार जुड़े हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कुल लोगों का महज़ एक प्रतिशत हिस्सा हैं। 15 फरवरी, 2019 से लागू इस योजना के माध्यम से घर के काम करने वाली मेड या ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी आदि को इस योजना से जोड़कर उन्हें 60 साल की उम्र के बाद आमदनी का कोई सहारा न होने पर इसका फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। इस मेगा पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति का बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना चाहिए। 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है। यह पेंशन सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी। यदि सब्सक्राइबर जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का अंशदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा। किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित अंशदान करना होगा। सब्सक्राइबर की मौत के बाद उसके बच्चों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 2019 में रांची में प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना की शुरुआत की। इस योजना से जुड़ने के लिए कारोबारियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना का लाभ 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा यानी दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों को हर महीने कम से कम 3000 महीने की पेंशन देने का प्रावधान करके उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

जहां तक संगठित क्षेत्र की बात है, दशकों से चली आ रही सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजनाएं भले ही अब नहीं चल रही हैं किंतु 1 जनवरी, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत करके सरकारी सेवा में 2004 के बाद आने वाले कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह पेंशन योजना 2009 में शुरू हुई थी।

इनके अलावा, ईएसआईसी की ओर से ईएसआई योजना चलाई जाती है जिसके दायरे में ऐसी सभी फैक्ट्री और अन्य वाणिज्यिक संस्थान आते हैं जिनमें 10 या इससे ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं और जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये से कम होता है। मौजूदा समय में इस स्कीम से करीब 3.5 करोड़ प्राइवेट कर्मचारी सदस्य के रूप में जुड़े हैं और करीब 13.3 करोड़ कुल लाभार्थी हैं। सदस्य पर निर्भर परिवार के सभी सदस्य ईएसआई स्कीम के लाभार्थी होते हैं। इस स्कीम के तहत सदस्य कर्मचारी और लाभार्थियों को पहले दिन से ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है। इसके अलावा, कार्यस्थल पर कर्मचारी की मौत होने पर उस पर निर्भर सदस्य को पेंशन भी मिलती है।

फरवरी 2020 में ईएसआईसी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियम 1950 में संशोधन करते हुए प्रत्येक अधिसूचित ज़िले में स्थानीय समिति स्थापित करने का फैसला किया है और नोटिफिकेशन जारी कर सभी हितधारकों से 30 दिन में सुझाव मांगे गए। 23 जुलाई, 2019 को श्रम और रोज़गार मंत्री द्वारा लोकसभा में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक,

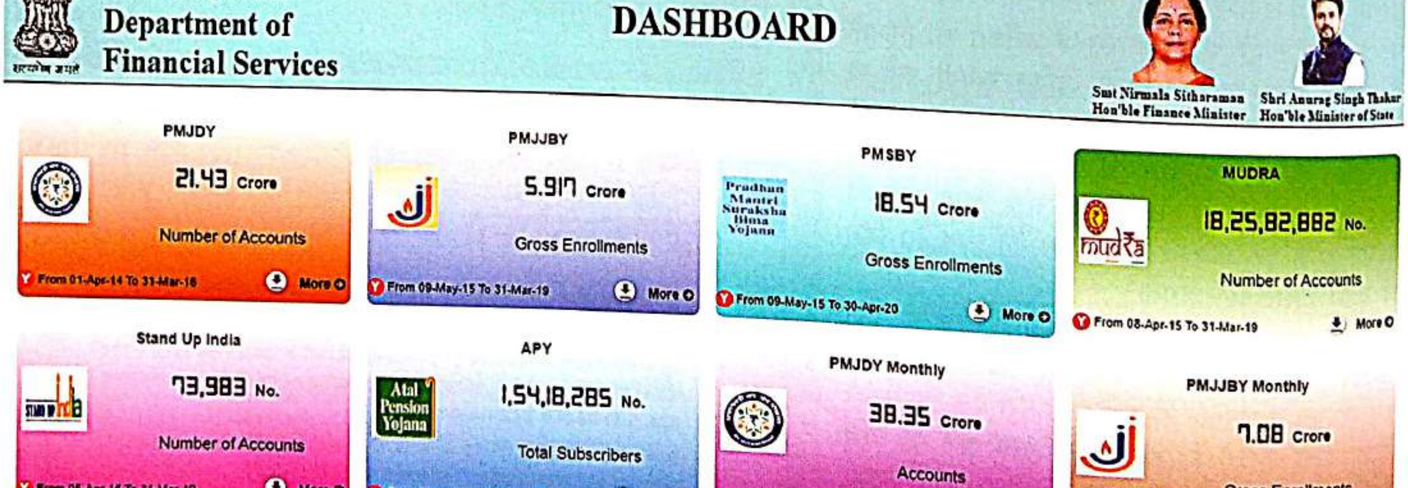

स्रोत : dfs.dashboard.nic.in/DashboardF.aspx

2019 संहिता को रखा गया। यह कोड सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति से संबंधित 13 श्रम कानूनों को निरस्त करके कारखानों, खानों एवं भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान करता है।

बेशक, असंगठित और संगठित क्षेत्र के हित में चलाई जा रही इन योजनाओं के लिए सरकार बधाई की पात्र है किंतु 5 सालों की यात्रा पूरी कर लेने के बाद इनकी प्रगति का जायज़ा भी लेना बनता है। तो आइए, अब चर्चा करते हैं उन बदलावों की जो समय के साथ इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में किए गए हैं और इस अहम सवाल का जवाब भी पाने की कोशिश करते हैं कि कितनी कारगर सिद्ध हुई हैं ये योजनाएं अपने मकसद को पूरा करने में? पीएमजेडीवाई पर गौर करें, तो खाते तो खुल गए किंतु ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी इनमें से ज़्यादातर खातों में डिपॉज़िट ही नहीं हैं; दूसरी ओर, 2016 की नोटबंदी के दौरान कालाधन जमा करने के लिए भी इन खातों का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुआ। पीएमजेजेबीवाई पर गौर करें तो बीमा देने वाली कंपनियां इन योजनाओं में प्रीमियम बहुत कम होने के कारण इन्हें कार्यान्वित करने के प्रति केवल उदासीन ही नज़र नहीं आती बल्कि उन्होंने सरकार से प्रीमियम बढ़ाने के लिए भी गुज़ारिश की है ताकि ये योजनाएं उनके लिए मात्र घाटे का सौदा साबित होकर न रह जाएं। आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च, 2019 समाप्त होते–होते इन्हें चलाने वाली बीमा कंपनियां 20 फीसदी घाटा उठा चुकी हैं जिस कारण इन कंपनियों का समग्र लाभ कम हुआ है। लिहाज़ा, इन्होंने प्रीमियम राशि 330 रुपये से बढ़ाकर 440 रुपये करने के लिए अनुरोध किया है। पीएमएसबीवाई की हकीकत यह है कि 6 दिसंबर 2019 तक बीमा कंपनियां इसके तहत 643 करोड़ की राशि के 32176 दावे निपटा कर 350 प्रतिशत का घाटा उठा चुकी हैं।

हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कुछ संशोधन किए गए। अभी तक एनपीएस में कर्मचारियों का योगदान 10 प्रतिशत तथा इतना ही योगदान सरकार द्वारा किया जाता था। संशोधन के बाद से सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। कुल जमा किए गए कार्पस में से 40 प्रतिशत राशि को एन्युटी की खरीद पर करमुक्त किया गया है। शेष 60 प्रतिशत को कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय निकाल सकते है। इस 60 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत राशि करमुक्त है, शेष 20 प्रतिशत राशि पर कर लगाया जाता है। अब नए संशोधन के अनुसार 60 प्रतिशत राशि को ही करमुक्त कर दिया गया है।

चूंकि कोरोना की वैश्विक महामारी का सबसे ज़्यादा और भयावह असर असंगठित क्षेत्रों पर पड़ा है, भारत सरकार ने इन्हें राहत देने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं। 2 करोड़ जन–धन योजना महिला खाताधारकों को अप्रैल से जून 2020 तक तीन माह के लिए 500 रुपये प्रति माह की राशि इस मुश्किल समय में घर खर्च चलाने के लिए दी जा रही है। पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण ने 30 जून, 2020 तक अटल पेंशन योजना की मासिक किश्तें स्थगित कर दी हैं। अब इस योजना के लाभार्थी अपनी ये किश्तें जुलाई से सितंबर 2020 तक बिना किसी जुर्माने के भुगतान कर सकते हैं। कोविड–19 के इलाज के काम में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, वार्ड बॉयज़, पैरामेडिकल, टैक्नीशियनों में प्रत्येक को 50 लाख रुपये बीमा कवर दिया गया है। स्वयंसहायता समूहों को दिए जाने वाले कोलेटरल मुक्त ऋण की राशि बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख रुपये कर दी गई है। यहां तक कि संगठित क्षेत्र में भी 15000 रुपये तक की मासिक आय वाले 80 लाख पीएफ अंशदाताओं का, कर्मचारी और सरकार दोनों के हिस्से का, अंशदान सरकार ने खुद वहन करने का फैसला लिया है।

संक्षेप में, समान सोच, समान भाव और समान संरक्षण ही समाज में समानता ला सकते हैं। सभी की सहभागिता से सरकार द्वारा चलाई जा रही ये सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं वास्तविक अर्थों में वृद्धावस्था में 'स्वावलंबन की छड़ी' साबित होंगी।

(लेखिका नाबार्ड (चंडीगढ़) में सहायक महाप्रबंधक हैं।)

ई–मेल : manjulajaipur@gmail.com

मजदूरी कोड 2019

- संसद के दोनों सदनों से पारित।
- मजदूरी कोड एक ऐतिहासिक क़ानून है, जो संगठित और साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर मजदूरी के भुगतान के लिए वैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करेगा।
- नया अधिनियम ऐतिहासिक है क्योंकि यह महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करता है और उनका पुरुष के समकक्ष समान मजदूरी सुनिश्चित करता है।
- कई असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे कृषि श्रमिकों, चित्रकारों, रेस्तरां और ढाबों में काम करने वाले व्यक्तियों और चौकीदारों, जो न्यूनतम मजदूरी के दायरे से बाहर थे, को न्यूनतम मजदूरी का विधायी संरक्षण प्रदान करेगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन विधेयक 2019 संबंधी कोड

- यह कोड 10 या अधिक श्रमिकों और सभी खानों तथा बंदरगाहों के श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करने को विनियमित करने का प्रयास करता है।

श्रम सुधार

- मजदूरों के कार्य की तारतम्यता बनाए रखने के लिए निश्चित अवधि का रोज़गार
- ईएसआईसी का योगदान 6.5% से घटाकर 4% किया गया
- वेब-आधारित और क्षेत्राधिकार-मुक्त निरीक्षण
- निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर अपलोड की जानी है
- 6 श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में स्टार्ट-अप के लिए स्व प्रमाणन

स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम

–डॉ. संतोष जैन पासी, आकांक्षा जैन

स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हमारी सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रबल बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा पैकेज की घोषणा की है। साथ ही, बीमा योजना के तहत, कोविड–19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ, 1948) के अनुसार, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों या दुर्बलताओं की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है।

स्वस्थ व्यक्ति रोज़मर्रा की गतिविधियों को निपटाने में और अपने आप को किसी भी परिस्थिति/परिवेश के मुताबिक ढालने में सक्षम होते हैं। यदि हम एक अभिन्न व्यक्तित्व की इच्छा रखते हैं तो हमें हर हाल में हमेशा खुश रहना चाहिए। वास्तव में, अच्छे स्वास्थ्य से तात्पर्य समग्र स्वास्थ्य से है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल हैं। शारीरिक फिटनेस ही स्वस्थ होने का एकमात्र आधार नही है; स्वस्थ होने का मतलब है मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट होना। स्वस्थ रहना हम सब की समग्र जीवनशैली का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। स्वस्थ जीवनशैली से कई एक बीमारियों और विशेषकर दीर्घकालिक बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। अपने बारे में अच्छा महसूस करना और अपने स्वास्थ्य का भली–भांति ख्याल रखना मनुष्य के आत्मसम्मान और आत्मछवि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल व सुपोषित नागरिक ही एक स्वस्थ एवं सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर संक्रमण से फैलने वाले स्वास्थ्य संबंधी प्रकोपों का सामना हम सभी अतीत से करते आ रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं और यह भी संभावित है कि आगे आने वाले समय में भी करते रहेंगे। ऐसे हालातों/परिस्थितियों में, अतीतकाल में अधिकांश देश जो नहीं कर सके, अब वे वर्तमान में उत्पन्न हुई परिस्थितियों को संभालने में सक्षम हैं या नहीं, और भविष्य में वे इस प्रकार की घटने वाली परिस्थितियों को संभालने की स्थिति में होंगे या नहीं– कहा नहीं जा सकता; यह सब आधारित है– विश्व, राष्ट्र और व्यक्ति–समूहों की तैयारी एवं क्षमता पर। तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण, वातावरण व जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त आए दिन

> प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य अथवा बीमारी का रचयिता खुद ही है।
> –भगवान महात्मा बुद्ध

अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय–स्तर पर होने वाले आवागमन के चलते, आज के युग में दुनिया के लगभग हर कोने में बड़े पैमाने पर प्रवासीकरण या विस्थापन हो रहा है। और यही परिस्थितियां विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों/बीमारियों के उद्‌भव एवं फैलने को बढ़ावा देने वाले हालात उत्पन्न कर देती हैं।

अधिकतर घातक सूक्ष्म जीवाणुओं का फैलना आकस्मिक होता है किंतु फिर कभी यह जानभूझ कर भी किया जा सकता है जो कि स्वाभाविक रूप से होने वाली महामारी की तुलना में कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। विडंबना यह है कि वही वैज्ञानिक प्रगति/विकास जो महामारी जैसे दुश्वार रोगों से लड़ने में कारगर होती है, वहीं कभी–कभी शोध कार्यों के दौरान कुछ सूक्ष्म

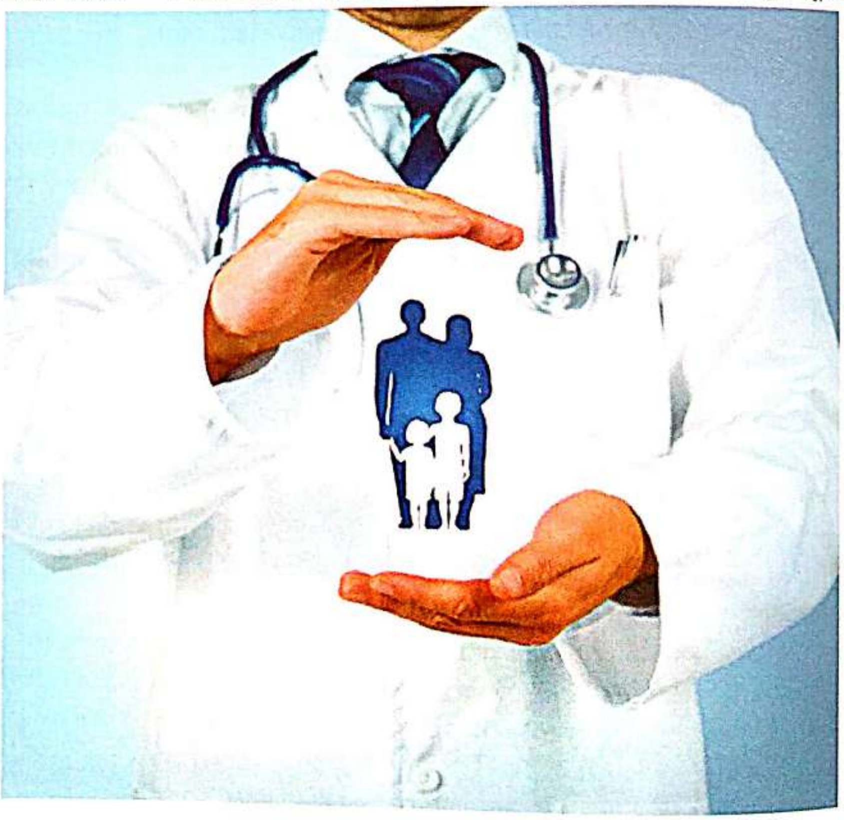

जीवाणुओं को प्रयोगशालाओं में फिर से बनाने या बदलाव लाने की अनुमति दे दी जाती है और ऐसे में कभी–कभार इन जीवाणुओं के रिसाव की घटनाएं भी सामने आई हैं जो न केवल जानलेवा बीमारियों के फैलने का कारण बनती हैं अपितु भयंकर महामारियों का भी रूप धर लेती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है– 'सक्रिय एवं प्रतिक्रियाशील दोनों तरह की गतिविधियां आवश्यक हैं– जो गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थितियों के खतरे और प्रभाव को कम करती हैं तथा भौगोलिक क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती हैं'। सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थितियों के गंभीर खतरे और प्रभावों को कम करने के लिए सक्रिय व प्रतिक्रियाशील दोनों ही तरह की गतिविधियां आवश्यक हैं जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा–पार रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी ख़तरों और जोखिमों से बचा सकें।

स्वास्थ्य सुरक्षा ना तो एकांतवाद में मौजूद रह सकती है और ना ही ऐसे में इसका अच्छा असर ही हो सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा कई एक दूसरी सुविधाओं और सुरक्षाओं पर निर्भर है जिनमें से मुख्य हैं– खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, आर्थिक/वित्तीय सुरक्षा और साथ–साथ उचित वातावरण तथा सामाजिक सहयोग व सुरक्षा। इसके लिए सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, शारीरिक गतिविधियों तथा खेल/क्रीड़ाओं के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा और एक स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के लिए मनुष्यों को एक चहुंमुखी सुरक्षा (मनोवैज्ञानिक पहलुओं सहित) कवर की आवश्यकता होती है।

अगर हम गौर से देखें तो कह सकते हैं कि मूल रूप से हमारी भारतीय स्वास्थ्य सुरक्षा काफी हद्द तक एक कमज़ोर कड़ी है– खासतौर पर दूसरे कई देशों के मुकाबले में। यह कहना मुनासिब होगा कि कोई भी राष्ट्र हर समय हर महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नही होता; अतः मुश्किल समय में हर देश के सामने ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए कई बड़ी चुनौतियां आ खड़ी होती हैं। राष्ट्र की क्षमताओं में असमानता तथा देश के प्रभावशाली नेताओं द्वारा बरती गई कुछ एक असावधानियां, जैविक खतरों के प्रति किसी देश की तैयारियों की तत्परता तथा आकस्मिकता से ऐसे खतरों का सामना करने की क्षमता के अंतर को और भी बढ़ा देती हैं।

हमारे देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में बनाई गई थी जिसमें पहला संशोधन 2002 में किया गया और अब हमारी पुनः संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 मार्च, 2017 को रिलीज़ किया था। इस संशोधित नीति के अंतर्गत सरकार ने सभी का ध्यान "बीमार की देखभाल" से हटा कर "बीमार के कल्याण" पर केंद्रित करने की सिफारिश की है। इसके अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक हृदय रोगों, मधुमेह, पुराने श्वसन–संबंधी रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों से समय–पूर्व/कम उम्र में होने वाली मृत्युदर को 25 प्रतिशत तक कम करना।

आज के दौर में भयानक दुष्प्रभाव वाली कोविड–19 की महामारी ने, भारत और विश्व के बहुत से अन्य देशों में– खासतौर पर कई एक विकसित देशों में, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे अहम् मुद्दे की कमज़ोरियों तथा खामियों को उजागर कर दिया है। अतः सभी देश अपनी जनता को ही नही अपितु वैश्विक–स्तर पर भी इस भयंकर महामारी के दुष्प्रभावों तथा खतरों से बचने/बचाने के लिए जी–तोड़ भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

इसी को मद्देनज़र रखते हुए, भारत सरकार कोविड–19 की रोकथाम और उचित प्रबंधन हेतु आर्थिक सुरक्षा को निचले पायदान पर रखकर यानी कम प्राथमिकता देने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बाध्य

पोषण अभियान

PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment

सही पोषण - देश रोशन

---

myGOV मेरी सरकार

#1YearofModi2

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)

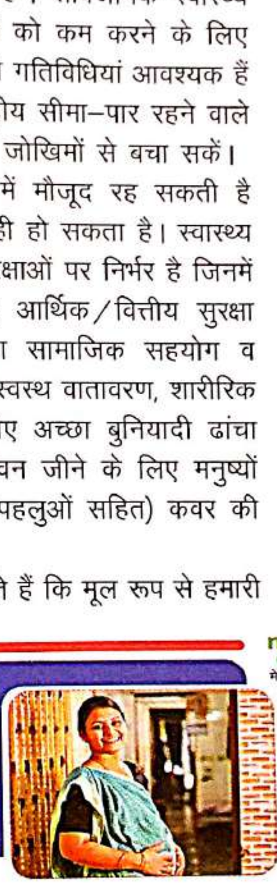

10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित **मातृत्व आश्वासन (सुमन)** लॉन्च किया गया

मातृ और नवजात शिशु मृत्यु और रुग्णताओं को रोकने और बेहतर व सुरक्षित प्रसव सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाली हर महिला और नवजात शिशु को भुगतान रहित तथा सम्मान जनक व **गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित**

दिनांक: 29 मई, 2020

हुई। हमारी सरकार ने समझदारी से कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करते हुए एक अस्थायी चरण के पश्चात, आर्थिक सुरक्षा से समझौता किए बिना, तत्कालीन मानवीय ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए उपयुक्त नीतियां बनाई हैं।

कोविड–19 की वैक्सीन ना होने के कारण प्रतिरोधक टीकाकरण व उपचार की अनुपस्थिति में भारत जैसे घनी आबादी वाले देश को किसी भी कीमत पर इस बीमारी को फैलने से रोकना अति आवश्यक था। इसी कारण, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा के निम्नलिखित चार प्रमुख स्तंभों को रेखांकित करते हुए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है:

- निवारक (रोकथाम संबंधी) स्वास्थ्य सेवाएं एवं देखभाल
- सस्ती अथवा कम दामों पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं एवं देखभाल
- उपकरणों एवं औषधियों की आपूर्ति में सुधार
- मिशन मोड रूपी हस्तक्षेप

सोचते–समझते हुए कि हमारे देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, कोविड–19 के अति–तीव्र गति से बढ़ते मामलों को संभालने की स्थिति में सक्षम नही होगी, हमारी सरकार ने कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई के पहले ही चरण के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने का विश्वस्तरीय प्रशंसित प्रारंभिक निर्णय लिया।

डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड–19 को वैश्विक महामारी घोषित करने से पहले ही, हमारे देश ने तीन पी– प्रीकोशन यानी एहतियात प्रीवेंशन यानी रोकथाम और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा से प्रेरित होकर कई एक प्रतिबंधात्मक कदम उठा लिए थे। सामाजिक दूरी के मानदंडों को सख़्ती से लागू करने के साथ–साथ, महामारी के भयानक तीसरे चरण यानी इस महामारी को सामुदायिक–स्तर पर फैलने से रोकने के लिए एक पूर्ण लॉकडाउन (23 मार्च–3 मई तक) लगाया गया। इसके साथ ही, कोविड–19 संक्रमण की पुष्टि के लिए तीव्रता से परीक्षण, नागरिकों के सशक्तीकरण, आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से संपर्क–अनुरेखण, संगरोध (आइसोलेशन) व कोविड–समर्पित अस्पतालों की सुविधाओं के साथ–साथ आयुष्मान भारत कवरेज के लिए भी अधिक–से–अधिक व्यवस्था की गई। भारत युद्धस्तर पर कोविड वैक्सीन और चिकित्सीय विकास के लिए वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में ज़ोर–शोर से हाथ बंटा रहा है।

हमारी सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के तहत, लगभग 8 करोड़ ऐसे प्रवासी श्रमिक–जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या पीडीएस योजना के लाभार्थी नही हैं, उनको तीन महीने (अप्रैल से जून 2020) के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस पैकेज के अंतर्गत, अखिल भारतीय–स्तर पर लगभग 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन सुनिश्चित किया गया जिसकी अनुमानित कुल लागत लगभग 3500 करोड़ रुपये है जिसका पूरा भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की भव्य इमारत पांच मज़बूत स्तंभों पर टिकी है।

- पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था– एक ऐसी इकॉनॉमी जो वृद्धिशील परिवर्तनीय नहीं बल्कि तीव्र उछाल लाए।
- दूसरा स्तंभ– एक ऐसी आधारिक संरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
- तीसरा स्तंभ– एक ऐसी व्यवस्था–प्रणाली जो गत शताब्दी की रीति–नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली प्रौद्योगिकी प्रवृत्त व्यवस्थाओं पर आधारित हो।
- चौथा स्तंभ– हमारे देश की जनसांख्यिकी जो दुनिया के इस सबसे बड़े जनतंत्र की ताकत है।
- पांचवां स्तंभ है– हमारी अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति शृंखला का चक्र।

'सर्वम् आत्म वशं सुख' अर्थात, जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है वही असीम सुख है। आत्मनिर्भरता मनुष्य को सुखी, संतोषजनक एवं सशक्त बनाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना– "21वीं सदी को भारत की सदी बनाना" हमारे 130 करोड़ देशवासियों की ऊर्जा, विश्वास और मज़बूत प्रण पर टिका है।

निसंदेह स्वास्थ्य सुरक्षा और मानव सुरक्षा एक–दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हैं– एक स्वस्थ व्यक्ति/समाज ही समुदाय को सुरक्षित बनाने में योगदान कर सकते हैं जो अंततः राष्ट्र सुरक्षा को मज़बूत करने में सक्षम हैं। अतः सभी देशों की सरकारें जल्द–से–जल्द स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की ओर अग्रसर हैं। साथ ही, हर देश को अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा क्षमता की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और उसके परिणामों को कम–से–कम हर दो साल में एक बार

प्रकाशित करना चाहिए ताकि राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जोखिमों के कारकों पर अंकुश लगाया जा सके।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत 195 देशों में से 57वें पायदान पर आता है। (वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट, 2019) भारत में, उपचार लागत में बढ़ोत्तरी के कारण स्वास्थ्य व देखभाल सेवाएं पहुंच से बाहर हो गई हैं। हमारे देश में, स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.28 प्रतिशत (2017–18) था जिसमें केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात 37:63 (1 हिस्सा केंद्र और 2 हिस्से राज्यों के) था।

भारत की राज्य–स्तरीय रोग भार पहल (2017) के अनुसार, संचारी रोग, मातृत्व व नवजात शिशु एवं पोषण संबंधी बीमारियों का बोझ (जो विकलांगता–समायोजित जीवन वर्ष/DALYs द्वारा मापा जाता है)– 61 प्रतिशत (1990) से घटकर 33 प्रतिशत पर (2016) आ गया है।

परन्तु दूसरी ओर, गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) का बोझ 30 प्रतिशत (1990) से बढ़कर 55 प्रतिशत (2016) हो गया है।

हाल ही में हमारी सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रबल बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा पैकेज की घोषणा की है जिससे एकांत वार्डों और आईसीयू बेडों की संख्या बढ़ाना, चिकित्सा/परा–चिकित्सा से जुड़े डॉक्टरों व दूसरे कार्यकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण, परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाना, पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) किटों का निर्माण, फेस मास्क (2/3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन–95 मास्क) और हेंड सेनिटाइज़र के साथ–साथ 800 से अधिक समर्पित कोविड अस्पतालों के निर्माण का प्रावधान है। इनके अलावा, वेंटिलेटर, पीपीई किट, फेस मास्क/सर्जिकल मास्क और कोविड–19 परीक्षण किटों के आयात पर सीमा शुल्क/अन्य करों में भी छूट दी गई है।

साथ ही, बीमा योजना के तहत, कोविड–19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आपातकालीन संकटों और आपदाओं से संबंधित (मानव–निर्मित या प्राकृतिक) मुद्दों को संबोधित करने हेतु एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट पीएम केयर्स फंड भी बनाई गई है।

आयुष्मान भारत

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी–2017) के अंतर्गत अनुशंसित भारत की प्रमुख योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण से शुरू की गई। इसे सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) और इसकी आधारभूत प्रतिबद्धता– 'कोई भी पीछे न छूटे' को प्राप्त करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। इसके अंतर्गत व्यापक–स्तर पर आवश्यकता–आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ–साथ प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर समग्र स्वास्थ्य देखभाल (रोकथाम, पदोन्नति और एम्बुलेटरी केयर) को संबोधित करना है। इस निरंतर देखभाल के दृष्टिकोण को कार्यान्वित/पूरा करने में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) मददगार है। देशभर में स्थापित 20,700 एचडब्ल्यूसी के माध्यम से जन–स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों के करीब लाने का प्रयास किया गया है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई) जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है और इसके तहत सार्वजनिक/निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर गरीब–वंचित ग्रामीण परिवारों/शहरी श्रमिकों के परिवारों को 5 लाख/परिवार/वर्ष का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाता है।

कोरोनावायरस की लड़ाई में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई है जिसके तहत महिला जन–धन खाताधारकों (20 करोड़) को रुपये 500 प्रतिमाह तीन महीनों के लिए मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही, लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को तीन महीनों के लिए 5 किलो गेहूं/चावल, 1 किलो दाल और अन्य खाद्य पदार्थ/व्यक्ति/माह मुफ्त मिलेंगे। अप्रैल 2020 से 3 महीने तक करीब 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंड दिया जाएगा।

'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन' के उद्देश्य से केंद्र सरकार नें म 2016 में **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** की शुरुआत की जिस धुंआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना के साथ–साथ गरीबी–रे से नीचे की महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन दि जाते हैं। अतः एलपीजी के बढ़ते हुए उपयोग से स्वास्थ्य सं विकारों, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई में कमी आएगी। 2020 तक लगभग 804 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग अधिनियम) के तहत मज़दूरी भत्ते को 182 रुपये प्रतिदिन बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है जिससे ल 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।

पोषण अभियान/राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम): सरकार द्वारा कुपोषण दूर करने के लिए जीवनचक्र दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए देशभर में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। छोटे बच्चों (0–6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य व पोषण–स्तर में समयबद्ध सुधार लाने हेतु इस महत्वाकांक्षी मिशन का गठन किया गया है और कुपोषण को (चरणबद्ध) रूप से दूर करने के लिए आगामी 3 वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य हैं: 0–6 वर्ष के बच्चों को ठिगनेपन से बचाना; एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत कमी लाना (2 प्रतिशत प्रतिवर्ष); 0–6 वर्ष के बच्चों को अल्प–पोषण से बचाना; एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत कमी लाना (2 प्रतिशत प्रति वर्ष); 6–59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत कमी लाना (3 प्रतिशत प्रतिवर्ष); 15–49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत कमी लाना (3 प्रतिशत प्रतिवर्ष); कम वजन के जन्में बच्चों की संख्या में कुल 6 प्रतिशत कमी लाना (2 प्रतिशत प्रतिवर्ष); बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण परिणामों में सुधार लाने हेतु उन्हें समुचित पोषण मुहैया कराने के लिए यह प्रधानमंत्री की अहम् योजना है। इस अभियान के तहत, घरेलू–स्तरीय यंग चाइल्ड केयर प्रोग्राम, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से उचित पोषण और बाल विकास पर परामर्श देने के लिए 15 महीने की आयु तक के बच्चों वाले घरों में 5 अतिरिक्त दौरे करने हैं। इस पहल के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 217 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इसी प्रकार, एनीमिया–मुक्त भारत कार्यक्रम (पोषण अभियान के तहत) के लिए भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एनीमिया से ग्रस्त लोगों के परीक्षण, उपचार और परामर्श हेतु 425 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ताकि एनीमिया दरों में कमी (3 प्रतिशत) आ सके।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवाई) का मुख्य उद्देश्य है– काम करने वाली गर्भवती महिलाओं की मज़दूरी के नुकसान की भरपाई करने के साथ–साथ उनके उचित आराम और समुचित पोषण को सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं को नकदी प्रोत्साहन देकर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना और कुपोषण कम करना।

योजना के अंतर्गत दी जाने वाले राशि (3 किश्तों में) सीधी लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

- पहली किश्तः 1000 रुपये; गर्भावस्था पंजीकरण के समय
- दूसरी किश्तः 2000 रुपये; गर्भावस्था के 6 माह उपरांत, किन्तु लाभार्थी के कम–से–कम एक प्रसवपूर्व जांच करवाने पर ही।
- तीसरी किश्तः 2000 रुपये; बच्चे के जन्म का पंजीकरण और उसके पहले टीकाकरण चक्र (बीसीजी; ओपीवी; डीपीटी और हेपेटाइटिस बी) की शुरुआत होने पर।

पल्स पोलियो कार्यक्रम की तरह, हर महीने की 9 तारीख को **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** चलाया जाता है और 3 महीनों में ही लगभग 9.64 लाख प्रसव–पूर्व जांच की गई हैं। गरिमापूर्ण मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए, 317 लेबर रूम/ऑपरेशन थिएटरों को लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव के तहत गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए प्रमाणित किया गया है।

मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम– एक नई मातृत्व नीति है जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति–अवकाश की अवधि को 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया है ताकि स्तनपान और शिशु की देखभाल को बढ़ावा दिया जा सके।

मानसिक देखभाल अधिनियम (2017) : मानसिक विकारों से पीड़ित रोगियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारों के वैधानिक ढांचे को मज़बूती देता है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा के साथ–साथ उन्हें इष्टतम देखभाल और सम्मान से जीने का हक़ मिले। इससे पहले वर्ष 1987 में लाए गए इस क़ानून में आत्महत्या को एक जुर्म माना जाता था जिसे नए क़ानून ने जुर्म के दायरे से बाहर कर दिया और सभी मानसिक पीड़ितों को इलाज का हक़ दिया है। साथ ही, राष्ट्रीय/राज्य–स्तरीय मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के गठन का भी प्रावधान है।

समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु तक के विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि–विवादित बच्चों की सहायता, संरक्षण एवं पुनर्वास का प्रावधान किया गया है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के 142 गृह संचालित है जिनमें ज़रूरतमंद बच्चों के लिए पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस/एचआईवी और एक्वायर्ड इम्यून

तालिका–1 : वेक्टर–जनित कुछ रोगों से जुड़े आंकड़े : रोगग्रस्तों एवं मृतकों की संख्या

वेक्टर–जनित रोग	वर्ष	रोगग्रस्तों की संख्या	मृतकों की संख्या	वर्ष	रोगग्रस्तों की संख्या	मृतकों की संख्या
मलेरिया	2016	1087285	331	2020	29340	2
डेंगू	2015	99913	220	2019	136422	132
जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई)	2014	1661	293	2020	111	0
एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस)	2014	10867	1719	2020	1054	10
काला–अजार	2014	9241	11	2020	700	0

डेफिशिएंसी सिंड्रोम/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 का उद्देश्य है 2030 तक इस महामारी को समाप्त करना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (जून 2016) के लक्ष्य '2030 तक एड्स की महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य रुपी खतरे से बाहर करना' को मद्देनज़र रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) ने एचआईवी/एड्स एवं एसटीआई (यौन संचारित संक्रमण) को खत्म करने के काम को सात वर्षीय (2017–24) राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया है।

संशोधित राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिम (टीबी)/तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रमः भारत में हर साल लगभग 4,80,000 लोग टीबी से मरते हैं। टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017–2025) के अंतर्गत 2030 तक टीबी–मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस संसाधनों व साहसिक रणनीतियों का प्रस्ताव है।

संचारी रोगों का उन्मूलन : 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा और 2025 तक टीबी को समाप्त करने की कार्ययोजना लागू की जा रही है।

ई–स्वास्थ्यः डिजिटल इंडिया अभियान के तहत, ई–स्वास्थ्य पहल को जुलाई 2015 से सभी नागरिकों को प्रभावी, किफायती और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापक कार्य शुरू किया गया है– विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में कमी वाले लोगों के लिए।

मनोदरपन : छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को उनके मानसिक, स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा मनो–सामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है।

सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और सस्ती दवाओं की उपलब्धता – मई 2014 के बाद से मूल्य नियंत्रण कानून के तहत जीवनरक्षक दवाओं सहित लगभग 1054 आवश्यक दवाएं लाई गई हैं। AMRIT (सस्ती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण) फार्मेसियां कैंसर, हृदय रोग एवं हृदय प्रत्यारोपण की दवाओं पर 60–90 प्रतिशत छूट पर देती हैं।

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948) के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के ज़रिए रियायती दरों पर चिकित्सा व स्वास्थ्य–संबंधी देखभाल उपलब्ध कराई जाती है।

गरीबी–रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2007 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू की गई। स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के तहत 1,25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (1997) के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में, जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली प्रमुख बीमारियों के रोगियों (बीपीएल परिवारों से संबंधित) को चिकित्सा/उपचार प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण प्रोग्रामः प्रत्यारोपण और पुनर्प्राप्ति अस्पतालों और ऊतक बैंकों के देशव्यापी नेटवर्क की स्थापना के लिए उच्चतम–स्तर पर राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)– तम्बाकू के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) की शुरुआत की, जिसका मुख्यतः उद्देश्य तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना एवं तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करना है। अप्रैल 2016 से, तंबाकू पदार्थों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों ने तम्बाकू पैकों के लेबल को लगभग 85 प्रतिशत कवर कर दिया है। इसके अलावा, सितंबर 2018 से नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों में तम्बाकू पदार्थ छोड़ने हेतु हेल्पलाइन नंबर को भी शामिल किया गया है।

बीड़ी को सभी तंबाकू उत्पादों के साथ रखा गया है और इस प्रकार, 28 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) प्राप्त होता है। वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (2017) के अनुसार, तंबाकू का उपयोग 34.6 प्रतिशत (2009–10) से घटकर 28.6 प्रतिशत (2016–17) हो गया है।

राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम– देश में सबसे व्यापक और बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक है जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई), एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस), काला–अज़ार और फाइलेरियासिस जैसे वेक्टरजनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ा है।

जलशक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन का लक्ष्य है– 2024 तक घर–घर में पेयजल उपलब्ध करवाना। और जैसा कि हम जानते ही हैं स्वच्छ व प्रदूषण रहित जल हमें कई एक बीमारिओं व संक्रमणों से बचाता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए सुरक्षित, सुलभ, उच्च गुणवत्ता, मनुष्य–केंद्रित और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली न केवल रोगियों को ही अपितु परिवारों, समुदायों और सामान्य रूप से जन–जन की स्वास्थ्य देखभाल के लिए जिम्मेदार है।

स्वास्थ्य सेवा के साथ–साथ यह बहुत ज़रूरी है कि लोगों का खान–पान अच्छा हो, सुरक्षित हो, पौष्टिक हो और पर्याप्त हो जो उनका पोषण–स्तर बरक़रार रखे। समुचित/पर्याप्त पोषण एवं संतुलित आहार न केवल मनुष्य को कुपोषण से ही बचाता है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए एक ठोस आधार भी देता है। साथ ही मधुमेह, हृदय रोगों, कुछ प्रकार के कैंसर और मोटापे से जुड़ी अन्य बीमारियों सहित गैर–संचारी रोगों से बचाव में भी मदद करता है। शोध बताते हैं कि फल, सब्जियां, दालें, अनाज और मेवें पौष्टिकता के नज़रिए से सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ हैं। इनके विपरीत नमक, चीनी और वसा की ज़्यादा मात्रा नुकसानदेह है, विशेषकर संतृप्त और ट्रांस वसा; इनका ज़्यादा मात्रा में सेवन शरीर को नुकसान देने के साथ–साथ विभिन्न रोगों का प्रमुख कारण भी है। खाने की अच्छी आदतें जीवन में बचपन से ही डाल देनी चाहिए। बच्चों और माता–पिता के लिए पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, खाने–पीने की अच्छी आदतें डालने में मदद करती हैं और इनके स्वास्थ्य लाभ मनुष्य को आजीवन मिलते रहते हैं।

'संतुलित आहार' से तात्पर्य है ऐसा आहार जिसमें भिन्न–भिन्न खाद्य वर्गों या गुटों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ एक ऐसे उचित अनुपात में शामिल हों कि जिसके सेवन से कथित व्यक्ति की सभी आवश्यक पौष्टिक तत्वों तथा गैर–पोषक तत्वों की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकें।

इसके विपरीत, अनुचित आहार, शारीरिक गतिविधियों में कमी और मादक द्रव्यों का सेवन (शराब, तंबाकू और ड्रग्स) स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमों और कई एक बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में पौष्टिक आहार ग्रहण करना मुश्किल हो सकता है, विशेष रूप से निम्न या मध्यम आय वाले परिवारों में एवं खाद्य और पोषण असुरक्षा की स्थितियों में। हमारे देश में ही नही अपितु विश्व भर में करोड़ों लोगों को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता; किंतु भुखमरी, अल्प–पोषण व कुपोषण को दूर करना हमारी सबकी अहम ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।

तेजी से हो रहे अनियोजित शहरीकरण, बदलती हुई जीवनशैली और अत्यधिक मात्रा में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन ने लोगों के खानपान को बहुत प्रभावित किया है और उनका दैनिक आहार अधिक ऊर्जा, वसा, शर्करा व नमक–युक्त हो गया है। इसके कारण लोगों में अक्सर कई बीमारियों का प्रसार देखा गया है, खासतौर पर गैर–संचारी रोग जैसे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, मानसिक रोग आदि।

हालांकि, पौष्टिकता–युक्त आहार के मूल सिद्धांत सभी के लिए एक हैं; किन्तु हर व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं, स्थानीय/मौसमी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, आहार संबंधी आदतें व रीति–रिवाज, सांस्कृतिक/व्यावहारिक मानदंड और अन्य कई कारणों से लोगों के आहार में काफी विभिन्नता हो सकती है।

व्यापक रूप से, आहार से प्राप्त होने वाली ऊर्जा (यानी सेवन) और ऊर्जा की ख़पत में एक संतुलन बना रहना चाहिए ताकि मनुष्य का वज़न बरकरार रहे– न मोटापा और न ही वज़न में कमी/पतलापन। साथ ही, आहार में उपयुक्त मात्रा में अच्छी किस्म का प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा (उचित मात्रा में ओमेगा–3 व ओमेगा–6 फैटी एसिड्स और न्यूनतम मात्रा में ट्रांस वसा) और सभी महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज लवण, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होने चाहिए। अतः आहार में ताज़े फल और सब्जियों को शामिल करने पर पर्याप्त ज़ोर दिया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार सोडियम के सेवन को 2 ग्राम/दिन (जो 5 ग्राम नमक/दिन के बराबर है) तक सीमित रखना चाहिए तथा चीनी को दैनिक ऊर्जा के 10 प्रतिशत से कम और हो सके तो दैनिक ऊर्जा के 5 प्रतिशत से कम ही रखा जाना चाहिए।

विश्व के सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा और संयुक्त राष्ट्र के पोषण संबधित फैसलों (2016–2025) का समर्थन करते हुए, डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के सहयोग से दुनिया को कुपोषण से मुक्त के लिए एकजुट होकर काम करता है। एसडीजी आने वाले भविष्य के लिए एक साहसिक व महत्वाकांक्षी एजेंडा प्रदान करते हैं।

उपरोक्त सभी अधिनियम, नीतियां और देशभर में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम जन–जन की स्वास्थ्य सुरक्षा को मज़बूत करने में मदद करते हैं। एसडीजी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के साथ–साथ डब्ल्यूएचओ तथा संयुक्त राष्ट्र की अन्य संस्थाओं द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन व सहयोग हमारे देश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

हमारे देश और हम सभी देशवासियों का लक्ष्य है भारत को एक स्वस्थ, सुंदर, खुशहाल, आत्मनिर्भर एवं सशक्त राष्ट्र बनाना!

'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः'

(डॉ. संतोष जैन पासी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण सलाहकार हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स (दिल्ली विश्वविद्यालय), में निदेशक रह चुकी हैं; सुश्री आकांक्षा जैन भगिनी निवेदिता कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) में सहायक प्रोफेसर (खाद्य एवं पोषण) हैं।

ई–मेल : sjpassi@gmail.com, jainakanksha24@gmail.com

कोरोना योद्धा भारतीय वैज्ञानिक

–निमिष कपूर

कोविड–19 से मुकाबले के लिए पूरे देश में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, पत्रकार और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग दिन–रात एक कर रहे हैं। इन सभी कोरोना योद्धाओं के बीच कुछ ऐसे वैज्ञानिक योद्धा भी हैं जो देश की विज्ञान प्रयोगशालाओं में ऐसे अनुसंधान, खोज और तकनीकी विकास कर रहे हैं जो हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए हैं। इस लेख में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए देश की प्रयोगशालाओं में हो रहे कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

कोविड–19 से मुकाबले के लिए पूरे देश में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, पत्रकार और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग दिन–रात एक कर रहे हैं। इस अप्रत्याशित वैश्विक महामारी में कोरोना वायरस से बचने के लिए साबुन व पानी से हाथ धोने, मास्क का प्रयोग और सामाजिक या शारीरिक दूरी की अनिवार्यता का भी सभी पालन कर रहे हैं, और इन पर जागरूकता के लिए चयनित एजेंसियां दिन–रात प्रचार कर रही हैं। इन सभी कोरोना योद्धाओं के बीच कुछ ऐसे वैज्ञानिक योद्धा भी हैं जो देश की विज्ञान प्रयोगशालाओं में ऐसे अनुसंधान, खोज और तकनीकी विकास कर रहे हैं जो हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी प्रयोग अस्पतालों या उद्योगों के ज़रिए हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन शोध की तकनीकी भाषा सामान्य शब्दों में हम तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारी प्रयोगशालाओं के तमाम अनुसंधानों से हम अनजान रह जाते हैं।

आज देश की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सुगंधित तेलों और वानस्पतिक यौगिकों पर शोध हो रहे हैं, जो वायरस तथा सांसजनित रोगों से लड़ने में कारगर हैं। रोग–प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए हर्बल उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के उन्नत मास्क बनाए जा रहे हैं, जिसके संपर्क में आने पर वायरस निष्क्रिय हो सकते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हानिकारक सूक्ष्मजीवों तथा वायरस के शोधन और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए "इलेक्ट्रोस्टैटिक सूक्ष्मजीव–शोधन मशीन" का विकास किया गया है। कोविड–19 मरीजों के लिए उच्च प्रोटीन बिस्किट बनाए गए हैं। जागरूकता के लिए "वॉश करो" एप का निर्माण किया गया है। कोविड–19 के परीक्षण के लिए रैपिड पॉइंट–ऑफ–केयर टेस्ट किट का विकास किया गया है, जो सामान्य परीक्षण के मुकाबले बहुत कम समय लेता है। रोबोटिक डिवाइज़ बनाई गई हैं। वस्तुओं को कीटाणु–मुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन कैबिनेट व नोट्सक्लीन विकसित किए गए हैं।वैज्ञानिकों द्वारा विशेष वेबसाइट के ज़रिए भारतीय भाषाओं में कोविड जागरूकता का प्रचार किया जा रहा है।

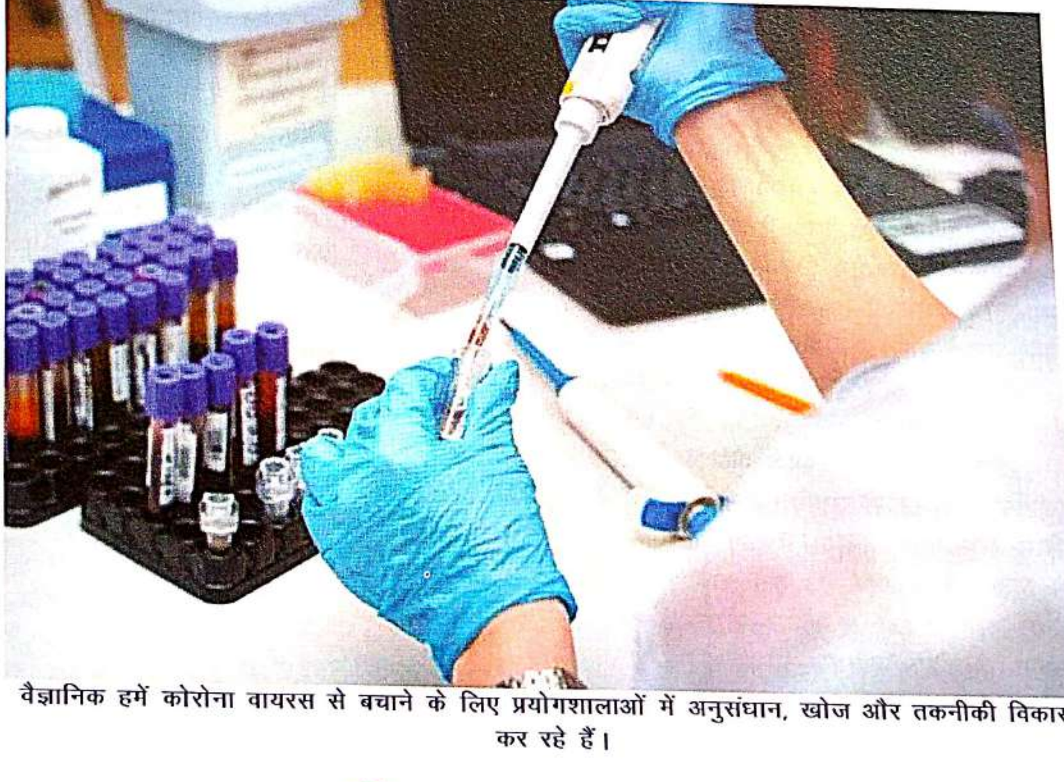

वैज्ञानिक हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रयोगशालाओं में अनुसंधान, खोज और तकनीकी विकास कर रहे हैं।

इस लेख में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए देश की प्रयोगशालाओं में हो रहे कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिनको जानकर हम वैज्ञानिक योद्धाओं का सम्मान कर सकेंगे जो 24 घंटे कोविड–19 महामारी से मानव सभ्यता को बचाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने के लिए पॉलीसल्फोन मास्क

केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मास्क के निर्माण का दावा किया है जिसके संपर्क में आने पर वायरस निष्क्रिय हो सकते हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार इस विशेष मास्क की बाहरी छिद्रयुक्त झिल्ली को संशोधित पॉलीसल्फोन नामक पदार्थ के कपड़े से बनाया गया है, जिसकी मोटाई 150 माइक्रोमीटर है। एक माइक्रोमीटर यानी मीटर का दस लाखवां हिस्सा। यह पदार्थ 60 नैनोमीटर या उससे अधिक किसी भी वायरस को नष्ट कर सकता है। ज्ञात हो कि एक नैनोमीटर एक मीटर का एक अरबवां भाग होता है। कोरोना वायरस का व्यास 80 से 120 नैनोमीटर के बीच है।

इस मास्क को चिकित्सीय मान्यता मिल जाती है, तो कोविड–19 के प्रकोप से जूझ रहे आम लोगों के साथ–साथ चिकित्साकर्मियों, बैंक स्टाफ और भीड़भाड़ वाली जगहों पर कार्य करने वाले लोगों को बीमारी के खतरे से बचाने में मदद मिल सकती है। इसकी बाहरी परत वायरस, फंगल एवं बैक्टीरिया प्रतिरोधी है। इसका अर्थ है कि इसकी बाहरी परत के संपर्क में आने पर कोई भी रोगजनक सूक्ष्मजीव नष्ट या निष्क्रिय हो सकता है। इस तरह देखें तो यह एन–95 मास्क से भी बेहतर साबित हो सकता है। इस मास्क की एक खासियत यह भी है कि इसे धोकर दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इसकी लागत और कीमत भी आम व्यक्ति की जेब के मुताबिक है।

वायरस तथा सांसजनित रोगों से लड़ने में कारगर सुगंधित तेलों पर आधारित एक खास फॉर्मूला 'सिम–रेस्प–कूल'

बैक्टीरियल नैनो सेलुलोज़ तकनीक से विकसित फिल्टरेशन मास्क

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे ने ऐसे फेस–मास्क विकसित किए हैं, जिनकी फिल्टरेशन क्षमता बाज़ार में उपलब्ध इस तरह के अन्य उत्पादों से बेहतर है। एनसीएल के वैज्ञानिकों ने नया फेस–मास्क विकसित करने के लिए नैनो कोटिंग के साथ अपने संस्थान की पेटेंट की हुई बैक्टीरियल नैनो सेलुलोज़ तकनीक का उपयोग किया है। बैक्टीरियल सेलुलोज़ और नैनो सामग्री के घोल से उपचारित सूती कपड़े को बैक्टीरिया के विकास और उसके प्रवेश को रोकने में प्रभावी पाया गया है।

वायरस और सांस की परेशानियों से लड़ने के लिए सिम–रेस्प–कूल

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स (सीमैप), लखनऊ ने सुगंधित तेलों पर आधारित एक खास फॉर्मूला 'सिम–रेस्प–कूल' बनाया है, जो वायरस तथा सांसजनित रोगों से लड़ने में कारगर है। इसे पांच सुगंधित तेलों से विकसित किया गया है जो न केवल रोगाणुओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के प्रबंधन के लिए सहायक पाया गया है, बल्कि वायरस सहित पर्यावरणीय प्रदूषकों तथा सांसजनित रोगों में भी सहायक हो सकता है। सिम–रेस्प–कूल को लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के कोरोना वार्डों में मूल्यांकन के लिए सौंपा गया है।

इस फॉर्मुलेशन से न केवल वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है, बल्कि यह सुगंध भी प्रदान करता है। फॉर्मुलेशन को विकसित करने के लिए सुगंधित तेलों– मेंथा, रोज़मेरी, तुलसी आदि का उपयोग किया गया है। वैज्ञानिक परीक्षण में यह उत्पाद सुरक्षित पाया गया और इसका उपयोग घर, ऑफिस, अस्पताल आदि में किसी भी तरह के डिफ्यूज़र में किया जा सकता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न प्रकार की बीमारियों में औषधि के तौर पर सुगंधित तेलों का उपयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। इन सुगंधित तेलों को ह्यूमिडिफायर से वाष्पीकरण करके उपयोग किया जा सकता है। बाजार में उपलब्ध अधिकतर वेपराइज़र उत्पाद आमतौर पर सिंथेटिक रसायन से बने होते हैं और एलर्जी पैदा कर सकते हैं। सीमैप द्वारा बनाया गया यह फॉर्मुलेशन प्राकृतिक सुगंधित तेलों से तैयार किया गया है, जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है।

कोविड–19 संक्रमण से लड़ने के लिए सीमैप के हर्बल उत्पाद

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स (सीमैप), लखनऊ के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दो नए हर्बल उत्पाद विकसित किए हैं। ये हर्बल उत्पाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के साथ–साथ सूखी खांसी के लक्षणों को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं, जिसका संबंध आमतौर पर कोविड–19 संक्रमण में देखा गया है।

सीमैप ने अपने हर्बल उत्पादों 'सिम–पोषक' और 'हर्बल कफ सिरप' की तकनीक को उद्यमियों और स्टार्टअप कंपनियों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, जो शीघ्र बाजार में उपलब्ध होंगे। ये दोनों उत्पाद प्रतिरक्षा को बढ़ाने में प्रभावी पाए गए हैं। इन उत्पादों में पुनर्नवा, अश्वगंधा, मुलेठी, हरड़, बहेड़ा और सतावर सहित 12 मूल्यवान जड़ी–बूटियों का उपयोग किया गया है। सीमैप के प्रमुख शोधकर्ता ने कहा है कि "वैज्ञानिक अध्ययनों में 'सिम–पोषक' को बाजार में उपलब्ध दूसरे प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों की तुलना में बेहतर पाया गया है। यह अन्य उत्पादों के मुकाबले सस्ता भी है तथा इसे जैविक परीक्षणों में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। इसी तरह, हर्बल कफ सिरप को आयुष मंत्रालय के नवीनतम दिशा–निर्देशों के आधार पर विकसित किया गया है, और इसे आयुर्वेद के 'त्रिदोष'सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया है।"

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति

की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सीमित कर देता है। यह भी देखा गया है कि इस महामारी ने ज्यादातर कम प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार संक्रमण के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है और कोविड–19 से लड़ने में कारगर साबित हो सकता है।

कोरोना वायरस के खात्मे के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सूक्ष्मजीव–शोधन मशीन

केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईओ), चंडीगढ़ ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हानिकारक सूक्ष्मजीवों तथा वायरस के शोधन और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए "इलेक्ट्रोस्टैटिक सूक्ष्मजीव–शोधन मशीन" का विकास किया है। परीक्षणों में कोरोना वायरस और रोगाणुओं के प्रसार को रोकने में इस तकनीक को बहुत प्रभावी पाया गया है।

इलेक्ट्रोस्टैटिक सूक्ष्मजीव–शोधन मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के आधार पर विकसित की गई है। यह सूक्ष्मजीवों और वायरस को ख़त्म करने के लिए 10–20 माइक्रोमीटर (एक मीटर का दस लाखवां भाग) के आकार के कीटाणुनाशक की एक समान और बारीक द्रव कणों का छिड़काव करती है। बूंदों के छोटे आकार के कारण, छिड़काव की जाने वाली बूंदों का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे हानिकारक सूक्ष्मजीवों और कोरोना वायरस के साथ उन बूंदों का संपर्क बढ़ जाता है और वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं। इस मशीन से निकलने वाली आवेशित बूंदें, छिड़काव किए जाने वाले क्षेत्रफल को समान दक्षता और प्रभाव के साथ कवर करती हैं, जहां भी वायरस होने की संभावना होती है। इस प्रकार यह बहुत प्रभावी ढंग से रोगाणुओं को खत्म करती है या फिर उनके विकास को रोक सकती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस तकनीक को एक कंपनी को हस्तांतरित किया गया है।

वायरस के शोधन और स्वच्छता के लिए "इलेक्ट्रोस्टैटिक सूक्ष्मजीव–शोधन मशीन" का विकास

कोविड–19 के खिलाफ तैनात रोबोट–हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइज़

अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मियों के संक्रमित होने का सर्वाधिक खतरा रहता है। अब एक रोबोट इस जोखिम को कम करने में मदद कर रहा है। रोबोट 'हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइज़' (एचसीएआरडी), कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों से शारीरिक दूरी बनाए रखकर उनकी देखभाल करने में मदद कर रहा है, जिससे अग्रिम पंक्ति में तैनात स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संक्रमित होने का खतरा कम हो सकता है।

एचसीएआरडी का निर्माण सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर ने किया है। यह रोबोट नेवीगेशन, ड्रॉअर एक्टिवेशन जैसी खूबियों वाले कंट्रोल स्टेशन के साथ एक नर्सिंग बूथ द्वारा नियंत्रित एवं मॉनीटर किया जा सकता है, जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस है और ऑटोमैटिक एवं नेवीगेशन के मैनुअल मोड में काम करता है। इस रोबोट का उपयोग रोगियों को दवाएं एवं भोजन उपलब्ध कराने, नमूना संग्रह करने तथा ऑडियो–विजुअल कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा है। संस्थान के अनुसार, "यह हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइज़ सेवाएं प्रदान करने एवं अनिवार्य शारीरिक दूरी बनाते हुए कोविड–19 मरीजों की देखभाल करने वाले अग्रिम पंक्ति में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मददगार हो सकता है।"

स्वचालित व संपर्करहित खास 'अल्ट्रा–वायलट सी (यूवीसी) सेनिटाइजेशन कैबिनेट' और स्वचालित अवरक्त विकिरण मुद्रा स्वच्छीकरण उपकरण 'नोट्सक्लीन'

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल के लिए रोबोट "हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस"

कोविड–19 संक्रमण रोकने के लिए वानस्पतिक यौगिकों का परीक्षण

नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआई), लखनऊ के वैज्ञानिक कोविड–19 से मुकाबले के लिए रोग–प्रतिरोधी वानस्पतिक औषधियों पर शोध कर रहे हैं। इसके लिए एनबीआरआई ने लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के साथ करार किया है।

इस समझौते के तहत एनबीआरआई में वायरस संक्रमण रोकने के लिए वानस्पतिक यौगिकों का परीक्षण किया जा रहा है। औषधीय पादप विविधता के अध्ययन से प्राप्त वानस्पतिक यौगिक एनबीआरआई के यौगिक बैंक में सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक जैव–रसायनिक, जैविक और अजैविक परीक्षणों के माध्यम से वानस्पतिक यौगिकों की वैधता की जांच कर रहे हैं। सभी आवश्यक पूर्व–चिकित्सीय अध्ययनों के बाद, केजीएमयू द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किए जाएंगे। इस शोध में पादप आधारित स्वास्थ्य उत्पाद और दवाएं विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है। इस संस्थान में कई ऐसे वानस्पतिक यौगिक मौजूद हैं जिनका उपयोग कोविड–19 के साथ–साथ मोटापे, गठिया और कैंसर जैसे रोगों के उपचार की दवाओं के विकास से जुड़े शोधों में किया जा सकता है।

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तुलसी के तेल से युक्त हैंड सेनिटाइजर

हर्बल स्प्रे और तुलसी तेल युक्त सेनिटाइजर

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य है। पुलिस, डॉक्टर, बैंककर्मी, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को लंबे समय मास्क लगाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई बार सांस लेने में घुटन महसूस होती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इन्हैलर के रूप में एक हर्बल डीकंजेस्टेंट स्प्रे विकसित किया है, जो इस समस्या से निजात दिलाने में मददगार हो सकता है।

एनबीआरआईके शोधकर्ताओं द्वारा तैयार इस हर्बल स्प्रे के शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं। देर तक मास्क पहनने वाले लोगों को इससे काफी राहत मिल रही है। इस हर्बल स्प्रे को औषधीय और सगंध पौधों से तैयार किया गया है और इसका उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित है। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तुलसी के तेल जैसे औषधीय तत्वों से युक्त एक हैंड सेनिटाइज़र बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनाया गया यह अल्कोहल आधारित हैंड सेनिटाइजर है, जिसे कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) के अरोमा मिशन के अंतर्गत तैयार किया गया है।

इसमें औषधीय घटक के रूप में तुलसी के तेल का उपयोग किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि तुलसी के तेल में कीटाणुओं को मारने में सक्षम प्राकृतिक रूप से रोगाणु–रोधी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा, सेनिटाइज़र में 60 प्रतिशत आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग किया गया है। इस उत्पाद की रोगाणु–रोधी गतिविधि के लिए इसका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण भी किया गया है। सेनिटाइज़र की तकनीक को व्यावसायिक उत्पादन के लिए उद्योग को हस्तांतरित किया गया है।

कोविड–19 के खिलाफ मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मज़बूत करने पर शोध

देश में कोविड–19 के खिलाफ मानव शरीर के प्रतिरक्षा–तंत्र को मज़बूत करने पर शोध किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) एवं भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, प्रतिरक्षा तंत्र को मज़बूती प्रदान करने के उपाय खोज रहा है, जिससे शरीर स्वयं को कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तैयार कर सकता है।

सीएसआईआर सेप्सिवैक नामक इम्युनोमॉड्यूलेटर (प्रतिरक्षा तंत्र को प्रबल करने की औषधियां) के अलग–अलग उपयोगों पर शोधरत है, ताकि कोविड–19 संक्रमण शरीर में निष्क्रिय हो सके और संक्रमित मरीजों को जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिल सके। सेप्सिवैक से कोविड–19 से ग्रस्त मरीजों के नजदीकी संपर्क में रहकर काम करने वाले हेल्थकेयर स्टाफ की प्रतिरक्षा क्षमता को मज़बूत करके उन्हें इस महामारी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ, अस्पताल में भर्ती कोविड–19 के मरीजों

को भी इसकी मदद से बीमारी से उबरने में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दवा का उपयोग यदि प्रभावी पाया गया तो इससे कोविड –19 को उस स्तर पर पहुंचने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकेगा, जब मरीजो को वेंटीलेटर की ज़रूरत पड़ती है।

इसी प्रकार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों एवं वानस्पतिक यौगिकों पर शोध जा रहे हैं, जिससे कि गिलोय, अश्वगंधा, आंवला आदि औषधीय पौधों का प्रयोग प्रतिरक्षा–तंत्र को मज़बूत करने के लिए किया जा सके।

फ़्लेवोनोइड से एंटी–कोविड दवाओं के लिए संभावित परीक्षण

बायोटेक्नोलॉजी विभाग के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर) ने उन तकनीकों पर शोध आरंभ किया है जिनके द्वारा कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में योगदान दिया जा सकता है। संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम कोरोना वायरस के खिलाफ दवाओं को खोजने के लिए काम कर रही है। यह समूह पादप के प्राकृतिक उत्पादों, विशेष रूप से फ़्लेवोनोइड के अणुओं पर शोध कर रहा है, जो पर्याप्त रूप से प्रकृति में वायरल विरोधी हैं।

फ़्लेवोनोइड पौधों में व्यापक रूप से वितरित महत्वपूर्ण रंजक हैं, जो परागण के लिए कीटों, मधुमखियों को आकर्षित करते हैं। फूलों की पंखुड़ियों में रंजक रंगों का निर्माण करते हैं जो अवरक्त विकिरण से रक्षा करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ पहचान किए गए अणु की संभावित गतिविधि का परीक्षण क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के सहयोग से किया जाएगा।

कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रयुक्त होने वाली दवाओं का संश्लेषण

भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के संश्लेषण के लिए कार्य कर रही है। यह पहल मुख्य रूप से उमीफेनोवीर, रेम्डेसिविर और हाईड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के एक प्रमुख मध्यवर्ती पर केंद्रित होगी। आईआईसीटी सक्रिय औषध घटकों और दवा मध्यवर्तियों के विकास एवं विनिर्माण के लिए शोध कर रहा है। यह पहल इन घटकों के चीन से होने वाले आयात पर भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर की निर्भरता को कम करने में एक बड़ा कदम होगा।

सक्रिय औषध घटक (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएंट्स) यानी औषधियों के लिए आवश्यक घटक और दवाओं में उपयोग होने वाले मध्यवर्ती यौगिक (इंटरमेडिएट्स कंपाउंड) किसी भी दवा के दो प्रमुख तत्व होते हैं, जो लक्षित प्रभाव पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। भारत इस तत्वों की आपूर्ति के लिए विशेष रूप से चीन पर निर्भर है।

भारत मलेरियारोधी दवा हाईड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जिसकी मांग में हाल में काफी उछाल आया है। भारत की ओर से पिछले कुछ दिनों में अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों को एचसीक्यू भेजी गई है। इस शोध का परिणाम प्रमुख कच्चे मालों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के साथ किफायती प्रक्रिया के अमल के रूप में सामने आएगा। इसके अतिरिक्त, रेम्डेसिविर, जिसे पहले इबोला वायरस रोगियों को दिया जाता रहा है। वर्तमान में कोविड–19 के खिलाफ प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

कोविड–19 मरीजों के लिए उच्च प्रोटीन बिस्किट

केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर द्वारा कोविड–19 के मरीजों को ध्यान में रखकर उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा से युक्त ये पौष्टिक बिस्किट मरीजों को कोविड–19 से जल्दी उबरने में मदद कर सकते हैं। अस्पतालों में ये उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि इसे कोविड–19 से प्रभावित मरीजों के आहार में शामिल किया जा सके।

इस बिस्किट में गेहूं का आटा, मैदा, चीनी, हाइड्रोजेनेटेड फैट, सोया आटा, व्हे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, दूध, ग्लूकोज़, नमक और फ्लेवर्स का उपयोग किया गया है। इस बिस्किट के 100 ग्राम के पैकेट से 400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है। इसके पोषण मूल्य में कार्बोहाइड्रेट (63.2 ग्राम), प्रोटीन (14 ग्राम), वसा (17.1 ग्राम) और खनिज (1.2 ग्राम) शामिल हैं। कोविड–19 के मरीजों के लिए विशेष रूप से बनाए गए इस बिस्किट में प्रोटीन की मात्रा 14 प्रतिशत है, जो 8–9 प्रतिशत प्रोटीन वाले आम बिस्किट की तुलना में काफी अधिक है।

कोविड–19 के लिए टीकों के विकास का समर्थन

बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कोविड–19 के लिए टीकों के विकास का समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से प्रगति कर रहा है। कोविड–19 से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे वरीयता प्राप्त निवारक उपाय है। हालांकि, मानव उपयोग के लिए एक वैक्सीन का मूल्यांकन करने के लिए कई अनिश्चितताओं और प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है जिसमें देश और दुनिया के वैज्ञानिक शोधरत हैं। आज वैक्सीन निर्माण से जुड़े जिन प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक तलाश रहे हैं, उन प्रश्नों में शामिल हैं– वैक्सीन कंडिडेट की अर्हता प्राप्त करने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए? वैक्सीन की क्रिया का तंत्र क्या होना चाहिए? और एक विशेष टीका कब तक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा?

कोविड–19 रोगियों के नमूनों पर उन्नत मानव इम्यूनोलॉजी जांच लागू करके इन सवालों को हल किया जा सकता है। इन सवालों के समाधान के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान उन्नत इम्यूनोलॉजी सेटअप के साथ शोधरत है। कोविड–19 वैक्सीन के मूल्यांकन के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए भी

सक्रिय रूप से काम कर रही है। कोविड–19 के लिए गठित राष्ट्रीय कंसोर्टियम में संयुक्त रूप से बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बी.आई.आर.ए.सी.) के संयुक्त प्रयासों के तहत इस कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। दिल्ली–एनसीआर में स्थित नैदानिक केंद्रों से मरीजों के नमूने एकत्र करने के लिए गठित डीबीटी कोविड–19 रिसर्च कंसोर्टियम में मरीजों के नमूने उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे संभावित वैक्सीन के मूल्यांकन से जुड़े इन प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

कोविड–19 जागरूकता के लिए 'वॉश करो' एप

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.)–वेलकम ट्रस्ट एवं इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली द्वारा कोविड–19 जागरूकता के लिए "वॉश करो" एप विकसित किया गया है। एंड्रॉइड–आधारित एप "वॉश करो" पूर्ण इन्फोडेमिक (सूचनाओं की महामारी, जो कोरोनावायरस से जुडी भ्रांतियों के रूप में फ़ैल रही है) के प्रबंधन टूल के रूप में कार्य करता है। इसे 8 अप्रैल, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। 'वाश करो' एप का लक्ष्य सही समय पर, आसान शब्दों में, सभी लोगों को सही जानकारी प्रदान करना है। इस ऐप का उद्देश्य जनता की मदद करना है, और इसकी अद्यतन सामग्री को हिंदी में उन लोगों के लिए आडियो के रूप में उपलब्ध किया गया है, जो पढ़ने में सक्षम नहीं हैं।

कोविड –19 के परीक्षण के लिए रैपिड पॉइंट–ऑफ–केयर टेस्ट का विकास

बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएबीआई), मोहाली के वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस के लिए रैपिड डिटेक्शन स्ट्रिप विकसित की है। इस अनुसंधान में वैज्ञानिकों ने कोविड–19 के परीक्षण के लिए रैपिड पॉइंट–ऑफ–केयर टेस्ट का विकास किया है, जोकि कोरोना वायरस का पता काम समय में लगाएगा। कोविड–19 की जांच में आरटी–पीसीआर जैसे पारंपरिक परीक्षण में 6 से 8 घंटे लगते हैं, जिसमें लंबा प्रोटोकॉल भी शामिल है और व्यावसायिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जबकि रैपिड पॉइंट–ऑफ–केयर टेस्ट ने परीक्षण के समय को लगभग 2 घंटे तक कम कर दिया है और इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है।

इस शोध के लिए एनएबीआई और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के बीच एक अनुबंध हुआ है, जो वायरल डिटेक्शन के लिए एप्टैमर आधारित विधियों का विकास करता है। इस संबंध में, दोनों संबंधित समूह अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं।

कीटाणु–मुक्त करने के लिए विकसित सेनिटाइज़ेशन कैबिनेट व नोट्सक्लीन

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रमुख प्रयोगशाला, रिसर्च सेंटर इमारत (आरसीआई), हैदराबाद ने एक स्वचालित व संपर्करहित खास अल्ट्रा–वायलट–सी (यूवीसी) सेनिटाइज़ेशन कैबिनेट विकसित किया है, जिसे डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा–वायलेट सेनिटाइज़र (डीआरयूवीएस) नाम दिया गया है। इसे मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, कागज, लिफाफे आदि को कीटाणु–मुक्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डीआरयूवीएस कैबिनेट का संपर्क–रहित संचालन किया जा रहा है, जो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेंसर स्विच तथा दराज को खोलने और बंद करने की सुविधा–इसके संचालन को स्वचालित और संपर्करहित बनाती है। आरसीआई द्वारा एक स्वचालित अवरक्त विकिरण मुद्रा स्वच्छीकरण उपकरण 'नोट्सक्लीन' भी विकसित किया गया है जो नोटों को वायरस या बैक्टीरिया से मुक्त करेगा।

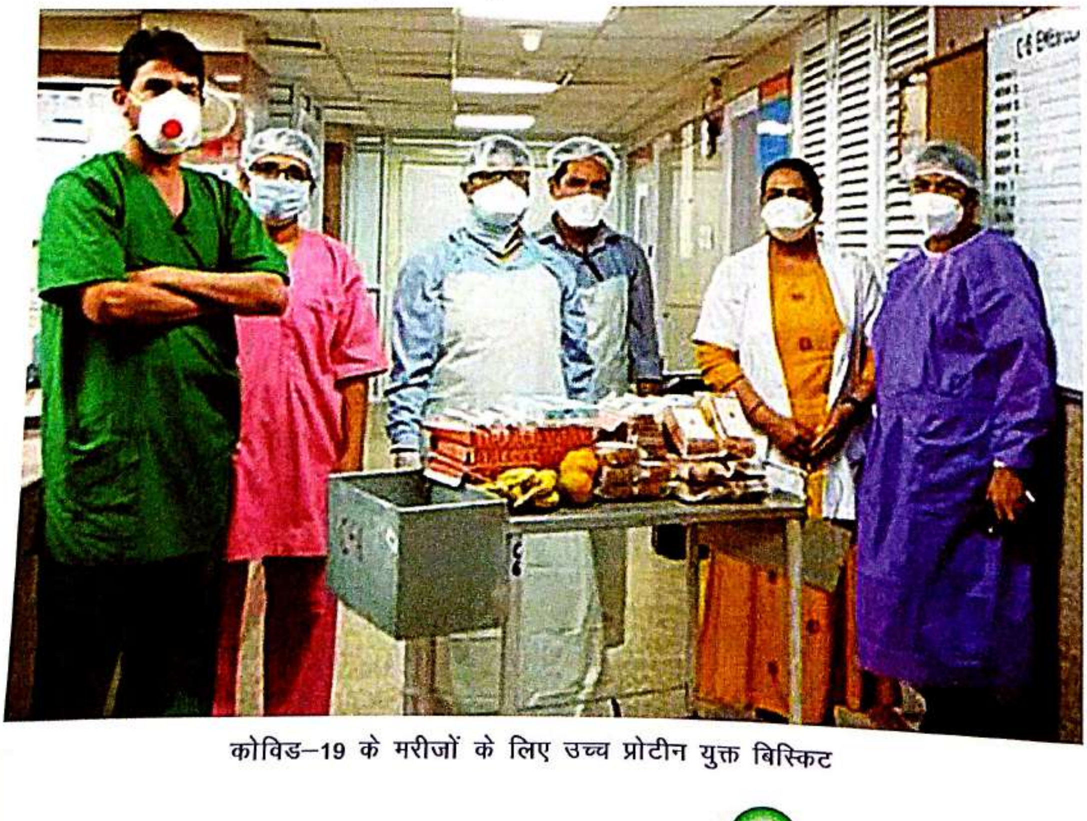

कोविड–19 के मरीजों के लिए उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट

विशेष वेबसाइट के ज़रिए भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक जागरूकता

500 से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, अभियंताओं, शिक्षकों, शोधार्थियों और विज्ञान संचारकों ने कोविड–19 पर जागरूकता के लिए "कोविड–19 के लिए भारतीय वैज्ञानिकों

की प्रतिक्रिया" नाम से एक विशेष वेबसाइट– https://indscicov.in@ तैयार की है, जिसे इस शीर्षक– Indian Scientists* Response to CoViD&19 के साथ भी इंटरनेट पर देखा, पढ़ा जा सकता है।

इंडियन साइंटिस्ट्स रेस्पॉन्स टू कोविड–19, भारत के वैज्ञानिकों का एक स्वैच्छिक समूह है जो एक साथ संकट के इस समय में आम जनता, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोविड–19 संबंधी संचार कर रहे हैं। जनता के लिए विशेष रूप से वैज्ञानिक तथ्यों को प्रदान करके फर्ज़ी ख़बरों, मिथकों और अफवाहों को स्पष्ट किया गया है, वहीं वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए गणितीय मॉडलिंग, अनुप्रयोग विकास, हार्डवेयर (मास्क, वेंटिलेटर, आदि), वैश्विक अनुभव और बीमारी पर नज़र रखने के तरीके बताए गए हैं। इस वेबसाइट की तमाम अन्य खूबियों के साथ, सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां कोविड–19 से जुड़ी तमाम जानकारियां विभिन्न भाषाओं में दी गई है।

एक अन्य वेबपोर्टल, कोविड ज्ञान– https://covid&gyan.in@ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई द्वारा संचालित है, जिसमें कोविड–19 पर जागरूकता के लिए वीडियो, वेबिनार, इन्फोग्राफ़िक्स, ऑडियो/पॉडकास्ट और लेखों आदि विभिन्न विधाओं का प्रयोग किया गया है। इस पोर्टल पर आप कोविड–19 से जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के साथ–साथ और नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।

कोविड–19 से लड़ने के लिए ई–टूल का विकास

दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के बीच कोविड–19 से जुड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा तकनीकी समाधान खोजे जा रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साइंस फॉर इक्विटी एम्पॉवरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड) प्रभाग द्वारा समर्थित संगठन ने दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप कार्यक्रम के अंतर्गत ई–टूल विकसित किया गया है।

ई–टूल का विकास सीड प्रभाग के सौजन्य से चेन्नई के राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा कोविड–19 के कारण बौद्धिक विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के अकेलेपन व तनाव को दूर करने के लिए किया गया है। ई–टूल शिक्षा और मनोरंजन के साथ–साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जानकारी और जागरूकता प्रदान करता है. बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति टैब और मोबाइल के माध्यम से ई–टूल का प्रयोग कर रहे हैं। ई–टूल के बीटा संस्करण का उपयोग, 200 विशेष दिव्यांग बच्चों द्वारा किया जा रहा है।

कोविड–19 के खिलाफ इन वैज्ञानिक प्रयोगों को जानकर हम अपनी वैज्ञानिक समझ का दायरा बढ़ा सकते हैं और हमारे निर्णय भी विज्ञान और तर्क के आधार पर हो सकते हैं। तो आइए कोविड–19 से जंग कर रहे अपने वैज्ञानिक योद्धाओं को सम्मान दें और अनुसंधानों पर अपने समाज में वैज्ञानिक चर्चा करें।

(लेखक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार में वैज्ञानिक 'ई' हैं एवं विज्ञान संचार कार्यक्रमों में संलग्न हैं।)

ई–मेल : nkapoor@vigyanprasar.gov.in

शिक्षा : सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

–सेरा आईप

शिक्षा को विकास का आधार माना जाता है। यह गरीबी हटाने और असमानता कम करने का सबसे अहम हथियार है। यह मानव विकास के महत्वपूर्ण आयामों के साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मुहैया करा सकता है। इससे लोकतंत्र को मज़बूत करने और शासन का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

भूमिका

पिछले कुछ दशक में भारत में तेज़ गति से सामाजिक और आर्थिक विकास देखने को मिला है। इसके साथ ही, यहां स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर स्थिति काफी बेहतर हुई है और गरीबी–दर भी कम हो रही है। हालांकि, दुनिया के अधिकांश हिस्सों की तरह भारत में भी आर्थिक विकास का फायदा सीमित तबके को ही मिल पाया है। परिणामस्वरूप असमानता बढ़ रही है। यह हमारी विकास की कहानी का बेहद नकारात्मक पहलू है। कुल राष्ट्रीय संपत्ति का तीन–चौथाई हिस्सा देश के सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों तक सिमटा हुआ है। वहीं, तकरीबन 60 प्रतिशत आबादी की राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी महज 5 प्रतिशत है। तकरीबन 26 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं और देश की 90 प्रतिशत से भी ज्यादा श्रम–शक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करती है। इसके अलावा, अभी भी देश की करीब 20 प्रतिशत आबादी गरीबी–रेखा से नीचे गुजर–बसर करती है।

सामाजिक सुरक्षा क्यों

गरीबों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मामला हो या अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव, वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियां, इन सबकी मार गरीबों को ही सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। समाज के सबसे निचले तबके के लोगों तक आर्थिक विकास का फायदा पहुंचाने और गरीबी हटाने में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम काफी अहम हैं। 'सामाजिक सुरक्षा' का मोटे तौर पर मतलब गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा और समाज में इन वर्गों को अलग–थलग पड़ने से रोकने से है। भारत में सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा, सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के केंद्र में रहा है। हाशिए पर मौजूद लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की ज़रूरत को महसूस करते हुए पिछले दो दशकों या इससे भी ज्यादा समय के दौरान काफी कदम उठाए गए हैं। इनमें बुनियादी सेवाओं और सामाजिक फायदों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता और न्यूनतम आय का सहारा। ऐसे ज़्यादातर कार्यक्रमों का मकसद आकस्मिक जोखिम मसलन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या मौतों से निपटने के बजाय वंचित लोगों को सक्षम और सशक्त बनाना है। इस तरह की सामाजिक सुरक्षा गरीबों और वंचितों को कई तरह की दिक्कतों से उबारती है और विकास की प्रक्रिया में समानता को बढ़ावा देती है।

शिक्षा के जरिए सामाजिक सुरक्षा

शिक्षा को विकास का आधार माना जाता है। यह गरीबी हटाने और असमानता कम करने का सबसे अहम हथियार है। यह

मानव विकास के महत्वपूर्ण आयामों के साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मुहैया करा सकता है। इससे लोकतंत्र को मज़बूत करने और शासन का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

भारत ने शिक्षा से जुड़े सूचकांकों में अच्छी–खासी बेहतरी हासिल की है। तालिका–1 के माध्यम से इसे देखा जा सकता है। साल 2008–2018 के दौरान, सकल नामांकन अनुपात और संक्रमण दर 90 प्रतिशत को पार कर गई। इस दौरान, स्कूल छोड़ने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या घटकर एक चौथाई रह गई। साथ ही, सुविधा–आधारित सूचकांकों में बेहतरी नज़र आई। पिछले 10 साल में बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों की संख्या में लगभग तीन गुना बढ़ोतरी हुई। भारतीय शिक्षा में हासिल की गई यह सफलता केंद्र और राज्य सरकार की नियमित कोशिशों का नतीजा है।

भारत में कार्यक्रम

नागरिकों के लिए बुनियादी चीजें उपलब्ध कराने के तहत रोज़गार, शिक्षा और भोजन का न्यूनतम स्तर मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने हमेशा गंभीरतापूर्वक प्रयास किया है। दरअसल, 1950 में लागू हुए भारत के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उसकी मदद से लोगों को सामाजिक–आर्थिक अधिकार मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यह भारत के कल्याणकारी ढांचे के लिए आधार मुहैया कराता है। इसके जरिए वंचितों को अधिकार देकर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और समानता पर आधारित समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ना संभव हो पाता है। इस सिलसिले में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इस लेख में सिर्फ इससे जुड़े प्रमुख उपायों पर फोकस किया गया है।

1. मध्याह्न भोजन

तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्कूलों में भोजन देने की योजना की सफलता के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम (एनपीएनएसपीई) के जरिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार करना चाहती थी। इसके तहत छात्र–छात्राओं को हर महीने गेहूं–चावल का वितरण किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर, 2001 को भोजन के अधिकार से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे प्राथमिक स्कूलों में भोजन की व्यवस्था करें। अगले तीन–चार साल में पूरे देश में स्कूलों में खाने की व्यवस्था शुरू हो गई। इसके बाद से भोजन की गुणवत्ता और मेन्यू में लगातार सुधार दिख रहा है।

स्कूलो में भोजन उपलब्ध कराने का मकसद बच्चों के बीच पोषण–स्तर को बेहतर बनाने के साथ व्यापक–स्तर पर शिक्षा का प्रसार करना है। अगर बच्चा भूखा है, तो इससे सीखने की प्रक्रिया पर भी बुरा असर होता है। भूखे बच्चों के नियमित तौर पर स्कूल जाने की संभावना कम होती है और वे बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। यह योजना खाद्य सुरक्षा और शिक्षा, दोनों मोर्चों पर एक साथ निपटने में कारगर है। इससे वंचित समुदायों को भूख, गरीबी, अशिक्षा से सामूहिक तौर पर मुकाबला करने में मदद मिलती है।

तालिका–1: भारत में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आंकड़े

सूचकांक	2008–09	2018–19
नामांकन से जुड़े सूचकांक		
सकल नामांकन अनुपात	82.5	91.64
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक–स्तर की तरफ बढ़ने की दर	82.7	90.36
पढ़ाई छोड़ने की दर	8.0	2.72
सुविधा सूचकांक		
% पीने के पानी की सुविधा वाले स्कूल	87.8	89.97
% लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा वाले स्कूल	53.6	95.68
% बिजली की सुविधा वाले स्कूल	35.6	96.25

स्रोतः यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई)

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इससे भारत में तकरीबन 10 करोड़ बच्चों को बेहतर पोषण मुहैया कराने, स्कूलों में उनकी भागीदारी बढ़ाने, सीखने की प्रक्रिया तेज़ करने और सामाजिक समानता को बढ़ाने में मदद मिलती है। कुछ वंचित समूहों के बच्चों के लिए तो यह दिन के भोजन के लिए एकमात्र सहारा होता है। इस योजना से स्थानीय महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा हुए हैं। इसमें खाना बनाने और अन्य कार्यों से 25 लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इसे भारत की सबसे सफल और किफायती योजना कहा जा सकता है। साथ ही, इसे शिक्षा का स्तर बेहतर करने का भी श्रेय जाता है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के बजट में 11,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्कूली शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कुल बजट में इस आवंटन की हिस्सेदारी तकरीबन 20 प्रतिशत है।

2. समन्वित/एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस), भारत सरकार का एक अहम कार्यक्रम है। यह मां और बच्चों की सेहत और पोषण से जुड़ी देश की सबसे बड़ी योजना है। राष्ट्रीय बाल नीति को ध्यान में रखते हुए, 1975 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसके तहत शिशु देखभाल केंद्र या आंगनवाड़ी के जरिए 6 साल से कम बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखा जाता है। ऐसे केंद्रों में स्थानीय महिलाएं या सहायकों को इसकी ज़िम्मेदारी दी जाती है। इन केंद्रों में भोजन, खेल और नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ हर हफ्ते या हर महीने घर पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरवय

यंग इंडिया वाइब्रेंट इंडिया

पीएम ई-विद्या

- शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक पहल। यह पहल डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा के लिए मल्टी-मोड का उपयोग करने में सक्षम होगी।
- इससे देशभर में लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा।

मनोदर्पण

- मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक पोर्टल।

उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग

- ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों का चयन।
- पारंपरिक विश्वविद्यालयों और ओडीएल कार्यक्रमों में ऑनलाइन कंपोनेंट को वर्तमान 20% से बढ़ाकर 40% किया जाना है। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगभग 3.7 करोड़ छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

लड़कियों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। आईसीडीएस को पहली बार 1995 में शुरू किया गया था और 2006 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, 6 साल से कम के सभी बच्चों को आईसीडीएस सेवाओं के लिए हकदार माना गया। इसके बाद, इस योजना का काफी विस्तार हुआ और बच्चों के पोषण, टीकाकरण वगैरह में तेज़ी से बेहतरी देखने को मिली। इस योजना के दायरे में 6 साल तक के 15.8 करोड़ बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया है और इस तरह यह शिशु की देखभाल और छोटे बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। फिलहाल, 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए ये सेवाएं दी जा रही हैं। शुरुआती दौर में ही शिक्षा मुहैया कराने की अहमियत को देखते हुए इस योजना में बच्चों की पढ़ाई के लिए मज़बूत बुनियाद तैयार करने की भी बात है। वित्त वर्ष 2020–21 के बजट में आईसीडीएस योजना के लिए 28,557 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कुल बजटीय आवंटन के 95 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

3. सर्व शिक्षा अभियान

1990 के दशक से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के जरिए शिक्षा के प्रसार पर फोकस किया जा रहा है। ऐसी योजनाओं में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) शामिल हैं। इसी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद स्कूलों में दाखिला बढ़ाना और बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकना है। इस कार्यक्रम के तहत उन इलाकों में नए स्कूल खोले गए, जहां पहले से स्कूलों की सुविधाएं नहीं थीं या क्लासरूम, शौचालय, पीने के पानी आदि की दिक्कत थी। साथ ही, ज़िला, प्रखंड या कलस्टर–स्तर पर शिक्षण सामग्री तैयार करने और अन्य संबंधित सहयोग के जरिए शिक्षण संसाधनों को मज़बूत बनाने पर भी ज़ोर दिया गया। योजना में लड़कियों की शिक्षा और विशेष ज़रूरत वाले बच्चों का खास ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने की कोशिश की गई है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, समानता और गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने पर ज़ोर दिया गया है। साल 2009 में इस योजना के दिशा–निर्देशों में संशोधन किया गया, ताकि बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना से 19.2 करोड़ बच्चों को लाभ हुआ।

केंद्रीय बजट 2018–19 में स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत प्रणाली का प्रस्ताव किया गया। स्कूली शिक्षा में प्री–नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से जुड़े सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षकों से जुड़े प्रशिक्षण को समग्र शिक्षा योजना में शामिल कर लिया, ताकि 25 करोड़ स्कूली छात्र–छात्राओं की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में छात्र–छात्राओं के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, सामाजिक और लैंगिक भेदभाव को दूर करना और स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से जुड़े कानून लागू करने में राज्यों को सहयोग देना और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियो को मज़बूत बनाना शामिल है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए इस योजना का बजटीय आवंटन 40,000 करोड़ रुपये है।

4. शिक्षा का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन बनाम केंद्र सरकार (1992) के मामले में पहली बार शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया था। इसके बाद इस सिलसिले में कानून बनाया गया। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार सीधे तौर पर जीने के अधिकार से जुड़ा है। संसद ने 2002 में संविधान में 86वें संशोधन को मंजूरी दी और अनुच्छेद 21ए को मौलिक अधिकारों के दायरे में शामिल किया गया। इस तरह 6–14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा बिल के कई मसौदों पर विचार–विमर्श और टिप्पणियों के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने 2008 में इस पर मुहर लगाई। इसके बाद 4 अगस्त, 2009 को संसद में शिक्षा का अधिकार कानून पास किया गया और यह कानून 1 अप्रैल, 2010 से अमल में आ गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके साथ ही, भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले 140 देशों की सूची में शामिल हो गया।

शिक्षा का अधिकार कानून में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अलावा, हर प्राथमिक स्कूल में बच्चों और शिक्षक का अनुपात 30:1

और उच्च प्राथमिक स्कूल में यह अनुपात 35:1 रखने की बात कही गई है। कानून के मुताबिक, बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों के माता–पिता या अभिभावक को यूनिफॉर्म (कपड़े), किताबों, भोजन, परिवहन आदि का खर्च वहन नहीं करना पड़े। बच्चों के लिए बुनियादी–स्तर पर स्कूली शिक्षा पूरी तरह मुफ़्त है।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा भविष्य में शिक्षा मुहैया कराने के तौर–तरीकों का आधार हो सकता है। इस नीति में भारत–केंद्रित शिक्षा प्रणाली की बात है, जो सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराते हुए बेहतर बदलाव का मार्ग प्रशस्त करने में योगदान कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद साल 2025 तक 3–6 साल के सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना, स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना और साल 2030 तक वयस्क साक्षरता हासिल करना है।

इसके अलावा, इसमें शिक्षक और छात्र–छात्राओं को सुधारों के केंद्र में रखा गया है। साथ ही, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाने की बात है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े उपायों को कारगर बनाने के लिए इस नीति को लागू करना जरूरी है।

6. आत्मनिर्भर भारत अभियान

कोरोना वायरस के फैलाव के कारण 15 लाख से ज्यादा स्कूलों और उच्च शिक्षा के करीब 40,000 शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा है। इससे सीखने की प्रक्रिया बाधित हुई है। यह सामाजिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इस महामारी का सामाजिक ढांचे पर अलग–अलग तरह से असर देखने को मिला है और सबसे ज्यादा तकलीफ गरीबों को झेलनी पड़ी है। समाज का मलाईदार तबका (क्रीमी लेयर) जहां ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई सुनिश्चित करने में जुटा है, वहीं समाज का बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित हो गया है। शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार अहम उपायों की पहचान कर राहत पैकेज तैयार कर रही है।

प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। यह एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान भी था। कोरोना के बाद के दौर में 'समानता के साथ तकनीक आधारित शिक्षा' थीम के तहत शिक्षा को एक प्रमुख क्षेत्र माना गया है।

तालिका–2 : स्कूली शिक्षा के मामले में अन्य देशों से भारत की तुलना

सूचकांक		भारत	नार्वे	अमेरिका	चीन
मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) का प्रदर्शन		0.558	0.919	0.899	0.649
	एचडीआई स्कोर	0.647	0.954	0.920	0.758
	एचडीआई रैंक	129	1	15	85
	अपेक्षाकृत प्रदर्शन (रैंकिंग के हिसाब से)	कम	उच्चत्तम	उच्च	मध्यम
उपलब्धता	प्राथमिक–स्तर से पहले	14	95	72	86
	प्राथमिक	115	100	101	102
	माध्यमिक	75	117	99	95
	प्राथमिक स्कूल के स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर	12.3	0.9	NA	NA
	छात्र–शिक्षक अनुपात (प्राथमिक)	35	9	14	17
	माध्यमिक शिक्षा में निचले–स्तर पर आखिरी ग्रेड में बचे छात्रों का प्रतिशत	94	99	NA	NA
इक्विटी	स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष	पुरुष 11.9	18.8	15.7	13.7
		महिला 12.9	17.4	16.9	14.1
	स्कूल अवधि के औसत वर्ष	पुरुष 8.2	12.5	13.4	8.3
		महिला 4.7	12.6	13.5	7.5
आधारभूत संरचना	इंटरनेट की उपलब्धता वाले माध्यमिक स्कूलों का प्रतिशत	NA	100	100	98
संचालन प्रणाली	प्राथमिक स्कूलों के प्रशिक्षित शिक्षक	70	NA	NA	NA
	शिक्षा पर सरकार का खर्च (जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर)	3.8	7.6	5.0	NA

नोट: NA– उपलब्ध नहीं

स्रोत: मानवविकास रिपोर्ट 2019, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

अलग–अलग माध्यमों से ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही 'पीएम ई–विद्या कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा, ताकि दीक्षा (एक देश, एक डिजिटल कार्यक्रम) के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

इस सिलसिले में टेलीविज़न के साथ–साथ बड़े पैमाने पर रेडियो और पॉडकास्ट के इस्तेमाल पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही, स्वयं प्रभात डायरेक्ट–टू–होम टेलीविजन प्लेटफॉर्म के जरिए 'हर कक्षा के लिए एक चैनल' पर भी विचार किया जा रहा है। जहां तक विशेष ज़रूरत वाले बच्चों की बात है, तो देख और सुन नहीं सकने वाले बच्चों के लिए ई–सामग्री तैयार की जा रही है। डिजिटल संग्रह, 'ई–पाठशाला' में 200 से भी ज्यादा पाठ्य–पुस्तकों को शामिल किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 'मनोदर्पण' पर भी काम कर रहा है, जो छात्र–छात्राओं और परिवारों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोवैज्ञानिक–सामाजिक तौर पर मदद मुहैया कराएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) स्कूलों और शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम संबंधी नया ढांचा तैयार करने में जुटी है। इसमें छोटे बच्चों का खास ध्यान रखा जा रहा है। दिसंबर 2020 तक राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन की शुरुआत की जाएगी, ताकि 2025 तक हर बच्चा पांचवीं कक्षा तक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रमों को बेहतर ढंग से सीख सके।

इन प्रमुख कार्यक्रमों के अलावा, सरकार लड़कियों, कुछ खास समुदायों, अल्पसंख्यकों और खास ज़रूरत वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य योजनाएं चलाती है। सरकार ने विकास का फायदा देश के सबसे पिछड़े ज़िलों तक पहुंचाने के लिए जनवरी 2018 में संभावनाशील ज़िला कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम को शुरू करने का मकसद इन इलाकों में सभी योजनाओं को समन्वित तरीके से लागू करना और इन ज़िलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। संभावनाशील ज़िला कार्यक्रम के दायरे में देश की तकरीबन 14 प्रतिशत आबादी शामिल है। कार्यक्रम में समावेशी विकास (सबका साथ, सबका विकास) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया है। स्वास्थ्य और पोषण, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास एवं आधारभूत संरचना के अलावा शिक्षा भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल है।

चुनौतियां

कुल मिलाकर कहें, तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास–यात्रा सकारात्मक रही है हालांकि अभी लंबा सफर बाकी है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2014 के अनुमानों के मुताबिक, 13 साल तक के 3.2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर भी काफी ज्यादा है। माध्यमिक–स्तर पर यह आंकड़ा 10 प्रतिशत है। इसके अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता भी चिंता का प्रमुख विषय है। शिक्षा की स्थिति से जुड़ी सालाना रिपोर्ट (एएसईआर) 2018 के मुताबिक, पांचवीं और आठवीं कक्षा के क्रमशः 50 और 27 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ सकते थे। एनसीईआरटी द्वारा 2017 में आयोजित सरकार के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के मुताबिक, कक्षा के हिसाब से तमाम विषयों में बच्चों की जानकारी का स्तर बेहद खराब था।

शिक्षा से जुड़े मानव विकास के मापदंडों के मामले में भारत की स्थिति, दुनिया के ज्यादातर देशों के मुकाबले कमज़ोर है। चीन में प्राथमिक–स्तर से पहले का दाखिला अनुपात भारत के मुकाबले छह गुना ज्यादा है। लड़कियों के मामले में भी बाकी देशों के आंकड़े भारत से बेहतर हैं। साथ ही, यहां शिक्षा पर सरकारी खर्च की हिस्सेदारी भी अपेक्षाकृत कम है। संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा सूचकांक में नार्वे सबसे ऊपर है। नार्वे में शिक्षा के लिए आवंटन (जीडीपी के हिस्से के तौर पर), भारत से दोगुना है।

आगे की राह

शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा उपायों का रिकॉर्ड विभिन्न राज्यों में अलग–अलग है। लोगों के कल्याण में इसके अहम योगदान से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए कारगर नीति बनाने और कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। इसमें पिछले अनुभवों और अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की मदद ली जा सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में सामाजिक सुरक्षा की बुनियाद को और मज़बूत करने के लिए आगे भी विचार–विमर्श चलता रहेगा।

शिक्षा के जरिए सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए तीन मोर्चों पर कार्रवाई की ज़रूरत है। इसके तहत सबसे पहले राजकोषीय चुनौतियों से निपटना होगा। मज़बूत शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने की भी ज़रूरत पड़ेगी।

इसके लिए कर जीडीपी के अनुपात में बढ़ोतरी करनी होगी। दूसरा, विभिन्न योजनाओं के ढांचे और तौर–तरीके की समीक्षा करने की ज़रूरत होगी। इस आधार पर जरूरी बदलाव करने के लिए भी पहल करनी होगी। तीसरा, समाज के सबसे कमज़ोर तबके तक पहुंचने के लिए जवाबदेही को बढ़ाने के साथ–साथ जरूरी उपाय करने होंगे, ताकि कार्यान्वयन की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके।

सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बेहद अहम है। सतत विकास के चौथे लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ एक दशक का समय बचा है और अनुमानों के मुताबिक, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी होगी। ऐसे में कुछ मौजूदा समस्याओं को दूर कर सामाजिक सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाना बेहद जरूरी है। भारत की विकास यात्रा में निर्णायक बदलाव के लिए यह आवश्यक है।

(लेखिका नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल हैं। इस लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई-मेल : sarah.iybe@nic.in

वृद्धों और दिव्यांगों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

–प्रमोद जोशी

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत असहाय व्यक्तियों का सहारा भी राज्य हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 41 42 और 43 सामाजिक वर्गों की सहायता के लिए राज्य की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। ये अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा हैं, जिन्हें कानूनन लागू नहीं कराया जा सकता, पर आदर्श राज्य के कर्तव्य माना जाता है। भारत की आर्थिक सामर्थ्य जैसे–जैसे बेहतर होती जा रही है, वैसे–वैसे वह असहाय सामाजिक वर्गों की सहायता का अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है।

देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने नागरिकों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के साथ **'आत्मनिर्भर भारत'** अभियान शुरू किया है। इस पैकेज के माध्यम से सरकार ने समाज के अलग–अलग वर्गों की सहायता का प्रयास किया है। उद्यमियों, कारोबारियों, श्रमिकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों की सहायता करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि कोविड–19 के कारण हुए लॉकडाउन का सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ा था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की, उसमें गरीबों, मज़दूरी करने वाली महिलाओं, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों और वृद्धों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। ये योजनाएं विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। इनमें केंद्र और राज्यों की योजनाएं भी शामिल हैं।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत असहाय व्यक्तियों का सहारा भी राज्य हैं। बेशक

सामाजिक संस्थाएं और निजी तौर पर अपेक्षाकृत सबल व्यक्ति कमज़ोरों, वंचितों और हाशिए पर जा चुके लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं, पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी राज्य की होती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है, 'राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। 'इसके साथ अनुच्छेद 42 और 43 भी सामाजिक वर्गों की सहायता के लिए राज्य की भूमिका की ओर इशारा करते हैं।

राज्य का कर्तव्य

ये अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा हैं, जिन्हें कानूनन लागू नहीं कराया जा सकता, पर आदर्श राज्य के कर्तव्य माना जाता है। भारत की आर्थिक सामर्थ्य जैसे–जैसे बेहतर होती जा रही है, वैसे–वैसे वह असहाय सामाजिक वर्गों की सहायता का अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जिन सहायता कार्यक्रमों की पिछले दिनों घोषणा की उनमें देश के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए आने वाले तीन महीनों तक 1000 रुपये की अतिरिक्त पेंशन भी शामिल है।

सहायता पाने वालों में गरीब और वृद्ध विधवाएं भी शामिल हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। यह लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी) के माध्यम से दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाले करीब तीन करोड़ लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ पाने वाले करीब 30 करोड़ लाभार्थियों की तुलना में यह संख्या छोटी है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। समाज के इस वर्ग को सबसे असहाय मानना चाहिए। भारत सरकार का राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) अभावों से जूझ रहे व्यक्तियों और उनके परिवारों तक नकद हस्तांतरण की सुविधा, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है।

वरिष्ठ नागरिक

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

नागरिकों की औसत आयु बढ़ रही है। सामान्य स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हुआ है। सन 1951 में जहां 60 वर्ष से ऊपर की आयु के 1.98 करोड़ वरिष्ठ नागरिक थे, वहीं सन 2011 की जनगणना में उनकी संख्या 10.4 करोड़ हो गई। अनुमान है कि सन 2021 में यह संख्या 14.3 करोड़ और 2026 में 17.3 करोड़ होगी। हमारी संस्कृति में वृद्धों का सम्मान होता है और बच्चे अपने माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी की देखरेख करते हैं, फिर भी राज्य का दायित्व है कि वह वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करे। वे स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, आवास, परिवहन और बैंकिंग वगैरह में सुविधाओं और संरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं। बैंकों में उनकी जमाराशि पर अतिरिक्त ब्याज देने की व्यवस्था है। विशेष बचत योजनाएं हैं और आयकर में भी उन्हें विशेष छूट प्रदान की गई है। उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत चिकित्सा को लेकर होती है, जिसके लिए कई तरह की योजनाएं हैं।

बचत, बीमा और निवेश की योजनाएं

मोटे तौर पर कल्याण योजनाएं गरीब और कमज़ोर तबकों से जुड़ी हैं। पर अपेक्षाकृत सबल वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों और स्त्रियों को भी सामाजिक सहायता की ज़रूरत होती है। वरिष्ठ नागरिकों के मध्य वर्ग से जुड़े कल्याण कार्यक्रम आर्थिक बचत और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इनमें एक है सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम, जो रिटायरमेंट की बचत योजना है। इसमें तिमाही आधार पर ब्याज का भुगतान होता है। स्कीम में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसी तरह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को एक तय दर से गारंटीशुदा पेंशन मिलती है। इसकी अवधि 31 मार्च, 2020 तक थी। अब इसे और तीन साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन जीवन बीमा निगम के जरिए किया जा रहा है।

स्वास्थ्य रक्षा योजनाएं

साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की 40 फीसदी आबादी यानी करीब 50 करोड़ गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना था। हाल में आरोग्य संजीवनी योजना को शुरू किया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीमा कंपनियों के लिए स्टैंडर्ड हैल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट शुरू करने की अनिवार्यता कर दी है। नए निर्देशों के अनुसार सभी जनरल और हैल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने 1 अप्रैल, 2020 से एक यूनिफॉर्म हैल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट शुरू किया है। इस पॉलिसी का समान नाम आरोग्य संजीवनी पॉलिसी होगा। यह सशुल्क पॉलिसी सभी आयु वर्गों के लिए है।

वृद्धों से संबंधित कार्यों का संचालन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के एक कार्यक्रम के तहत सहायता दी जाती है। इसमें वृद्धों के लिए डे–केयर चलाने और उनके रखरखाव के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है।

वृद्धावस्था पेंशन

मध्य वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के कार्यक्रमों से ज्यादा महत्वपूर्ण गरीब बुजुर्गों के कार्यक्रम हैं, पर उसके पहले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का ज़िक्र करना बेहतर होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को हुई थी। इसका क्रियान्वयन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्ष 2016 में एनएसएपी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना (कोर ऑफ़ कोर) के तहत लाने का जब से रणनीतिक फैसला किया गया है, तब से केंद्र सरकार योजना की शत–प्रतिशत ज़रूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को लगातार बढ़ा रही है।

इस कार्यक्रम के तहत ही वृद्धों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) का संचालन होता है।ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को 200 रुपये तथा 80 या उससे ऊपर के व्यक्तियों को 500 रुपये की सहायता प्रति माह दी जाती है। केंद्रीय योजना के अलावा राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। ऐसे में हर राज्य में योजना में पेंशन की राशि अलग–अलग होती है। इस योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। देश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। पहले यह योजना 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी, जिसे 2011 में घटाकर 60 साल कर दिया गया। पेंशन योजना के आवेदक को गरीबी–रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। इस योजना के अलावा अन्नपूर्णा योजना भी है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलो अनाज प्रतिमाह दिया जाता है। वस्तुतः यह योजना उन नागरिकों के लिए है, जो आईजीएनओएपीएस के पात्र तो हैं, पर जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है।

इसके अलावा **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** है। इसके अंतर्गत गरीबी–रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली 40–79 वर्ष आयु की विधवा स्त्रियों को प्रति माह 300 रुपये की सहायता दी जाती है। जब वे 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती हैं, तो उन्हें आईजीएनओएपीएस में शामिल के बाद 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

बुढ़ापे में लाठी ही सहारा होती है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र के शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्गों को व्हीलचेयर तथा अन्य सहायक उपकरण दिए जाते हैं। यह योजना 2017 में शुरु हुई थी। यह योजना गरीबी–रेखा के नीचे आने वाले वृद्धों को सहारा पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई है। यह भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है। इसका लाभ उठाने के लिए आवेदक को पंजीकरण कराते

समय बीपीएल कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें वॉकिंग स्टिक, एल्बो क्रचेस, ट्राईपॉड्स, क्वैडपॉड, श्रवण–यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम डेंचर्स, चश्मे वगैरह दिए जाते हैं।

वयोश्रेष्ठ सम्मान

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 को 'अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उसके साथ ही हर वर्ष 1 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष मनाने का निर्णय भी किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उन प्रतिष्ठित नागरिकों तथा संस्थाओं को वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान करने का निर्णय किया, जो वृद्धजन, खासतौर से निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए पहचाने जाते हैं। वयोश्रेष्ठ सम्मान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार देश में 13 श्रेणियों में पहली अक्तूबर को दिया जाता है।

कोई पीछे न छूटे

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत विकास के इन 17 लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास एजेंडा–2030 लक्ष्य को बनाया गया, जिसे सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। संधारणीय विकास के संयुक्त राष्ट्र एजेंडा–2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हाशिए पर जा चुके सामाजिक समूहों तक सहायता पहुंचाने की ज़रूरत है। इस वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र है, 'कोई पीछे न छूटे।'

दिव्यांगजनों के अधिकार

भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है कि वह दिव्यांगजनों के हितों की रक्षा करे। इस विभाग पर दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनसीआरपीडी) तथा दिव्यांगजन के अधिकारों से जुड़े अन्य नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी है। भारत ने यूएनसीआरपीडी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने देश में विकलांगता की स्थिति पर अपनी पहली रिपोर्ट नवंबर 2015 में प्रस्तुत की थी।

पिछले वर्ष सीआरपीडी पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने अपने 22वें सत्र में जिनिवा के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2 और 3 सितंबर 2019 को भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट पर विचार किया था। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सचिव की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस रिपोर्ट पर विचार करने की प्रक्रिया के

दौरान संयुक्त राष्ट्र समिति के समक्ष मौजूद था।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की सचिव ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हवाला दिया और खासतौर पर कांप्रिहैंसिव आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 को लागू करने, एक्सेसेबल इंडिया अभियान शुरू करने, मानसिक–सामाजिक विकलांगता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) की स्थापना, दिव्यांगजन के खेल के लिए केंद्र की स्थापना, सहायता एवं सहायक उपकरणों के वितरण में उपलब्धियों का उल्लेख किया। गत 16 दिसंबर, 2016 को लोकसभा ने "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित किया था। राज्यसभा इसे पहले ही 14 दिसंबर, 2016 को पारित कर चुकी थी।

दिव्यांगता की नई श्रेणियां

इस अधिनियम में पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 (पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995) के तहत विकलांगता की गतिशील अवधारणा को स्वीकार किया गया। यानी कि इसके स्वरूप में समय के साथ बदलाव आता रहेगा। इसके तहत दिव्यांगता के तत्कालीन स्वरूपों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। साथ ही, भविष्य में केंद्र सरकार को नए स्वरूपों को जोड़ने के लिए अधिकृत कर दिया गया।

इस कानून के अंतर्गत दिव्यांगता की 21 श्रेणियां इस प्रकार हैं:दृष्टिबाधित, कम–दृष्टि, कुष्ठ रोग, बधिर, लोकोमोटर (अपंग), बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक रोग, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (पेशी अपविकास),

(करोड़ रुपये में)

स्कीम	2014–15 वास्तविक	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 वास्तविक	2018–19 वास्तविक	2019–20 बजट	2019–20 संशोधित	2020–21 बजट
एनएसएपी	7084	8616	8854	8694	8900	9200	9200	9197

	2018–19 वास्तविक	2019–20 बजट	2019–20 संशोधित	2020–21 बजट
विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग **करोड़ रुपये**	1009.11	1204.90	1100.00	1325.39

जीर्ण तंत्रिका, विशिष्ट अधिगम (सीखने की) अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषण और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसंस रोग। इस प्रकार विकलांगता का दायरा बढ़ा दिया गया। पहली बार भाषण और भाषा विकलांगता और विशिष्ट अधिगम विकलांगता को जोड़ा गया; एसिड अटैक पीड़ितों को इसमें शामिल किया गया। बौनापन, पेशी अपविकास को निर्दिष्ट विकलांगता के अलग वर्ग के रूप में शामिल किया गया। नई श्रेणियों में तीन रक्त विकार, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल रोग भी शामिल किए गए। इसके अलावा, सरकार को किसी अन्य श्रेणी को इस सूची में रखने के लिए अधिकृत किया गया।

उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भूमि के आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना आदि जैसे अतिरिक्त लाभ दिव्यांग व्यक्तियों और असहाय व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इन्हीं कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री सुगम्य भारत अभियान भी शामिल है, जो दिव्यांग व्यक्तियों की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग जन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है।

दिव्यांगता पर आधारित केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड को केंद्र और राज्य–स्तर पर शीर्ष नीति बनाने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाना है। दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय को सुदृढ़ किया गया है, जिन्हें अब दो आयुक्तों और एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें दिव्यांगता से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञ होंगे।

विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। विकलांगों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ सदस्यता दी जाएगी। इस कानून में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान है जो दिव्यांगजन के खिलाफ अपराध करते हैं या कानून के प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं। विकलांगों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक ज़िले में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा।

दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान तो हुए हैं, पर उनके लिए संसाधन अभी पर्याप्त नहीं हैं। समिति की सिफारिशों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दिव्यांगजन को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों की व्यवस्था भी करनी होगी। दूसरी तरफ, हम बजट आबंटन पर नज़र डालें, तो स्पष्ट होता है कि अभी इस दिशा में काफी सुधार की ज़रूरत है। एनएसएपी योजना के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के लिए बजट का आकार यथेष्ट नहीं है।

इसी तरह विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग का बजट देश के कुल बजट के 0.04 प्रतिशत के आसपास रहता है और कई बार इस राशि का पूरा उपयोग भी वित्तवर्ष में नहीं हो पाता है। इस स्थिति में बदलाव की ज़रूरत है। दिव्यांग कल्याण के लिए केंद्र सरकार जिन प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन करती है उनमें कुछ इस प्रकार हैं:सहायक यंत्र–सामग्री के लिए सहायता, दीनदयाल पुनर्वास योजना, ब्रेल प्रेसों के संस्थापन, आधुनिकीकरण में सहायता, सेवाकालीन प्रशिक्षण और रोज़गार सहायता, स्पाइनल इंजुरी सेंटर, विकलांगता अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना वगैरह। इनके अलावा छात्रवृत्तियों, दिव्यांगता खेलकूद, मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास तथा शोध से जुड़े कार्यक्रम भी हैं।

इंदिरा गांधी दिव्यांगता पेंशन

दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन कार्यक्रम (आईजीएनडीपीएस) चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी–रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 18–79 वर्ष की आयु के विविध प्रकार की निशक्तताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिमाह 300 रुपये की सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर उन्हें आईजीएनओएपीएस के तहत 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता मिलने लगती है। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी दिव्यांग लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मनरेगा के तहत कार्यस्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराने, पालनाघर की व्यवस्था इत्यादि में दिव्यांग लोगों को काम दिलाने को प्राथमिकता दी गई है। दिव्यांग मज़दूरों को अन्य मज़दूरों के बराबर ही मज़दूरी दी जाती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लोगों के कौशल को बढ़ाने के लक्ष्य का कम–से–कम तीन प्रतिशत कौशल विकास लक्ष्य दिव्यांगों के लिए सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी राज्यों के लिए प्रावधान हैं कि वह कम–से–कम तीन प्रतिशत दिव्यांग लाभार्थी सुनिश्चित करें।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : pjoshi23@gmail.com

कृषि क्षेत्र में प्रगति से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया है। 13 जून, 2020 को चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में समृद्धि बढ़ेगी, जिससे देश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश में समृद्धि आएगी। श्री तोमर ने वैज्ञानिकों से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने व कठिनाइयां कम करने में योगदान देने का आह्वान किया।

श्री तोमर ने मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत केवल आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि उससे बढ़कर है। किसानों ने साबित किया है कि वे किसी भी कठिन चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी हेतु, जिसके वर्ष 2050 में 160 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है, भारतीय प्लांट ब्रीडर्स और वैज्ञानिकों के समक्ष गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की चुनौती है, साथ ही बढ़ती आबादी को समुचित पोषणयुक्त भरपेट भोजन उपलब्ध कराना भी वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए रोगरोधी व कीटरोधी उन्नत प्रजातियां विकसित करने की आवश्यकता है, जो सूखा, अत्यधिक तापमान, लवणीय व अम्लीय मृदा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देने में समर्थ हों। श्री तोमर ने कहा कि बायोफोर्टिफिकेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर उच्च गुणवत्तायुक्त उन्नत प्रजातियां, जैसे–उच्च प्रोटीन, आयरन, ज़िंक, आदि पोषक तत्वों वाली उन्नत प्रजातियां विकसित करने की ज़रूरत है। इसके लिए प्लांट ब्रीडर्स को पारम्परिक विधियों के साथ–साथ जैव प्रौद्योगिकी की आधुनिकतम तकनीकों का समुचित उपयोग करने की ज़रूरत है।

श्री तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश लाने के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि अवसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही, मत्स्यपालन, पशुपालन, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन, फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्रों में ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं। श्री तोमर ने मृदा स्वास्थ्य परीक्षण पर ज़ोर दिया और इस बारे में जागरूकता लाने की अपील की।

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के वेबिनार में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कम पानी में अधिक गुणवत्तापूर्ण उपज की पैदावार करने पर बल दिया।

श्री तोमर ने कहा कि कोविड संकट में, जब विश्व अर्थव्यवस्था के पहिए की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, तब भारत के किसानों ने गांवों में उपलब्ध साधनों से ही बंपर पैदावार ली। लॉकडाउन में फसल कटाई का काम सामान्य गति से जारी रहा और उपार्जन भी पिछली बार से अधिक रहा, खरीफ की फसलों की बुवाई भी पिछली बार से 45 प्रतिशत अधिक रही है। ये सब किसानों व हमारे गांवों की ताकत को प्रदर्शित करता है। उन्होंने हाल ही में घोषित 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), में ज्यादा से ज्यादा छोटे किसानों को जोड़ने पर भी ज़ोर दिया।

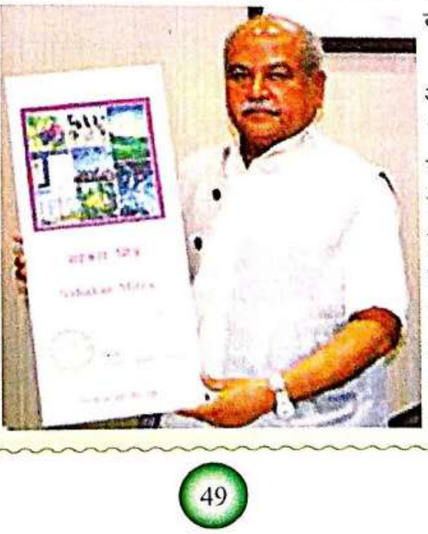

- **केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया**
- **श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रगति से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी,**
- **कोविड संकट ने साबित किया है कि भारतीय किसान किसी भी कठिन चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं**
- **उन्होंने वैज्ञानिकों से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने का आह्वान किया**

सहकार मित्रः इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 12 जून, 2020 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की विशेष पहल 'सहकार मित्रः इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना' का भी शुभारंभ किया। सहकार मित्र योजना सहकारी संस्थानों को युवा प्रोफेशनलों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी, जबकि इंटर्न को आत्मनिर्भर बनने के लिए फील्ड में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के **'आत्मनिर्भर भारत'** बनाने के आह्वान, जिसमें स्वदेशी उत्पादों का गर्व से प्रचार करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है; इस योजना की शुरुआत करते हुए श्री तोमर ने कहा कि एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने में अत्यंत सक्रिय रहा है। एनसीडीसी की अनेक पहलों की श्रृंखला में 'सहकार मित्रः इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना (सिप)' नामक नई स्कीम से युवा प्रोफेशनलों को सवेतन इंटर्न के रूप में एनसीडीसी और सहकारी समितियों के कामकाज से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा। एनसीडीसी ने स्टार्टअप सहकारी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक पूरक योजना भी शुरू की है। 'सहकार मित्र' योजना इसके साथ ही अकादमिक संस्थानों के प्रोफेशनलों को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और आईटी जैसे विषयों के प्रोफेशनल स्नातक 'इंटर्नशिप' के लिए पात्र होंगे। कृषि व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन, इत्यादि में एमबीए की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके प्रोफेशनल भी इसके लिए पात्र होंगे। एनसीडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध इंटर्नशिप आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा लांच किया गया।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल का शुभारंभ

- पोर्टल पर अभियान की जिलावार और कार्यवार जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी; इससे कार्यों की प्रगति और उनके समापन की निगरानी भी संभव होगी
- गरीब कल्याण रोज़गार अभियान ऐसे लाखों कुशल कामगारों को चार महीनों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराएगा, जो कोविड–19 लॉकडाउन के चलते अपने गृह क्षेत्रों को लौट आए हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 26 जून, 2020 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेबपोर्टल का शुभारंभ किया। गरीब कल्याण रोज़गार अभियान भारत सरकार का समग्र रोज़गार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड–19 महामारी के चलते पैदा हालात के कारण अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले चार महीनों तक रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जून, 2020 को इस अभियान का शुभारंभ किया।

ये पोर्टल जनता को इस अभियान के विभिन्न जिला–वार और योजनावार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा 6 राज्यों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपये की व्यय निधि के साथ शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में मदद करेगा। इन जिलों में प्रति जिला 25000 से अधिक लौटकर आए प्रवासी कामगार हैं। श्री तोमर ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए केंद्र सरकार कोविड–19 महामारी के द्वारा पैदा की गई इन कठिन परिस्थितियों से निपटने में सफल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी कृषि, छोटे उद्योगों से संबंधित गतिविधियों और सरकारी कल्याण और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन ने काम करना जारी रखा ताकि गरीब लोगों की आजीविका की समस्याओं को कम किया जा सके।

6 चिन्हित जिलों के केंद्रीय नोडल अधिकारियों की एक कार्यशाला के बाद इस वेबपोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला के दौरान ग्रामीण विकास सचिव, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने इसमें शामिल विभिन्न मंत्रालयों, संबंधित राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को समय पर कार्य की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान के अंतर्गत कार्य–प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन में निभाई गई उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया। नोडल अधिकारियों के लाभ के लिए रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण और वन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, कृषि, पंचायती राज मंत्रालयों, सीमा सड़क संगठन और विभिन्न ग्रामीण विकास विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।

स्रोत : पीआईबी

छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

योग दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल मानवता [illegible] बदल सकता है: प्रधानमंत्री

देश भर में 21 जून, 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इलेक्ट्रॉनिक [illegible] डिजिटल मीडिया के माध्यम से बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। [illegible] श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र को [illegible] को मज़बूत करने में योग की भूमिका [illegible] सभी को करीब लाता है और [illegible] योग को आपस में एक–दूसरे से जो[illegible] सदस्य **'परिवार के साथ योग'** को [illegible] कारण है कि [illegible] है। प्रधानमंत्री ने कहा कि को[illegible] का थीम बनाया गया अंगों पर हमला करता है और [illegible] शरीर के फेफड़े संबंधी [illegible] को मज़बूत करने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि यदि [illegible] अपने स्वास्थ्य और भरोसे के तार को कायम रख सकते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया स्वस्थ और खुशहाल मानवता की सफलता का गवाह बनेगी। उन्होंने कहा कि योग निश्चित रूप से हमें ऐसा करने में मदद कर सकता है।

योग

संभावनाओं को संभव बनाएं

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - 21 जून

कोविड–19 की वर्तमान महामारी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किसी तरह के आयोजन की सलाह नहीं दी जा सकती है; इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस संबंध में आयुष मंत्रालय ने लोगों को ऑनलाइन भागीदारी की सुविधा देने के लिए सामाजिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों का अधिकतम उपयोग किया।

इस अवसर पर आयुष राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य आंदोलन में बदल गया है। अब दुनिया का हर देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। उन्होंने कहा कि आम जनता ने इस आयोजन को अपना लिया है और इसे भारत की संस्कृति और परंपरा के उत्सव के रूप में मना रही है। श्री नाइक ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक तरह से स्वास्थ्य आपातकाल के बीच में आया है इसलिए आयुष मंत्रालय पिछले तीन महीनों से विभिन्न ऑनलाइन और हाइब्रिड–ऑनलाइन पहलों के माध्यम से 'घर पर योग' का अभ्यास करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा और सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होंने योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की घोषित **'मेरा जीवन–मेरा योग'** वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की प्रशंसा की। श्री नाइक ने बताया कि योग के कई प्रमुख संस्थान इस प्रयास में मंत्रालय के साथ जुड़ गए हैं। पिछले एक महीने में इस तरह की गतिविधियां तेज़ हो गई हैं जिसमें कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके बाद योग के सामूहिक प्रदर्शनों में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए हर साल योग दिवस के प्रतिभागी भाग लेते हैं।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि नए परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य अपने स्वास्थ्य–लाभों पर ध्यान केंद्रित करना और योग दिवस के मौके पर घर पर योग करना है।

श्री कोटेचा ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने और सीखने के लिए दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रत्येक सुबह सीवाईपी सत्र चलाने सहित विभिन्न ऑनलाइन पहलें शुरू की हैं। उन्होंने 5 मिलियन लोगों के लक्ष्य के साथ बड़ी आबादी का डाटा तैयार करने के लिए आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप के बारे में भी जानकारी दी। मुख्य अपेक्षित परिणामों में आयुष साधनों की स्वीकृति एवं उपयोग और जनसंख्या के बीच उपायों और कोविड–19 की रोकथाम में इसके प्रभाव को शामिल करना शामिल है।

कार्यक्रम के अंत में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के विशेषज्ञों द्वारा कॉमन योग प्रोटोकॉल का लाइव प्रदर्शन किया गया और फिर योग विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया गया।

स्रोत : पीआईबी

डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20 to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.
01 जुलाई, 2020 को प्रकाशित एवं 5-6 जुलाई, 2020 को डाक द्वारा जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

नोवल कोरोनावायरस रोग (COVID-19)

Help us to help you

इन आदतों को अपनाएं

घर पर बना पुनः उपयोग मास्क पहनें

हमें मिलकर COVID-19 से लड़ना है

COVID-19 संबंधित जानकारी के लिए
राज्य हेल्पलाइन नंबरों या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
1075 (टोल फ्री), ई-मेल करें: ncov2019@gov.in , ncov2019@gmail.com

mohfw.gov.in · @MoHFWIndia · @MoHFW_INDIA · mohfwindia · @mohfwindia

pib

नावल कारानावायरस (COVID-19)

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित

क्या करें और क्या ना करें

क्या करें

- बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें
- छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिशू/रूमाल से ढकें
- प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें
- अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें
- अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें

क्या न करें

- यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो, तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें
- अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छूयें
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा एम. मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना